कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email- jdajodhpur@rajasthan.gov.in वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656155-7 Fax 021-2612086

कमांक/आवंटन/2014/1802–5/2178–2217 दिनांक :: 4 अगस्त, 2014

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री छगनलाल श्रीमाली, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 30 जुलाई, 2014 एवं 31 जुलाई, 2014 को प्रातः 11.00 बजे से आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:–

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 2 मई, 2013 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

बैठक में अवगत कराया गया कि गत बैठक दिनांक 2 मई, 2013 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः बैठक कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 2 मई, 2013 के केवल एजेण्डा का अनुमोदन किया जाता है। चूंकि उक्त बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालना अप्राप्त है। इस कारण निर्णयों की अनुपालना में की गई कार्यवाहीयों का अनुमोदन नहीं किया जा रहा है।

प्रस्ताव संख्या 2 :: नवीन योजनाओं के प्रकरण

प्रस्ताव संख्या 2(1) :: ग्राम खोखरिया खसरा संख्या 121 व 122 किस्म गौचर

बैठक में उपस्थित उप नगर नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 121 व 122 की किस्म गौचर भूमि पर संस्थागत योजना बनायी जानी प्रस्तावित है। उक्त योजना का मानचित्र तेयार किया गया है। जिनमें 21 संस्थागत भूखण्डों का प्रावधान किया गया है तथा नियमानुसार सड़कों आदि का प्रावधान किया गया है।

बैठक में विचार विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से ग्राम खोखरिया के खसरा संख्या 121 व 122 पर प्रस्तावित संस्थागत योजना का अनुमोदन किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त योजना में स्थित 21 भूखण्डों का प्राधिकरण द्वारा जरिये नीलामी निष्पादन किया जावे। परन्तु यह निर्णय प्रस्ताव संख्या 8 के कम में निर्णयाधीन रहेगा।

प्रस्ताव संख्या 2(2) :: ग्राम बोरावास खसरा संख्या 1 रकबा 48 बीघा 19 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन गौचर, खसरा संख्या 2 रकबा 51 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर, खसरा संख्या 3 रकबा 56 बीघा 2 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन गौचर कुल रकबा 156 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर योजना विकसित करने के संबंध में।

ग्राम बोरावास खसरा संख्या 1 रकबा 48 बीघा 19 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन गौचर, खसरा संख्या 2 रकबा 51 बीघा किस्म गैर मुमकिन गौचर, खसरा संख्या 3 रकबा 56 बीघा 2

2

बिस्वा किस्म गैर मुमकिन गौचर कुल रकबा 156 बीघा 1 बिस्वा भूमि पर योजना विकसित की जानी प्रस्तावित है। भूमि की किस्म प्रतिबंधित है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर उचित निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में विचार विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इसी बैठक में प्रस्ताव संख्या 8 द्वारा समानान्तर प्रकरण में विचार विमर्श कर निर्णय लिया जावेगा। अतः इस प्रकरण में भी उक्त प्रस्ताव में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 2(3) :: ग्राम झालामण्ड खसरा संख्या 413 किस्म गौचर

बैठक में उपस्थित नगर नियोजक ने बताया कि ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 413 भूमि किस्म गौचर पर योजना विकसित की जानी है। भूमि की किस्म प्रतिबंधित है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर उचित निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में विचार विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इसी बैठक में प्रस्ताव संख्या 8 द्वारा समानान्तर प्रकरण में विचार विमर्श कर निर्णय लिया जावेगा। अतः इस प्रकरण में भी उक्त प्रस्ताव में लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 2(4) :: नवदुर्गा कॉलोनी में स्थित औरण भूमि के संबंध में।

बैठक में उपस्थित नगर नियोजक ने बताया कि झालामण्ड चौराहे के पास स्थित नवदुर्गा कॉलोनी में स्थित औरण भूमि पर योजना विकसित की जानी है। भूमि किस्म औरण है जो प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर उचित निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में विचार विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया इस प्रस्ताव को स्थगित किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 2(5) :: ग्राम भाण्डु खसरा संख्या 458/111 रकबा 76-05 बीघा किस्म बारानी प्रथम एवं खसरा संख्या 119 रकबा 85-17 बीघा भूमि किस्म बारानी प्रथम पर योजना विकसित करने के संबंध में।

ग्राम भाण्डु खसरा संख्या 458/111 रकबा 76-05 बीघा किस्म बारानी प्रथम एवं खसरा संख्या 119 रकबा 85-17 बीघा भूमि किस्म बारानी प्रथम पर योजना विकसित की जानी है। मौके पर आंशिक कच्चे पक्के अतिक्रमण हैं। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर उचित निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से ग्राम भाण्डु खसरा संख्या 458/111 रकबा 76-05 बीघा किस्म बारानी प्रथम एवं खसरा संख्या 119 रकबा 85-17 बीघा भूमि किस्म बारानी प्रथम पर प्रस्तावित मास्टर प्लान में भू-उपयोग को मद्देनजर रखते हुए योजना बनाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2(6) :: ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 136 रकबा 89 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा संख्या 137 भूमि किस्म बारानी चतुर्थ में स्थित ओ.सी.एफ. भूमि के संबंध में।

2

ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 136 रकबा 89 बीघा 16 बिस्वा भूमि किस्म बारानी चतुर्थ, खसरा संख्या 137 में स्थित भूमि जिसका मास्टर प्लान में भू–उपयोग ओ.सी.एफ. है, पर योजना विकसित की जानी है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर उचित निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्रस्तावित मास्टर प्लान में भूमि के दर्शाये गये भू–उपयोग अनुसार योजना बनाकर कियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2(7) :: प्राधिकरण के ग्राम मोगडा खुर्द में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर एवं ऑटोमोबाईल मार्केट योजना के संबंध में।

प्राधिकरण के ग्राम मोगड़ा खुर्द के खसरा नं. 142 में 336 बीघा भूमि पर ट्रांसपोर्ट नगर एवं ऑटोमोबाईल मार्केट योजना प्रस्तावित है, जिसके अन्तर्गत कुल 1089 व्यवसायिक भूखण्डों प्रस्तावित है।

उक्त योजना हेतु निम्नानुसार व्यवसायिक संस्थानों द्वारा ज्ञापन के माध्यम से व्यवसायिक भूखण्डों की मांग की गई है।

01. जोधपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (रजि) जोधपुर द्वारा 200 बीघा भूमि की अतिरिक्त मांग करते हुए लगभग 560 बीघा भूमि पर ट्रांसपोर्ट एवं ऑटोमोबाईल व्यवसाइयों हेतु ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने हेतु ज्ञापन दिया।

02. दि जोधपुर मोटर मर्चेन्ट्स एसोसियेशन (रजि.) द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के अन्तर्गत ट्रांसपोर्ट नगर एवं ऑटोमोबाईल मार्केट योजना में ऑटोमोबाईल मार्केट के लिए कुल 231 भूखण्डों की मांग की है।

03. सूर्यनगरी ऑटोमोबाईल्स संघ द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत कर संबधित व्यावासायिओं का समावेश करने बाबत् लिखा गया है।

04. बासनी मोटर मर्चेन्ट्स एसोसिएशन मोगड़ा में ऑटोमोबाईल नगर चिन्हित करवाने हेतु ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसके अन्तर्गत मेम्बर सूची प्रस्तुत करते हुए कुल 80 मेम्बर्स हेतु भूखण्ड आवंटन की मांग की है।

चूंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार बासनी स्थित ट्रांसपोर्ट नगर को मोगड़ा के खसरा नम्बर 142 में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर व ऑटोमोबाईल मार्केट योजना में विस्थापित किया जाना है। उक्त नगर को विस्थापित किये जाने से पूर्व बासनी स्थित ट्रांसपोर्ट नगर का संयुक्त सर्वे करवाया जाना है, तत्पश्चात् प्रस्तावित योजना में बासनी स्थित ट्रांसपोर्ट नगर को विस्थापित किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण के ग्राम मोगड़ा खुर्द के खसरा नं. 142 एवं 295 की 601.12 बीघा भूमि मे से 336 बीघा भूमि पर ट्रांसपोर्ट नगर व ऑटोमोबाईल मार्केट योजना प्रस्तावित है। जिसके अन्तर्गत कुल 1089 भूखण्ड रखे गये हैं, जिनमें से कॉर्नर भूखण्डों के अतिरिक्त लगभग 800 भूखण्ड ही शेष रहते हैं, जो कि उपरोक्त व्यवसायिक संगठनों की मांग अनुसार पर्याप्त प्रतीत नहीं होते हैं।

अतः उपरोक्त क्रम में किन–किन श्रेणियों को ट्रांसपोर्ट नगर में लॉटरी में सम्मिलित किये जाने बाबत् निर्णय लिया जाना है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानसार बासनी स्थित ट्रांसपोर्ट नगर को अन्यत्र विस्थापित करने करने के लिए एक संयुक्त सर्वे जोन तहसीलदार, पटवारी एवं कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा किया जाए, जिससे वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। इस हेतु प्रकरण, प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

2

बैठक में विचार विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि बासनी ट्रांसपोर्ट नगर का संयुक्त सर्वे तहसीलदार, पटवारी, कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा करवाया जावे जिससे कि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो। साथ ही उक्त योजना में 75 प्रतिशत लॉटरी द्वारा किया जावे शेष 25 प्रतिशत जिसमें कॉर्नर प्लाट्स का आवंटन नीलामी द्वारा किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 2(8) :: ग्राम कुडी भगतासनी खसरा संख्या 269/1 रकबा 36 बीघा 17 बिस्वा भूमि किस्म गैर मुमकिन आबादी पर योजना विकसित करने के संबंध में

ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 269/1 रकबा 36 बीघा 17 बिस्वा भूमि किस्म गैर मुमकिन आबादी पर योजना विकसित की जानी प्रस्तावित है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर उचित निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उप नगर नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त भूमि का ले–आऊट प्लान अनुमोदित है। उक्त अनुमोदित ले–आऊट प्लान में फेसिलिटी क्षेत्र को आगे की तरफ एक त्रिभुजाकार के रूप में दर्शाया गया है, के संबंध में बैठक में निर्णय लिया गया कि उक्त फेसिलिटी क्षेत्र को उक्त स्थान से हटाकर कर पीछे की तरफ लेने के सर्व सम्मति से निर्णय के साथ ही उक्त अनुमोदित ले–आऊट प्लान में संशोधित कर इसे पारित करने का निर्णय लिया गया तथा उक्त ले–आऊट में वर्णित भूखण्डों का जरिये नीलामी निष्पादन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: भूमि आवंटन के प्रकरण

प्रस्ताव संख्या 3 (1) :: राजस्थान आवासन मण्डल को भूमि आवंटन बाबत।

ग्राम बडली के खसरा संख्या 88 में राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर को 1100 बीघा भूमि दिनांक 22 जुलाई, 2008 को प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में 23.00 करोड़ रूपये में आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया था। जिसका भौतिक कब्जा दिनांक 25 जून, 2009 को आवासन मण्डल को दिया जा चुका है।

उपरोक्त भूमि के एवज में आवासन मण्डल द्वारा 10.00 करोड रूपये ही प्राधिकरण को दिये गये गये है। शेष 13.00 करोड रूपये आज दिनांक तक आवासन मण्डल द्वारा हस्तान्तरित नहीं किये गये हैं। इस संबंध में कार्यालय द्वारा दिनांक 19 मई, 2014, 20 मई, 2014 एवं 3 जून, 2014 के द्वारा पत्राचार किया गया है। परन्तु आवासन मण्डल द्वारा किसी प्रकार की राशि प्राधिकरण कोष में जमा नहीं करवायी गयी है। इस संबंध में सचिव, आवासन मण्डल को आयुक्त, प्राधिकरण द्वारा जयपुर प्रवास के दौरान व्यक्तिशः दो बार निवेदन किया जा चुका है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर समुचित निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवासन मण्डल द्वारा बावजूद सूचना के राशि जमा नहीं करवायी है। अतः ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 88 में उपरोक्त वर्णित अनुसार किये गये आवंटन को निरस्त किया जाकर आवासन मण्डल द्वारा जमा राशि को जब्त किया जाता है। उक्त भूमि का नये सिरे से निष्पादन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 (2) :: राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज), जोधपुर को भूमि आवंटन। 2

सचिव राजमाता विजयराजे सिंधियां कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जोधपुर का पत्र क्रमांक 2547 दिनांक 19.06.2014 के द्वारा जोधपुर – जैसलमेर राष्ट्रीय मार्ग के खसरा नं. 812 ग्राम कैरू नें रिक्त पडी भूमि मे सें 700 बीघा भुमि आवंटन करनें की मांग की गई है। आवंटन के संबंध में प्राधिरकण के संबंधित पटवारी द्वारा मोके की जांच रिपोर्ट करवायी गई जिसमे पटवारी द्वारा प्रस्तावित भूमि को खासरा नं. 812 ग्राम कैरू के अन्तर्गत मोके पर खाली बताई गई हैं। प्राधिकरण के पटवारी द्वारा उक्त खसरे के मानचित्र में प्रस्तावित भुमि कों अलग सें मार्क का दिया गया जिसका क्षेत्रफल 714.07 बीघा बनता हैं। सचिव कृषि उपज मण्डी समिति (अनाज) जोधपुर द्वारा खसरा नं. 812 ग्राम कैरू की भुमि को आवंटन एंव आरक्षित किये जाने की सहमति प्रदान की गई है। एंव उक्त भुमि मण्डी प्रागण हेतु उपयुक्त समझी गई। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर प्रकरण निर्णय लेने हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव में वर्णित उपरोक्तानुसार व्यवसायिक दर से राशि की 50 प्रतिशत तत्काल जमा करवायी जावे तथा शेष 50 प्रतिशत राशि 2 समान किश्तों में 3 – 3 माह के अन्तर से जमा करायी जावे। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही निदेशक–आयोजना द्वारा करवाये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 (3) :: कर्मचारी कॉलोनी, मोगडा में सामुदायिक हॉल सचिव, कर्मचारी कल्याण संस्थान, जोधपुर को आवंटित किये जाने के संबंध में।

श्री अब्दुल मतीन, सचिव, कर्मचारी कल्याण संस्थान, जोधपुर ने कर्मचारियों को कर्मचारी कॉलानी मोगड.ा में सामुदायिक हॉल हेतु संस्था को भूमि आवंटन का प्रस्ताव बनवा कर सरकार को भिजवाने का निवेदन किया है। उक्त संस्था ने सामुदायिक हॉल कर्मचारी कॉलोनी मोगड.ा में ओ. सी. एफ. भूमि में 4000 वर्गमीटर की मांग की है। पत्रावली के पैरा संख्या 14, 16, 30 एवं 32 में ओ. सी. एफ. भूमि आयोजना शाखा द्वारा प्रस्तावित की गई है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर प्रकरण निर्णय लेने हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित भूमि की दर निर्धारित कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 3 (4) :: वरिष्ठ प्रबन्धक ROU & CIVIL GSPL INDIA GASNET LIMITED को ग्राम मोगड़ा कलां के खसरा नं. 295 रकबा 231 बीघा 06 बिस्वा किस्म गोचर भूमि स्परलाइनके रिसिप्ट टर्मिनल लगाये जाने हेतु आवंटन करने के संबंध में।

वरिष्ठ प्रबन्धक ROU & CIVIL GSPL INDIA GASNET LIMITED द्वारा प्रार्थना पत्र पेट्रोलियम एवम् प्राकृतिक गैस रेगुलेटरी बोर्ड भारत सरकार द्वारा अधिकार पत्र एवं राजस्व नक्शे क प्रति संलग्न कर जोधपुर विकास प्राधिकरण स्परलाइन के लिए प्राधिकरण क्षेत्र के ग्राम मोगड़ा कलां के खसरा नं. 295 रकबा 231 बीघा 06 बिस्वा किस्म गोचर भूमि स्परलाइनके रिसिप्ट टर्मिनल लगाये जाने हेतु तकनीकी रूप से उपयुक्त बताते हुए राजस्व नक्शे में प्रदर्शित माप के अनुसार 1.4362 हेक्टर भूमि की आवश्यकता होने के कारण आवंटन की मांग की गई।

तहसीलदार, पटवारी दक्षिण जोन, द्वारा आवेदित भूमि की मौका रिपोर्ट की गई, रिपोर्ट अनुसार भूमि खाली है, ग्राम मोगड़ा कलां खुर्द का खसरा नं. 142 रकबा 370.06 बीघा गैर मुमकिन गोचर जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर प्रकरण निर्णय लेने हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

2

बैठक में विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूमि का वाणिज्यिक आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा कर प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 3 (5) :: ग्राम गुड़ा विश्नोईयां के खसरा संख्या 710 में 39–63 हैक्टर एवं खसरा संख्या 753 में 192–24 हैक्टर भूमि किस्म गैर ममुकिन गौचर कुल रकबा 231–87 हैक्टर भूमि को कजर्वेशन रिजर्व घोषित करने के संबंध में।

वन विभाग द्वारा ग्राम गुड़ा विश्नोईयां में खसरा 710 में 39.63 हेक्टर एवं 753 में 192. 24 हेक्टर किस्म गैर मुमकिन गोचर भूमि कुल 231.87 हेक्टर भूमि को कजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है जो कि राजस्थान राजपत्र में उल्लेखित है। चूंकि उक्त 231.87 हेक्टर भूमि कलक्टर, जोधपुर द्वारा सेट अपार्ट की गई हैं एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित की गई है। इस हेतू राजस्थान नगर सुधार न्यास नियम 1974 के नगरीय भूमि का निस्तारण के नियम में सेंट अपार्ट हेतु कोई प्रावधान नही रखा गया हैं। अतः प्रकरण जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में रखकर उक्त भूमि रिजर्व प्राईज पर दिये जाने हेतु राज्य सरकार को भिजवाने के संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 (6) :: हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड़ जोधपुर को ग्राम ड़ागियावास के खसरा नं. 574 की कुल उपलब्ध भूमि 134. 14 बिस्वा गैर मुमकिन गोचर में सें 25–30 एकड़ भूमि रिफिलिंग प्लाण्ट हेतु आवंटन बाबत।

पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय एवं यातायात) जोधपुर नें हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड़ जोधपुर को जोधपुर शहर में स्थापित एच.पी.गैस रिफिलिगं प्लाटं बासनी को अन्यत्र स्थानान्तरण के लिए नोटिस जारी किया गया। वर्तमान में जोधपुर शहर में एम्स अस्पताल की बाउण्ड्री के 50 वर्ग मीटर दूरी पर उक्त रिफिलिगं प्लाटं आया हुआ हैं जों आमजन की सुरक्षा एवं स्वास्थय की दृष्टि सें उपयुक्त नही है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड़ जोधपुर को ग्राम ड़ागियावास कें खसरा नं. 574 की कुल उपलब्ध भूमि 134.14 बिस्वा गैर मुमकिन गोचर में सें 25–30 एकड़ भूमि आवंटन की मांग की गई है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को भूमि आवंटन करनें के लियें प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में रखकर राज्य सरकार को भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि संबंधित उपायुक्त वैकल्पिक भूमि का चयन कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव संख्या 3 (7) :: ग्राम मोगडा खुर्द खसरा संख्या 142 एवं 295 की रकबा 601--12 बीघा भूमि मे से 336 बीघा पर ट्रांसपोर्ट नगर एवं ऑटोमोबाईल योजना की आरक्षित दर के संबंध में।

प्राधिकरण के ग्राम मोगडा खुर्द के खसरा नं. 142 एवं 295 की 601.12 बीघा भूमि में से 336 बीघा भूमि पर ट्रांसपोर्ट नगर एवं ऑटोमोबाईल मार्केट योजना प्रस्तावित है। निदेशक (अभियांत्रिकी) द्वारा उक्त योजना की रिर्जव प्राईस (व्यवसायिक) 13080/– प्रति वर्गमीटर निर्धारित की गई है, जिसका अनुमोदन प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में किया जाना है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निदेशक–अभियांत्रिकी द्वारा बैठक में हुए विचार विमर्श उपरान्त प्रस्तुत व्यवसायिक आरक्षित दर रूपये 13080/– प्रति वर्ग मीटर निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त उपरोक्त योजना के अन्तर्गत विकास कार्यों के लिए राशि रूपये 7218.63 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 (8) :: वर्कशीप फाउडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट अनाथाश्रम एंव वृद्धाश्रम के लिए ग्राम केरु मे भूमि आवंटन बाबत्।

निदेशक वर्कशीप फाउडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, जोधपुर के द्वारा नवीन आंवटन नीति 19.04.2011 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम केरु के खसरा नम्बर 812 मे भूदान यज्ञ बोर्ड के खाते की जमीन खाली पड़ी हुई भूमि या रिक्त भूमि मे से 50 बीघा भूमि आंवटन करने हेतु मांग कि है। सम्बन्धित ट्रस्ट द्वारा आय व्यय विवरण पत्र, शपथ पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र एंव ट्रस्ट डीड प्रति सहित आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की है।

संबंधित ट्रस्ट द्वारा वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, महिला विकास, पर्यावरण सरंक्षण, शिक्षा एंव स्वास्थय तथा अनुसुचित, जनजाति विकास के लिए ग्राम केरु के खसरा नम्बर 812 मे भूमि आंवटन करने हेंतु आवेदन किया है। प्राधिकरण के पटवारी कि रिर्पोट अनुसार प्रस्तावित मौके घोड़ाफार्म के पीछे 50 बीघा भूमि खाली है। ग्राम केरु के खसरा नम्बर 812 क्षेत्रफल 10405.00 बीघा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के खाते मे हस्तान्तरित हो चुकी है। अतः सम्बन्धित ट्रस्ट को 50 बीघा भूमि आंवटन करने के सम्बन्ध मे प्रकरण कार्य कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 (9) :: ग्राम सालवाकलां मानसागर में जी.एल.आर. व पशु खेली हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

सहायक अभियंता जन.स्वा.अभि. विभाग उपखण्ड जोधपुर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत सालवा कलां पं.स. मण्डोर द्वारा दिनांक 30.01.2013 की बैठक मे प्रस्ताव (17) मे सालवा कलां मे जी.एल.आर. व पशु खेली सालवा कलां के लिए खसरा नं. 328 रकबा 31.07 बीघा मे से 1 बीघा भूमि आवंटन के प्रस्तावनुसार आवंटन की मांग की है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार बारानी–प्रथम जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि खाली है। अतः सहायक अभियंता जन.स्वा.अभि. विभाग उपखण्ड जोधपुर को 1 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रकरण विचारार्थ व निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार भूमि का कीमतन आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 (10) :: ग्राम सालवाकलां में पशु चिकित्सालय हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत सालवा कलां पं.स. मण्डोर द्वारा दिनांक 30.01.2013 की बैठक मे प्रस्ताव (14) मे सालवा कलां मे पशु चिकित्सालय के लिए खसरा नं. 328 रकबा 31.07 बीघा मे से 2 बीघा भूमि आवंटन के प्रस्तावनुसार आवंटन की मांग की है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार बारानी–प्रथम जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि खाली है। अतः संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, जोधपुर को 2 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रकरण विचारार्थ व निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार भूमि का कीमतन आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 (11) :: ग्राम सालवाकलां में राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी संभाग जोधपुर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत सालवा कलां पं.स. मण्डोर द्वारा दिनांक 30.01.2013 की बैठक मे प्रस्ताव (16) मे सालवा कलां मे राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय मानसागर, सालवा कलां के लिए खसरा नं. 328 रकबा 31.07 बीघा मे से 5 बीघा भूमि आवंटन के प्रस्तावनुसार आवंटन की मांग की है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार बारानी–प्रथम जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि खाली है। अतः संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी संभाग जोधपुर को 5 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रकरण विचारार्थ व निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार भूमि का कीमतन आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 (12) :: ग्राम सालवाकलां में जी.एल.आर. व पशु खेली हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

सहायक अभियंता जन.स्वा.अभि. विभाग उपखण्ड जोधपुर द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत सालवा कलां पं.स. मण्डोर द्वारा दिनांक 30.01.2013 की बैठक मे प्रस्ताव (12) मे सालवा कलां मे जी.एल.आर. व पशु खेली सालवा कलां के लिए खसरा नं. 660 रकबा 43.18 बीघा मे से 1 बीघा भूमि आवंटन के प्रस्तावनुसार आवंटन की मांग की है। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार बारानी–प्रथम जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर पशु खेली बनी हुई है। अतः सहायक अभियंता जन.स्वा.अभि. विभाग उपखण्ड जोधपुर को 1 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रकरण विचारार्थ व निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार खेली के अलावा शेष भूमि का कीमतन आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 (13) :: ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 73 व 74 में भूमि आवंटन के संबंध में।

ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 73 रकबा 56–10 बीघा किस्म गैर मुमकिन पहाड़ एवं खसरा संख्या 74 रकबा 235–17 बीघा किस्म गैर मुमकिन पहाड़ भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है। पूर्व में उक्त खसरों में से लगभग 68 बीघा भूमि समाज कल्याण विभाग एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को आवंटित की गयी है। उक्त भूमि की वर्तमान आरक्षित दर 2,200/– रूपये प्रति वर्ग मीटर है। वर्तमान में उक्त खसरों में से 224–07 बीघा भूमि उपलब्ध है, जिसमें से 25 बीघा भूमि आवंटित करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 (14) :: रामराज नगर में अधिवक्ताओं को भूखण्ड आवंटन के संबंध में।

नगर सुधार न्यास द्वारा वर्ष 2007 में अधिवक्ताओं हेतु रामराज नगर योजना चौखा में 539 भूखण्ड आरक्षित रखे गये जिसके कम में अधिवक्ताओं द्वारा 1258 आवेदन–पत्र प्राप्त किये गये जिसमें से दिनांक 14 जुलाई, 2008 को लॉटरी द्वारा 497 अधिवक्ताओं को भूखण्ड आवंटित किये गए। उक्त लॉटरी में अधिवक्ताओं के फार्म जांच में आय वर्ग एवं अन्य कारण से आवंटित भूखण्ड निरस्त कर दिये गये। जिसके कारण कई अधिवक्ताओं द्वारा माननीय न्यायालय की शरण में जाकर वाद दायर कर दिए जैसे कि डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 11993/2012 माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

रामराज नगर योजना में कुल 1495 भूखण्ड विभिन्न श्रेणियों हेतु आरक्षित रखे गये थे जिसमें से 539 भूखण्ड अधिवक्ताओं हेतु, 156 भूखण्ड यूआईटी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को आवंटित किये गए एवं 326 भूखण्ड दत्तोपंत ठेंगडी नगर एवं अन्य योजनाओं में अतिक्रमण या अन्य कारणों से रामराज नगर में शिफ्ट किये गए। उक्त योजना में 222 कॉर्नर भूखण्ड छोडते हुए शेष 252 भूखण्ड वर्तमान में रिक्त है।

चूंकि उपरोक्त योजना से संबंधित प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है एवं माननीय न्यायालय में दिये गए शपथ–पत्र के कम में शेष रहे 252 भूखण्डों को अधिवक्ताओं हेतु लॉटरी/नीलामी के माध्यम से आवंटित किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाना है। साथ ही उपरोक्त भूखण्डों हेतु पूर्व में प्राप्त आवेदनों को आधार बनाना है अथवा इस हेतु नवीन आवेदन–पत्र लॉटरी/नीलामी हेतु लिये जाने हैं। इस बाबत भी निर्णय कार्यकारी समिति में लिया जाना है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन किये जाने की शर्त पर उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए यह निर्णय लिया गया कि शेष रहे 252 प्लाट्स को अधिवक्ताओं को आवंटित करने हेतु योजना का विस्तार कर नये आवेदन–पत्र मांगे जाये तथा अधिवक्ताओं के विवादित एवं अधिकतम आय सीमा के भी अन्य समान प्रकरणों का भी निस्तारण किया जाये।

प्रस्ताव संख्या 3 (15) :: ग्राम आंगणवा में राजस्थान आवासन विकास एण्ड इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड को भूमि आवंटन बाबत।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार अफोर्डेबल आवासीय योजना हेतु राजस्थान आवासन विकास एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, (राजस्थान सरकार का उपकम) यूनिट–प्रथम 18 ई, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर को ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 73 रकबा 56–10 बीघा एवं खसरा संख्या 74 रकबा 235–17 बीघा गैर मुमकिन पहाड में से 25 बीघा भूमि संस्था को पूर्व में ग्राम चौखा के खसरा संख्या 74 में आवंटित 25 बीघा भूमि के बदले (विनिमय) में आवंटित की गयी है। साथ ही पूर्व पत्र कमांक कमांक एफ.46/ आवंटन–पश्चिम/ 2013/ 57 दिनांक 7 मई, 2013 द्वारा ग्राम चौखा के खसरा संख्या 74 में आवासीय योजना हेतु राजस्थान आवासन विकास एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, (राजस्थान सरकार का उपकम) यूनिट–प्रथम 18 ई, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर को आवंटित 25 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त किया गया है। अतः प्रकरण में उक्त आवंटन व निरस्तीकरण की पुष्टि एवं आवंटी संस्था से कीमतन राशि किस दर से वसूल की जानी है, के संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण प्रस्तुत है। राज्य सरकार से अफोर्डेबल हाऊसिंग नीति अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करना प्रस्तावित है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा इस संबंध में अब तक की गयी कार्यवाही का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 (16) :: जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को भूमि आवंटन के संबंध में।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर द्वारा पत्र प्रेषित कर 33/11 के.वी. विद्युत सब स्टेशन हेतु विभिन्न स्थानों पर भूमि आवंटन चाहा गया है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.स.	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	भूमि की किस्म	भूमि किस के नाम दर्ज
1.	डांगियावास	546	गै.मु.गोचर	जो.वि.प्रा.
2.	खाराबेरा	348	गै.मु.गोचर	जो.वि.प्रा.
3.	जोलियाली	235/4	गै.मु.गोचर	जो.वि.प्रा.
4.	नारवा (जाखडों की ढाणी)	270	गै.मु.गोचर	जो.वि.प्रा.

उपरोक्त भूमियॉ जिला कलक्टर महोदय द्वारा जो.वि.प्रा. को हस्तान्तारित करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों की अक्षरक्षः पालना के निर्देश दिये क्योंकि उक्त भूमियॉ गौचर होने के कारण प्रतिबन्धित किस्म की है। अतः इस संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन है।

बैठक में विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि भूमि का वाणिज्यिक आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा कर प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 :: व्यक्तिगत प्रकरण

प्रस्ताव संख्या 4 (1) :: श्री प्रदीप कुमार धवल को वियजराजे नगर योजना में भूखण्ड आवंटन के संबंध में।

विजयाराजे नगर योजना में आवेदन क्रमांक 17467 श्री प्रदीप कुमार धवल पुत्र श्री विक्रम चन्द धवल ने दिनांक 26.03.2007 को आवेदन पत्र में मासिक आय 6001 से 12000 तक में भूखण्ड (अ–1) में 167.22 वर्ग मीटर में अनुसूचित जाति श्रेणी मे आवेदन किया। संलग्न दस्तावेजो मे आय प्रमाण–पत्र में 9000/– प्रतिमाह आय है। कम्प्यूटर द्वारा भूखण्डो की सूची बनाते समय लिपिकीय त्रुटिवंश भूखण्ड की साईज में 30 x 60 x 167.22 वर्ग मीटर के स्थान पर 40 x 70 x 260.12 वर्ग मीटर मे आवंटन होने के पश्चात् गलत वर्ग में आवंटन होने के कारण निरस्त कर दिया गया। पूर्व में आवंटित भूखण्ड 121 की साईज 40 x 70 अर्थात् 260.12 वर्ग मीटर है। श्री प्रदीप कुमार धवल पुत्र श्री विक्रम चन्द धवल ने भूखण्ड संख्या 121 विजयाराजे नगर साईज 40 x 70 का अनुसूचित जाति कोटे से आवंटित भूखण्ड की अन्तर राशि लेकर भूखण्ड की मांग कर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरण विचारार्थ/निर्णायार्थ कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 22.05.2012 में प्रस्ताव संख्या 12 में आवेदक की पात्रता अनुसार आवंटित करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान कनिष्ठ अभियन्ता पूर्व जोन से प्राप्त जानकारी अनुसार विजयाराजे नगर योजना में अवेदक की पात्रता अनुसार साईज 30 x 60 का भूखण्ड उपलब्ध नही है। विजयाराजे नगर योजना में वर्तमान में केवल तीन भूखण्ड निम्नांकित साईज के उपलब्ध है। उक्त भूखण्ड में से भूखण्ड संख्या 357 ए साईज 57+51 x 60/2 प्रार्थी को आवंटन योग्यता 30 x 60 के विपरित आवंटन किया जा सकता है। उक्त आवंटन के बाबत् निर्णय हेतु प्रकरण जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में अपवाद स्वरूप भूखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि अतिरिक्त क्षेत्रफल की कीमतन राशि इस क्षेत्र में अन्तिम नीलामी में प्राप्त दर के अनुसार राशि वसूल की जावे। इस संबंध में आवेदक को पत्र लिखकर सहमति प्राप्त की जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 (2) :: भूखण्ड संख्या 133 क्षेत्रफल 167.22 वर्ग मीटर के बदले में विजयराजे नगर योजना में भूखण्ड आवंटन बाबत।

श्री सिद्वार्थ चारण मुख्य विधि सहायक पुत्र स्व. श्री शुभकरण चारण को दिनांक 21.12.1995 में न्यास कर्मियो की सुभाष नगर विस्तार योजना (शोभावतो की ढ़ाणी) में जरिये लॉटरी द्वारा भूखण्ड संख्या 133 क्षेत्रफल 167.22 वर्ग मीटर में आरक्षित दर 152.00 रूपये में आवंटित किया गया था। भूखण्ड की किमत राशि 26254.00 रूपये जरिये रसीद संख्या 478/70 दिनांक 19.01.1996 को जमा करायी गयी। प्रार्थी ने दिनांक 03.05.2010 को आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिलाने का निवेदन किया है। तत्पश्चात् प्रार्थी श्री सिद्वार्थ चारण के आम मुखत्यार श्री घनश्याम भारती ने विजयाराजे नगर योजना में उक्त भूखण्ड के बदले भूखण्ड दिलाने की मांग की है। विजयाराजे नगर के संशोधित ले–आउट प्लान अनुसार भूखण्ड संख्या 280 ए साईज 50 x 90 का आधा भाग 25 x 90 का उप विभाजन उप नगर नियोजक की टिप्पणी आवासीय भूखण्ड का स्थानीय स्तर पर 35 वर्ग गज तक उपविभाजन किया जा सकता है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 (3) :: भूखण्ड संख्या ए–345 राजीव गांधी नगर योजना के संबंध में।

1. भूखण्ड का क्षेत्रफल के लिए एजेण्डा प्रारूप :–
2. आवंटित भूखण्ड एवं योजना का नाम :– ए 345 राजीव गांधी नगर योजना
3. आवंटन के लिए विसंगति का विवरण :– नही
4. बिन्दु जो कार्यकारी समिति के स्तर पर लिया गया है :– राजीव गांधी नगर योजना में दिनांक 15.02.2010 को भूखण्डो के आवंटन हेतु लॉटरी कर भूखण्ड की बकाया राशि जमा करवाने हेतु आवंटन पत्र जारी किये गये थे। आवंटी को आवंटन पत्र प्राप्ति के 30 दिवसों में भूखण्ड की बकाया राशि जमा करवानी आवश्यक थी। पश्चात् आगामी 60 दिवसो में आवंटि 15 वार्षिक ब्याज से राशि जमा करवा सकता था। ब्याज आवंटन पत्र जारी करने की तिथी से देय होगा। आवंटन पत्र जारी होने के 90 दिवस में राशि जमा नही कराने पर भूखण्ड स्वतः निरस्तीकरण की परिभाषा में आ जाता है। भूमि निष्पादन नियम 1947 के नियम 17(5) (ii) के अनुसार उक्त स्वतः रद्द करने की तिथी से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् सभापति के पास भूमि का ऐसा आवंटन नियमित करने की कोई शक्ति नही होगी, लेकिन न्यास के पास आवंटी द्वारा भूमि के लागत की राशि और खण्ड एक में उपबंधित अनुसार ब्याज और शास्ती भुगतान करने पर एक वर्ष की और अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 09.06.2009 के प्रस्ताव संख्या 17(5) के अनुसार The Rajasthan Improvrement Trust (Disposal of Urban Land) Rules, 1974 में जहां न्यास अंकित है व समस्त शक्तियां कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रदत्त है। उपरोक्तानुसार राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में निम्नानुसार प्रकरण अनुमोदित प्रस्तुत है :–

क्रं. सं.	आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	आवंटन पत्र जारी होने की तिथी	स्वतः निरस्तीकरण की दिनांक	स्वतः निरस्तीकरण की दिनांक से एक वर्ष की दिनांक
1	श्री नवीन कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामावतार गुप्ता	ए–345 राजीव गांधी नगर	12.01.2012	11.04.2012	11.04.2013

2

उक्त प्रकरण में स्वत: रदद् करने की तिथी से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति मे सक्षम स्वीकृति आवश्यक है।

प्रकरण में वसूली योग्य राशि निम्न प्रकार से है –

1. भूखण्ड की बकाया राशि 517725/–
2. 10 प्रतिशत शास्ती 6 माह पश्चात् एक बारगी 51773/–
3. 15 प्रतिशत ब्याज प्रतिदिन राशि जमा होने के तिथी तक 213/ प्रतिदिन से

अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर प्रकरण निर्णय लेने हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत कर राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति हेतु भेजा जाये।

प्रस्ताव संख्या 4 (4) :: सेवारत राजकीय अधिकारी व कर्मचारी कॉलोनी मोगडा कलां योजना के आवंटन पत्रों के संबंध में।

सेवारत राजकीय अधिकारी व कर्मचारी कॉलोनी मोगड़ा कलां जोधपुर योजना के आवंटन पत्र दिनांक 25 अप्रैल 2013 को जारी किये गये। आवटंन पत्र डिस्पेच क्रमांक 41 से 233 तक दिनांक 25 अप्रेल 2013 को डिस्पेच जारी किये गये। दिनांक 27 अप्रैल 2013 शनिवार एवं 28 अप्रैल 2013 अवकाश होने से 29 अप्रैल 2013 को डिस्पेच शाखा द्वारा सहायक अधीक्षक डाक एम. बी. सी. जोधपुर को आवंटन पत्र भिजवाने गये, आवंटन पत्र के लिफाफे पर दिनांक 30 अप्रैल 2013 की सील लगी है। आवंटन पत्र की शर्त संख्या 2 के अनुसार भूखण्ड की बकाया राशि पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में जमा कराया जाना अनिवार्य है। ब्याज आवंटन पत्र जारी करने की तिथि से देय होगा। ब्याज राशि के पत्र जारी करने पर आवंटियों द्वारा objection किया गया। आवंटियो ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवंटन पत्र दिनांक 3 मई 2013 एवं 4 मई 2013 को प्राप्त होना बताया। आवंटन पत्र के लिफाफे के फोटो प्रति पेश कर बकाया राशि पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में जमा होने का लिखा है।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में रखकर ब्याज राशि के सम्बन्ध में निर्णय के लिए प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से पत्र प्राप्ति की दिनांक से ब्याज वसूल करने का निर्णय लिया गया। परन्तु भविष्य हेतु दृष्टान्त नहीं बनाये जाये।

प्रस्ताव संख्या 4 (5) :: भूखण्ड संख्या सी–1 विजयराजे नगर योजना की डुप्लीकेट पत्रावली संधारित करेन के संबंध में।

श्रीमती किरण कंवर पत्नी स्वर्गीय श्री राजेन्द्र सिंह ने भूखण्ड संख्या सी–1 विजयाराजे नगर की लीजडीड दिनांक 05.05.2008 को श्री राजेन्द्र सिंह ने प्राप्त की। राजेन्द्र सिंह का स्वर्गवास दिनांक 27.10.2009 को हो गया। श्रीमती किरण कंवर ने अपने पति का मृत्यु प्रमाण–पत्र पेशकर भूखण्ड का नामान्तरण (नाम हस्तान्तरण) करने की मांग की।

उक्त भूखण्ड की मूल पत्रावली के लिए कार्यालय में सर्च नोट जारी किया गया, पत्पश्चात् समस्त शाखाओं से रिपोर्ट आने के पश्चात् डूप्लीकेट पत्रावली खोलने एवं पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के लिए कार्यकारी समिति की बैठक में रखकर निर्णय के लिए प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार पूर्व बैठक में डुप्लीकेट पत्रावली खोलने के संबंध में लिये गये निर्णय अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर डुप्लीकेट पत्रावली खोलने का निर्णय लिया गया। साथ ही पत्रावली गुम होने के संबंध में कौन जिम्मेदार है, दायित्व निर्धारित कर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 (6) :: विवेक विहार आवासीय योजना में लॉटरी एवं मुआवजे में आवंटित भूखण्डधारियों की समस्याओं के समाधान के संबंध में।

प्राधिकरण की विवेक विहार आवासीय योजना में लॉटरी द्वारा आवंटित भूखण्ड जिनमें निम्नानुसार सूचि में वर्णित प्रकरणों में निर्णय लिया जाना है जो बिन्दुवार प्रस्तुत है:-

1. विवेक विहार आवासीय योजना में निर्धारित अवधि पश्चात् आवंटन राशि आवंटियों द्वारा जमा कराये जाने की मांग की है जो निम्नानुसार है:-

क्र. सं	सेक्टर	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का साईज वर्ग मीटर में	आवंटी का नाम	आवंटन पत्र जारी दिनांक	चाहा गया अनुतोष
1	एम	169	139.34	कालुदास	10.04.2012 (दो वर्ष से अधिक)	प्रकरण में एक वर्ष से अधिक की समयावधि हो चुकी है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने के संबंध में निर्णय हेतु प्रस्तुत करना उचित होगा।
2	एन	901	41.80	नरेश कुमार	10.04.2012 (दो वर्ष से अधिक)	उपरोक्तानुसार
3	एन	579	74.31	कालुराम शर्मा	10.04.2012 (दो वर्ष से अधिक)	
4	एन	215	139.34	राजेन्द्र सिंह	10.04.2012 (दो वर्ष से अधिक)	उपरोक्तानुसार
5	आई	371	418.06	छगन लाल	03.04.2012 (दो वर्ष से अधिक)	उपरोक्तानुसार
6	ई	279	418.06	तगाराम परमार	03.04.2012 (दो वर्ष से अधिक)	उपरोक्तानुसार
7	डी	950	418.06	कृष्णदत्त शर्मा	03.04.2012 (दो वर्ष से अधिक)	उपरोक्तानुसार
8	एन	900	41.80	हसम खां	26.04.2012	उपरोक्तानुसार

					(एक वर्ष से अधिक) आवंटी द्वारा भूखण्ड कीमत राशि जमा	
9	के	571	139.34	दीपक दाधीच	13.04.2012 (दो वर्ष से अधिक)	उपरोक्तानुसार
10	डी	403	195.09	श्याम लाल	09.04. 2012(दो वर्ष से अधिक)	उपरोक्तानुसार
11	डी	959	418.06	धनराज	31.08.2014 (एक वर्ष से अधिक)	उपरोक्तानुसार

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त तालिका में वर्णित 1 से 11 तक के प्रकरणों के संबंध में निर्णय लिया गया कि आवेदक लम्बे समय से राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। अतः प्रकरण राज्य सरकार को प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रेषित किया जावे।

2. विवेक विहार आवासीय योजना में लॉटरी द्वारा आंवटित भूखण्डों पर अतिक्रमण होने के कारण प्रकरण प्रस्तुत सूचि अनुसारः–

क्र. सं	सेक्टर	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का साईज (वर्ग मीटर) में	आवंटी का नाम	विवरण	चाहा गया अनुतोष
1	जे	18	260.12	विनोद प्रजापति	मौके पर भूखण्ड पर अतिक्रमण है कब्जा दिया जाना संभव नही है उक्त भूखण्ड के संबंध में जो. वि.प्रा. द्वारा आवंटी को ऋृण हेतु त्रिपक्षिय अनुबंध हस्ताक्षरित है।	अतिक्रमित भूखण्ड अतिक्रमी से रिक्त करवाकर संबंधित अवार्डी को लॉटरी के तहत दिया जावे। अगर रिक्त होना संभव नहीं हो तो संबंधित अवार्डी के अवार्ड दावे से भूखण्ड समायोजित (कम) किया जावे तथा लॉटरी से आवंटी को समान आकार में अन्यत्र लॉटरी से आवंटित

						किया जावे।
2	जे	27	260.12	मदन सिंह	मौके पर भूखण्ड पर अतिकमण है कब्जा दिया जाना संभव नही है।	उपरोक्तानुसार
3	जे	26	260.12	दिनेश कुमार देवल	भूखण्ड पर मंदिर के रूप मे अतिकमण है कब्जा दिया जाना संभव नही	उपरोक्तानुसार
4	जे	31	260.12	सुनील मोहनोत	मौके पर भूखण्ड पर अतिकमण है कब्जा दिया जाना संभव नही है उक्त भूखण्ड के संबंध में जो. वि.प्रा. द्वारा आवंटी को ऋृण हेतु त्रिपक्षिय अनुबंध हस्ताक्षरित है।	उपरोक्तानुसार
5	जे	39	260.12	विकास	मौके पर अतिकमण है कब्जा दिया जाना संभव नही है।	उपरोक्तानुसार
6	जे	38	260.12	ज्योत्सना	मौके पर अतिकमण है कब्जा दिया जाना संभव नही है।	उपरोक्तानुसार
7	एच	959	92.90	धमेन्द्र सोलंकी	मौके पर अतिकमण है कब्जा दिया जाना संभव नही है।	उपरोक्तानुसार
8	एच	960	92.90	संजय कुमार	मौके पर अतिकमण है कब्जा दिया जाना संभव नही है।	उपरोक्तानुसार
9	आई	91	195.10	अनिल कुमार	मौके पर अतिकमण है कब्जा दिया जाना संभव नही है।	उपरोक्तानुसार
10	आई	319	195.10	राजेश कुमार	मौके पर	उपरोक्तानुसार

					अतिक्रमण है कब्जा दिया जाना संभव नही है।	

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तालिका में वर्णित काबिज व्यक्ति को अतिकमी घोषित कर कब्जा खाली करवाया जावे। जब तक कब्जा खाली नहीं होता है, मूल खातेदार को मुआवजा दिये जाने की प्रकिया को रोका जावे तथा यदि कब्जा रिक्त होना संभव नहीं है तो मुआवजे में उक्त भूमि का कम अंकन करते हुए तद्नुसार मुआवजा का समायोजन (घटाते हुए) कर मुआवजा दिये जाने के संबंध में कार्यवाही की जावे। लॉटरी द्वारा आवंटित भूखण्डधारी को अन्यत्र समान माप का भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन किया जावे।

3. विवेक विहार योजना लॉटरी द्वारा आवंटित भूखण्ड जिनकी पत्रावलियॉ उपलब्ध नहीं होने के कारण आवंटियों की मांग अनुसार डुप्लीकेट पत्रावली के संधारण के सम्बन्ध में निम्न सूचि अनुसार प्रकरण प्रस्तुत है:-

क्र. सं	सेक्टर	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का साईज वर्ग मीटर में	आवंटी का नाम	विवरण	चाहा गया अनुतोष
1	ए	228	195.09	मांगी लाल चौधरी	मूल पत्रावली उपलब्ध नही है	पूर्व में बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में सर्व प्रथम सर्चनोट जारी कर, पुलिस थाना में गुमसुदगी की रिपोर्ट, समाचार-पत्र पर में विज्ञप्ति, प्रार्थी से मूल दस्तावेज तलब कर तथा शपथ-पत्र प्राप्त कर डुप्लीकेट पत्रावली संधारित किया जाना प्रस्तावित है।
2	डी	477	195.09	सुशील कुमार	मूल पत्रावली उपलब्ध नही है	उपरोक्तानुसार
3	डी	391	195.09	यतीश चौधरी	मूल पत्रावली उपलब्ध नही है	उपरोक्तानुसार
4	डी	393	195.09	महेन्द्र बाबू बैरवा	मूल पत्रावली उपलब्ध नही है	उपरोक्तानुसार
5	डी	721	195.09	महेश चंद्र	मूल पत्रावली उपलब्ध	उपरोक्तानुसार

					नही है	
6	डी	1000	195.09	शैलेन्द्र सिंह	मूल पत्रावली उपलब्ध नही है	उपरोक्तानुसार
7	डी	1017	195.09	बृजवल्लभ दाधीच	मूल पत्रावली उपलब्ध नही है	उपरोक्तानुसार
8	ई	466	195.09	दीपमाला	मूल पत्रावली उपलब्ध नही है	उपरोक्तानुसार
9	ई	479	195.09	भालाराम	मूल पत्रावली उपलब्ध नही है	उपरोक्तानुसार
10	एफ	205	195.09	मुकेश कुमार	मूल पत्रावली उपलब्ध नही है	उपरोक्तानुसार
11	एफ	214	195.09	राकेश	मूल पत्रावली उपलब्ध नही है	उपरोक्तानुसार
12	जी	79	41.80	जसवंत सिंह	मूल पत्रावली उपलब्ध नही है	उपरोक्तानुसार
13	जी	99	41.80	मोहन लाल	मूल पत्रावली उपलब्ध नही है	उपरोक्तानुसार
14	एच	10	292.64	बाबूलाल टेलर	मूल पत्रावली उपलब्ध नही है	उपरोक्तानुसार
15	एच	1032	92.9	पूनम चंद	मूल पत्रावली उपलब्ध नही है	उपरोक्तानुसार
16	एल	488	139.34	प्रकाश	मूल पत्रावली उपलब्ध नही है	उपरोक्तानुसार
17	आई	143	195.09	राजु	मूल पत्रावली उपलब्ध नही है	उपरोक्तानुसार

18	के	186	139.34	कालूराम	मूल पत्रावली उपलब्ध नही है	उपरोक्तानुसार
19	एम	535	41.08	रवि कुमार	मूल पत्रावली उपलब्ध नही है	उपरोक्तानुसार
20	एन	862	41.08	पदमा राम	मूल पत्रावली उपलब्ध नही है	उपरोक्तानुसार

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार पूर्व बैठक में डुप्लीकेट पत्रावली खोलने के संबंध में लिये गये निर्णय अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर डुप्लीकेट पत्रावली खोलने का निर्णय लिया गया। साथ ही पत्रावली गुम होने के संबंध में कौन जिम्मेदार है, दायित्व निर्धारित कर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

4. विवेक विहार आवासीय योजना में आवंटित भूखण्डों का निम्न विवरण अनुसार अन्य भूखण्ड आवंटन बाबत् प्रकरण सूचि अनुसार प्रस्तुत है:–

क. सं	सेक्टर	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का साईज वर्ग मीटर में	आवंटी का नाम	विवरण	चाहा गया अनुतोष
1	डी	693	195.09	राजश्री भीमवाल	आवंटी द्वारा आवेदन भूखण्ड साईज 221 से 350 व.मी. में आवंटन किया जबकि आवंटन भूखण्ड साईज 195.09 व.मी का हुआ है	प्रार्थी को पात्रता के अनुसार भूखण्ड उपलब्धता के आधार पर आवंटन किया जाना प्रस्तावित है।
2	एम	229	139.34	सरोज गढवाल	आवंटी द्वारा आवेदन भूखण्ड साईज 195.09 व. मी. मे किया गया जबकि आवंटन 139.34 व.मी.हुआ	उपरोक्तानुसार
3	एम	683	41.08	त्रिलोक चंद्र चौहान	आवंटी द्वारा आवेदन भूखण्ड साईज 351 से 500 व.मी.में किया गया जबकि आवंटन 41.08 व. मी. हुआ	उपरोक्तानुसार
4	डी	442	195.09	रामादेवी	उक्त भूखण्ड पूर्व मे श्रीमति रामा देवी आवेदन	सैनिक विधवा की जेडीए एक्ट एवं विवेक विहार

					संख्या 55641 को आवंटित हुआ। श्रीमति रामा देवी का आवेदन सैनिक विधवा श्रेणी मे होने के कारण परंतु उनके पति की मृत्यु सेवानिवृति के पश्चात् होने के कारण शहीद विधवा श्रेणी की पात्रता नही रखने के कारण निरस्त कर दिया गया था जिसके संबंध मे श्रीमति रामा देवी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय से दिनांक 26.09.2011 को स्थगन आदेश प्राप्त किया गया	योजना के निर्देशों में सैनिक विधवा की अवधारणा सेना में कार्यरत् रहते हुए सीमा पर मृत्यु होने से विधवा एवं उसके आश्रित है। उनके लिए यह श्रेणी आरक्षित है। अतः प्रकरण में सेवानिवृत्ति के पश्चात् मृत्यु के प्रकरण खारिज योग्य है।
5	ई	388		श्री कनक सिंघल	आवंटी द्वारा मासिक आय ग्रुप आवेदन श्रेणी में किसी में भी टिक नही किया परंतु जमा पंजिकरण राशि एवम् मासिक आय अनुसार भूखण्ड साईज 221 से 350 व.मी की पात्रता रखता है जबकि आवंटन 418.06 व.मी. का हुआ है	भूखण्ड निरस्त कर आवेदन पत्र में जिस वर्ग के लिए आवंटी पात्र था, उसी वर्ग के माप अनुसार भूखण्ड दिया जावे।
6	एच	524	92.9	भवंर जांगिड़	आवंटी द्वारा आवेदन भूखण्ड साईज 139.34 व.मी. में कियागया जबकि आवंटन 92.90 व.मी. हुआ	जिस वर्ग के लिए केटेगरी में टिक किया उस कॉलम में भूखण्डों का माप दर्ज है उनके अनुसार दिया जावे जो उपलब्धता अनुसार कॉलम में दिये गये माप की

						निम्नतम से अधिकतम की सीमा में होंगे।
7	एच	520	92.90	झमकु	आवंटी द्वारा आवेदन 139.34 व.मी. में किया गया जबकि आवंटन 92.90 व. मी. में हुआ है	भूखण्ड निरस्त कर आवेदन पत्र में जिस वर्ग के लिए आवंटी पात्र था, उसी वर्ग के माप अनुसार भूखण्ड दिया जावे।
8	एच	763	92.90	रतनलाल	आवंटी द्वारा आवेदन भूखण्ड साईज 91 से 220 व.मी. में किया जिसमें निम्न भूखण्ड साईज 92.90, 139.34, 195.09, व.मी. है। जिसमें से प्रार्थी को 92. 90 व.मी. का आवंटन किया गया। परंतु प्रार्थी द्वारा 195.09 व. मी. भूखण्ड साईज आवंटन की मांग की जा रही है।	आवंटी को आवेदन की श्रेणी में दर्ज सीमा के अनुसार 92.90 वर्ग मीटर में आवंटन हो चुका है, बडा भूखण्ड नहीं दिया जा सकता है क्योंकि चयन किये गये कॉलम में 92.90 का आवंटन हो चुका है।
9	डी	949	195.09	दीपीका सिंघवी	आवंटी द्वारा आवेदन भूखण्ड साईज 195.09 व. मी. में किया जबकि आवंटन 92.09 व.मी. का हुआ तत्पश्चात लॉटरी द्वारा अन्य भूखण्ड साईज 195.09 व.मी. का आवंटन किया जो किसी अन्य को पूर्व में आवंटित है।	भूखण्ड निरस्त कर आवेदन पत्र में जिस वर्ग के लिए आवंटी पात्र था, उसी वर्ग के माप अनुसार अन्यत्र लॉटरी द्वारा भूखण्ड दिया जावे।

बैठक में बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तालिका में वर्णित प्रकरण तथा समानान्तर ऐसे प्रकरण जो बैठक में प्रस्तुत नहीं हुए है, का निस्तारण संशोधित लॉटरी पात्रता अनुसार की जाकर किये जाने का निर्णय लिया गया।

5. विवेक विहार आवासीय योजना में आवंटित भूखण्ड जिनमें सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जाना है जो सूचि अनुसार प्रस्तुत है:—

क्र. सं	सेक्टर	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का साईज वर्ग मीटर में	आवंटी का नाम	विवरण
1	जी	157	260.2	भरत लाल मीणा	आवंटी को उक्त भूखण्ड का आवंटन दिनांक 26.09.2011 को किया गया। उक्त भूखण्ड तत्पश्चात किसानो को मुआवजा स्वरूप आवंटित भूखण्डो में पुन आवंटन श्री नेमीचंद को कर दिया गया
2	जी	162	292.64	अशोक कुमार	आवंटी को उक्त भूखण्ड का आवंटन दिनांक 09.09.2011 को किया गया। उक्त भूखण्ड तत्पश्चात किसानों को मुआवजा स्वरूप आवंटित भूखण्डो में पुन आवंटन श्री नेमीचंद को कर दिया गया
3	जी	99	41.8	मोहन लाल	आवंटी को उक्त भूखण्ड का आवंटन दिनांक 28.09.2011 को किया गया। उक्त भूखण्ड तत्पश्चात किसानों को मुआवजा स्वरूप आवंटित भूखण्डो में पुन आवंटन श्री नेमीचंद को कर दिया गया
4	एम	546	41.8	भारमल	आवंटी को उक्त भूखण्ड का आवंटन दिनांक 28.09.2011 को किया गया। उक्त भूखण्ड तत्पश्चात किसानों को मुआवजा स्वरूप आवंटित भूखण्डो में पुन आवंटन श्री नेमीचंद को कर दिया गया
5	एन	586	74.3	श्री भगवाना राम	प्रार्थी द्वारा आवेदन भूखण्ड साईज 74.3 व.मी. में किया है जबकि पंजियन राशि भूखण्ड साईज 41.08 व.मी. की जमा करवाई
6	आई	318	195.09	यशवंत सोलंकी	आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में कांट छांट होने के कारण आवेदन किस वर्ग में किया पता नही चल पा रहा
7	एन	577	74.31	रतनदान	आवंटी द्वारा आवेदन मासिक आय ग्रुप 10001/— से 15000/— में किया। संलग्न आय प्रमाण पत्र अनुसार आवंटी की आय 17680/— रू है। परंतु आवंटी द्वारा पुन प्रार्थना पत्र संलग्न शपथ पत्र प्रस्तुत कर मासिक आय 14000/— रू ही बताई है

2

8	एम	630	41.08	रावल राम	आवंटी द्वारा आवेदन मासिक आय ग्रुप 0 से 10,000/– तक में किया गया जबकि आवंटी की मासिक आय संलग्न प्रमाण पत्र अनुसार 13333/–रू है।
9	एच	555	92.90	गिरधारी लाल पंवार	आवंटी द्वारा आवेदन मासिक आय ग्रुप 15001/– से 30000/– में किया। संलग्न आय प्रमाण पत्र अनुसार आय 15500/–रू प्रस्तुत किया गया व बाद में 15000/–रू का प्रस्तुत किया गया
10	आई	557	41.08	करणी राम	आवंटी द्वारा आवेदन राज्य कर्मचारी वर्ग में किया गया जबकि आवंटी आवेदन के समय अस्थाई कर्मचारी/प्रोबेशनर था।
11	एन	956	41.08	मादा राम	आवंटी ने आवेदन राज्य कर्मचारी वर्ग में किया जबकि आंवटी आवेदन के समय अस्थाई कर्मचारी/प्रोबेशनर था।
12	एम	420	41.08	रतन लाल रैगर	आवंटी ने आवेदन राज्य कर्मचारी वर्ग में किया जबकि आंवटी आवेदन के समय अस्थाई कर्मचारी/प्रोबेशनर था।
13	सी	276	41.08	वैभव कुमार भाटी	आवंटी ने आवेदन राज्य कर्मचारी वर्ग में किया जबकि आंवटी आवेदन के समय अस्थाई कर्मचारी/प्रोबेशनर था। परंतु भूखण्ड की राशि जमा है प्रार्थी द्वारा कब्जा प्राप्त किया जा चुका है
14	ई	468	195.09	वंदना गोदारा	आवंटी द्वारा आवेदन राज्य कर्मचारी वर्ग मे किया गया है जबकि आवंटी आय प्रमाण पत्र अनुसार प्रशिक्षु है और उच्च अध्यनरत है इन्हे 28,690 स्टाईफंड मिलता है।
15	एन	915	41.80	लोकेश कुमार	आवंटी ने आवेदन राज्य कर्मचारी वर्ग में किया जबकि आंवटी आवेदन के समय अस्थाई कर्मचारी/प्रोबेशनर था।
16	एन	929	41.80	अनुपम कुमार	आवंटी ने आवेदन राज्य कर्मचारी वर्ग में किया जबकि आंवटी आवेदन के समय अस्थाई कर्मचारी/प्रोबेशनर था। परंतु भूखण्ड की राशि जमा है व प्रार्थी द्वारा कब्जा प्राप्त किया जा चुका है।
17	एल	120	139.34	खेताराम चौधरी	आवंटी द्वारा आवेदन सैनिक वर्ग में अन्य सैनिक में किया जबकि प्रार्थी भूतपूर्व सैनिक की हैसियत से शिक्षा विभाग में कार्यरत् है।

18	एन	305	41.08	भवंर कंवर	आवेदिका ने आवेदन सैनिक विधवा श्रेणी मे किया जबकि आवेदिका के पति की मृत्यु सेवानिवृत्ति के पश्चात हुई थी।
19	एम	556	41.08	जसी देवी	आवेदिका ने आवेदन सैनिक विधवा श्रेणी मे किया जबकि आवेदिका के पति की मृत्यु सेवानिवृत्ति के पश्चात हुई थी।
20	एम	405	41.08	नोगी	आवेदिका ने आवेदन सैनिक विधवा श्रेणी मे किया जबकि आवेदिका के पति की मृत्यु सेवानिवृत्ति के पश्चात हुआ था।
21	एम	260	41.08	कविता सावलानी	आवेदिका ने आवेदन सैनिक विधवा श्रेणी मे किया जबकि आवेदिका के पति की मृत्यु सेवानिवृत्ति के पश्चात हुआ था।
22	एम	396	41.80	आनंद कवंर	आवंटी द्वारा आवेदन आरक्षण वर्ग सैनिक वर्ग के शहीद सैनिक के आश्रित एवं विधवा में किया गया जबकि आवंटी सेवानिवृत सैनिक की विधवा है
23	ओ	641	74.3	सरलादेवी	आवंटी द्वारा आवेदन आरक्षण वर्ग सैनिक वर्ग में एन.ए. लिखा है तथा किसी अन्य वर्ग में टिक नहीं किया है परन्तु आवंटन सैनिक विधवा वर्ग में हुआ है परन्तु आवंटी सैनिक विधवा नहीं है।
24	एफ	83	195.09	लाखन सिंह मीणा	आवंटी द्वारा भूखण्ड की समस्त राशि जमा करवाने के पश्चात लीजडीड जारी करने के पश्चात लीजडीड निरस्त कर राशि लौटाने की मांग की है
25	एन	44	139.34	रानी पारवानी	आवंटी द्वारा आवेदन राज्य कर्मचारी वर्ग में किया गया जबकि आवंटी आवेदन के समय सेवानिवृत हो चुकी थी इस कारण भूखण्ड का आवंटन निरस्त हो चुका था। परंतु कार्यालय की गलती के कारण भूखण्ड का आवंटन जारी हो गया व आवंटी द्वारा कीमत राशि जमा करवाकर लीजडीड की मांग की जा रही है।
26	के	358	139.34	इन्द्रा देवी	लॉटरी दिनांक 09.09.2011 को लॉटरी सूची में आवेदन संख्या 47252 अंकित है तथा नाम इन्द्रादेवी अंकित है जबकि उक्त आवेदन संख्या 47252 के आवेदक का नाम रमेश कुमार है तथा इन्द्रा देवी के आवेदन नं 47525 है

27	डी	881	418.06	अजय कुमार रस्तोगी	प्रार्थी को लॉटरी द्वारा भूखण्ड का आवंटन हो चुका है जबकि प्रार्थी द्वारा भूखण्ड लेने मे असमर्थ होने के कारण पंजीकरण राशि रू 40,000/– लौटाने की मांग की है।
28	एम	550	41.80	संतोष देवी	आंवटी ने आवेदन अनु.जन.जाति में किया जबकि आवंटी अन्य पिछड़ा वर्ग की है।
29	जे	536	418.06	सीता राम कनौजिया	शिकायतकर्ता श्री नवनीत मेहता द्वारा शिकायत मय सबुत प्रस्तुत कर लिखा है कि आवंटी द्वारा भूखण्ड़ आवंटन की पात्रता गलत प्राप्त की गई है आवंटी के पास पूर्व से ही जोधपुर शहर में मकान है तथा आय प्रमाण पत्र भी स्वंय द्वारा हस्ताक्षरित है

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तालिका में कम संख्या 1 से 4 पर वर्णित प्रकरणों में पूर्व में लॉटरी द्वारा आवंटियों को कब्जा सुपुर्द किया जा चुका था। अतः बाद में किये गये आवंटन को निरस्त किया जावे तथा मूल अवार्डी के शेष मुआवजा भुगतान की कार्यवाही तब तक रोकी जावे जब तक कि उक्त भूखण्डों पर कब्जा खाली नहीं किया जाता है। कम संख्या 5 में वर्णित प्रकरण निरस्त करने का निर्णय लिया गया। कम संख्या 6 में वर्णित प्रकरण में कांटछांट कर अनुसूचित जन जाति वर्ग में आवेदन करने से दुराशयपूर्वक कराय गये आवंटन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया। कम संख्या 7 के संबंध में चाहे गये अनुतोष अनुसार भूखण्ड निरस्त करने का निर्णय लिया गया। कम संख्या 8 में वर्णित प्रकरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि बैठक में मूल पत्रावली प्रस्तुत नहीं होने के कारण प्रकरण लम्बित रखा जावे। कम संख्या 9 से 17 में वर्णित प्रकरणों के संबंध में निर्णय लिया गया कि आवंटन बहाल रखा जावे। कम संख्या 18 से 23 में वर्णित प्रकरणों में प्राधिकरण अधिनियम के अनुसार सेनिक विधवा हेतु आरक्षित श्रेणी में विधवाओं की अवधारणा उन विधवाओं के लिए आरक्षित है जिनके पति सेवा में रहते हुए प्राणत्यागे हों उनसे संबंधित परिवार व विधवाएं ही इसके लिए पात्र है। जबकि सेवानिवृत्ति के पश्चात् सेनिक की मृत्यु से हुई विधवाएं इस श्रेणी में नहीं आने से आवंटन निरस्त करने का निर्णय लिया गया। कम संख्या 24 में वर्णित प्रकरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को पट्टा जारी किया जा चुका है तथा भूखण्ड की कीमत वापसी का कोई प्रावधान नहीं होने से आवेदक की मांग निरस्त की जाती है। कम संख्या 25 में वर्णित प्रकरण में आवेदन के समय प्रार्थी राज्य सेवा से सेवानिवृत हो चुकी थी। अतः आवंटन निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। कम संख्या 26 में वर्णित प्रकरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि जिस नाम से आवंटन हुआ है उसे बहाल रखा जावे फार्म की संख्या के आधार पर आवंटन नहीं हो सकता। कम संख्या 27 में वर्णित प्रकरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि आवेदक को नोटिस दिया जाकर बकाया राशि जमा करवायी जावे। यदि बकाया राशि जमा नहीं करायी जाती है तो नियमानुसार भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया जावे। कम संख्या 28 में वर्णित प्रकरण में आवंटी ने ओ.बी.सी. वर्ग की होते हुए भी अनुसूचित जन जाति में आवेदन कर अनुसूचित जन जाति श्रेणी में दुराशयपूर्वक कराया गया आवंटन निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। कम संख्या 29 में वर्णित प्रकरण के संबंध में प्रकरण आगामी बैठक में विस्तृत जांच बाद रखने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 (7) :: आवासगृह संख्या बी–293, बाम्बे योजना चौखा के संबंध में।

2

नगर सुधार न्यास, जोधपुर द्वारा दिनांक 25.04.2006 को लाटरी द्वारा आवास संख्या बी–293 वाम्बे योजना चोखा में श्री भवराराम पुत्र श्री उदाराम मेघवाल को आवंटन किया गया था। आवेदक द्वारा आवास की सम्पूर्ण राशि जमा करवाकर दिनांक 03.06.2008 को रजिस्टर्ड बैचान श्रीमति नीतू शर्मा पत्नि हेमन्त शर्मा को करा दिया गया था श्रीमति नीतू शर्मा ने प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त आवास अपने नाम हस्तान्तरण करने की मांग की थी न्यास द्वारा नियमानुसार राशि जमा कर दिनांक 26.07.2008 को श्रीमति नीतू शर्मा के नाम हस्तान्तरण आदेश जारी कर दिया गया था इसके पश्चात् न्यास सचिव श्री आर. सी. गुप्ता द्वारा मौखिक निर्देश प्रदान कर उक्त योजना में अहस्तान्तरणीय लीज डीड जारी करने के आदेश प्रदान किये गये थे तब से इस योजना में मूल आवंटित के नाम से ही लीज डीड जारी की जा रही है प्रकरण में प्रार्थीनी के नाम हस्तान्तरण जारी हो जाने के पश्चात् एक मुश्त लीज राशि जमा करा दी गई है तथा लीज मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है। प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रार्थीनी के नाम हस्तान्तरण किया जा चुका है। अतः लीज मुक्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 (8) :: भूखण्ड संख्या 268 मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया के संबंध में।

भूखण्ड संख्या 268 मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया में नगर सुधार न्यास की नीलामी दिनांक 19–01–2006 को श्री भलाराम मेघवाल पुत्र श्री ओगढ़राम द्वारा नीलामी में उक्त क्वार्टर खरीद किया गया था। प्रार्थी द्वारा 1/4 राशि रूपये 17000 जरीये रसीद संख्या 1678/70 दिनांक 19–01–2006 को जमा करवा दी गई। प्रार्थी द्वारा 3/4 राशि जमा नहीं करवाई गई। भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 14 संख्या 3 के अनुसार 2 वर्ष की अवधि तक अर्थात दिनांक 19.01.2008 15 प्रतिशत ब्याज एवं बकाया राशि पर 10 प्रतिशत शास्ति वसूल कर प्राधिकरण की कार्यकारी समिति नियमित करने हेतु सक्षम है। चूंकि उक्त प्रकरण में निलामी तारीख 19.01.2006 आज दिनांक लगभग 7 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है। दो वर्ष के पश्चात् के प्रकरण को नियमिति के अधिकार नगरीय विकास विभाग को है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर प्रकरण निर्णय लेने हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 (9) :: फलेट संख्या एल–31–01 व फलेट संख्या ई–11–303 पति व पत्नि दोनों को खुलने के संबंध में।

श्री विजय सतवानी पुत्र लक्षमण दास सतवानी का फ्लेट संख्या एल–31–01 अफोर्डेबल हाऊसिग पालिसी पे लॉटरी द्वारा आवटित किया गया प्रार्थी को प्रोविजनल आवटन पत्र क्रमांक 872 दिनांक 6/9/2011 को जारी किया गया प्रार्थी द्वारा दो वर्ष से अधिक रूप्ये व्यतीत हो जाने के पश्चात की रकम जमा नही कराई गई प्रार्थी द्वारा अपनी मासिक आय 8500/– अकित की गई है। और प्रार्थी की पत्नि का भी फ्लेट खुल गया प्रार्थी की पत्नि श्रीमती कविता सतवानी पत्नि विजय सतवानी को फ्लेट संख्या ई–11–303 आवटित किया गया । प्रार्थी को प्रोविजन आवटन पत्र क्रमांक 205 दिनांक 23/8/2011 को आवटित किया गया प्रार्थी द्वारा उक्त फ्लेट की राशि लगभग एक वर्ष पश्चात जमा कराई गई है। अतः पति पत्नि की दोनो की आय 8500+3200=11700/– होती है। जो आय से अधिक है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श कर निर्णय लिया कि पति की जमा धरोहर राशि जब्त की जावे तथा पत्नि के नाम आवंटन को बहाल रखा जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 (10) :: कियोस्क संख्या 4 क, सांधी पेट्रोल पम्प के संबंध में।

कियोस्क संख्या 4क साधी पेट्रोल पम्प की दुकान श्रीमती अयोध्या देवी पत्नि श्री भवरलाल के नाम से दी गई थी। जिसमे अमानत राशि 1000/– जमा कराई गई। अमानत राशि बकाया नही दिलाने पर समायोजित कर दी गई थी। विस्थापित को सहायतार्थ आंवटित कियोस्क का बैचान, दान करना गैर कानूनी है, क्योकि कियोस्क में न नाम ही बेचान किया जा सकता है और नही दान किया जा सकता क्योकि कियोस्क किराये पद्वति पर दी जाती है, क्योकि कियोस्क किराये पद्वति पर दी जाती है, क्योकि सरकार द्वारा सहायता सहातथार्थ शून्य मूल्य हुआ था। आंवटित कियोस्क अयोध्या देवी को आंवटित किया गया था। किन्तु अब तक कई मालिक बदल चुके है। पानी का बिल अयोध्या देवी के नाम व बिजली का बिल मोतीराम के नाम से और पावर ऑफ एटोनी श्री रामेश्वरलाल के नाम जबकि अन्तिम किराया श्री त्रिलोकसिंह द्वारा श्री इन्द्रसिंह के नाम से है। कनिष्ठ अभियन्ता रिपोर्ट दिनाक 25.06.2013 के अनुसार आंवटित कियोस्क के पूरे डिजाइन स्वरुप को मनमर्जी से बदल कर साईज 10 गुणा 13 फीट की जा चुकी है, जबकी कियोस्क कियोस्क की मूल साईज 7 फीट गुणा 7 फीट की है। जबकि कियोस्क को 10 गुणा 13 फुट बना लिया है। इस प्रकार 7 फीट 7 फीट की कियोस्क वर्तमान में 10 गुणा 13 फीट की दुकान मे बदल चुकी है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष रखा जाना प्रस्तावित है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में आवंटन निरस्त करने का निर्णय लिया गया। अतः तद्नुसार कार्यवाही कर प्राधिकरण आवंटित कियोस्क का कब्जा प्राप्त करें।

प्रस्ताव संख्या 4 (11) :: आवास संख्या सी–84 वाम्बे योजना के संबंध में।

वाम्बे योजना चौखा में श्री छगनसिंह पुत्र श्री किशनासिंह को लॉटरी दिनांक 25.04.06 में आवास सी–84 आवंटन किया गया था प्रार्थी द्वारा दो वर्षो तक किसी प्रकार की राशि आवास पेटे जमा नही कराई गई। प्रार्थी का दिनांक 08.08.2011 के जरिये अन्तिम अवसर 31.08.2011 तक राशि जमा कराने हेतु पत्र जारी किया गया लेकिन प्रार्थी द्वारा राशि जमा नही कराई गई। प्रार्थी का प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30.07.2012 में रखा गया जिससे प्रस्ताव सं. 06 में निर्णय लिया गया की आंवटी की आवास स्वत निरस्तीकरण की श्रेणी में आ चुका हैं अतः प्रार्थी को निरस्तीकरण नोटिस जारी कय जावे एवं पुनः नियमन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ राज्य सरकार को नियमन के साथ भिजवाया जावे। प्रार्थी को पत्र क्रमांक 299 दिनांक 20.09.2012 को आवास का नरस्तीकरण नोटिस जारी किया गया जिसमें अन्तर्गत प्रार्थी ने आवास की राशि ब्याज व शास्ती सहित जमा कराने वक्त दिनांक 14.05.2014 को अपनी सहमती प्रदान की हैं। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति में रखा जाकर राज्य सरकार की अनुमति प्रदान कर राशि जमा करने बाबत् विचारार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवंटी को पूर्व में अवसर प्रदान किया जा चुका है लेकिन आवंटी द्वारा वांछित राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण आवंटी डिफाल्टर है। अतः आवंटन निरस्त किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 (12) :: भूखण्ड संख्या 91 सेक्टर एफ, राजीव गांधी नगर योजना के संबंध में।

प्रार्थी श्री लक्ष्मणराम पुत्र श्री सोहनराम को आरक्षित श्रैणी सैनिक वर्ग से भू. सं. 91, सेक्टर–एफ, राजीव गांधी नगर योजना में लॉटरी द्वारा दिनांक 15.02.2010 को आवंटित हुआ। आवंटन पत्र दिनांक 19.03.2010 को कार्यालय से डिस्पेच किया गया।

2

दिनांक 07.02.2011 को भिजवाया गया, जिसमें पत्र प्राप्ति के 30 दिवसो में नियमानुसार भूखण्ड की बकाया राशि जमा कराने का लिखा गया। बकाया राशि दिनांक 08.03.2011 को जमा की गई। आवंटन पत्र दिनांक 07.02.011 को भेजा गया तथा राशि जमा की जा चुकी है। किन्तु ब्याज व शास्ती राशि को समाप्त किया जाये अथवा नहीं ? प्रकरण निर्णय के लिए कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि मूल पत्रावली के अनुसार आवंटन पत्र डिस्पेच की तिथि से एक वर्ष की अवधि के पश्चात् भेजा गया है। पत्र प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् आवंटी द्वारा भूखण्ड की कीमत राशि जमा करवादी दी थी। अतः उपरोक्त परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए ब्याज व शास्ति की राशि माफ की जाती है तथा इस हेतु दोषी का दायित्व निर्धारित कर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

प्रस्ताव संख्या 4 (13) :: डुप्लीकेट पत्रावली संधारण करने के संबंध में।

वसूली शाखा (पश्चिम–जोन) लिपिक द्वारा अवगत करवाया गया कि :–

1. भूखण्ड सं. 16, खसरा नं. 129 व 130 प्रार्थी श्री राजेश शर्मा व श्रीमी निशा शर्मा की पत्रावली संबंधित शाखा में उपलब्ध नहीं होना पाया गया है।
2. भूखण्ड सं. 40, खसरा नं. 130 प्रार्थी श्री डॉ. अशोक कुमार बोहरा की पत्रावली संबंधित शाखा में उपलब्ध नहीं होना पाया गया है।
3. भूखण्ड सं. 17, खसरा नं. 91, ग्राम चौपासनी जागीर, प्रार्थीनी श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री घेवरचन्द की पत्रावली संबंधित शाखा में उपलब्ध नहीं होना पाया गया है।
4. भूखण्ड सं. 18, खसरा नं. 91, ग्राम चौपासनी जागीर, प्रार्थी श्रीमती सुरेन्द्र कौर ओबेराय पत्नी श्री मोहिन्दरपालसिंह ओबेराय की पत्रावली संबंधित शाखा में उपलब्ध नहीं होना पाया गया है।

इस संबंध में प्राधिकरण की समस्त शाखा से सर्च नोट जारी कर संबंधित लिपिक एन. ओ.सी. चाही गई, जिसके अनुसार निश्चित समयावधि मे पत्रावली प्राप्त नहीं हुई है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार पूर्व बैठक में डुप्लीकेट पत्रावली खोलने के संबंध में लिये गये निर्णय अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर डुप्लीकेट पत्रावली खोलने का निर्णय लिया गया। साथ ही पत्रावली गुम होने के संबंध में कौन जिम्मेदार है, दायित्व निर्धारित कर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 (14) :: भूखण्ड संख्या 5 ग्राम चौखा खसरा संख्या 720, 723 आवंटी श्रीमती अनिता भण्डारी पत्नि श्री जी.एम. भण्डारी के संबंध में।

न्यास द्वारा दिनांक 11.09.1988 को श्रीमती अनिता भण्डारी पत्नी श्री जी.एम. भण्डारी को भूखण्ड संख्या 88 सेक्टर 'बी' कीर्ति नगर नाप 83.16 वर्ग मीटर का आवंटन किया गया था। जिसकी राशि जमा होकर दिनांक 29.04.1989 का लाईसेन्स मय साईट प्लान जारी किया गया था। श्रीमती अनिता भण्डारी को आवंटित भूखण्ड का अन्य किसी व्यक्ति का अतिक्रमण होने के कारण न्यास के कार्यालय आदेश क्रमांक 2903–07 दिनांक 21.07.2008 के अनुसार ग्राम चौखा खसरा नं. 720 व 723 में भूखण्ड संख्या 5 आवंटन किया गया। अधिक क्षेत्रफल की राशि रूपये 58415.00 न्यास कोष में जमा करवाकर खसरा नं. 720 व 723 की लीजडीड की मांग की है। प्रकरण लम्बित है। कार्यकारी समिति के समक्ष प्रकरण विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में आवंटी को लीज डीड जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 (15) :: विवेक विहार आवासीय योजना में खातेदारों को 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूखण्ड आवंटन बाबत।

विवेक विहार आवासीय योजना में खातेदारों को 5 प्रतिशत व्यवसायिक भूखण्ड आवंटन हेतु विभिन्न सडक मार्गाधिकारों (160 फीट, 120 फीट, 100 फीट, 60 फीट एवं 40 फीट) पर आवश्यकतानुसार दिया जाना है। इस योजना में व्यवसायिक भूखण्ड आवंटन हेतु आवश्यक क्षेत्रफल की उपलब्धता कम है। अतः खातेदारों की मांग अनुसार सेक्टर ओ, सेक्टर एच और सेक्टर एन की 120 फीट सडक पर चिन्हित आवासीय भूखडों को व्यवसायिक आवंटन हेतु लिया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति में उत्तरोतर स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान निदेशक–आयोजना ने अवगत कराया कि वाणिज्यिक भूखण्ड़ों की लॉटरी निकाली जा चुकी है तथा उक्त आवंटन से अब खातेदारों का कोई क्लैम बकाया नहीं रहता है इस तथ्य की पुष्टि की जाये। प्रकरण में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण का पुनः विस्तृत परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 (16) :: श्रीमति सुनिता कल्ला पत्नि श्री सुरेन्द्र प्लाट नं. 65/2 रामराज नगर के बदले अन्य भुखण्ड बाबत्।

श्रीमति सुनिता कल्ला पत्नि श्री सुरेन्द्र को दतोपंत ठेंगड़ी नगर योजना में आवेदन करने पर दिनांक 25.07.2008 को भुखण्ड सं. 544 आवंटन किया गया। उक्त भुखण्ड कि लीज डीड दिनांक 22.07.2009 को जारी कि गई जिस पर अतिक्रमण होने की वजय से प्राधिकरण कि बैठक दिनांक 23.04.2010 के प्रस्ताव सं. 4(3) के द्वारा वेकल्पिक भुखण्ड आवंटन करने का निर्णय लिया गया। निर्णय कि पालना में दिनांक 14.10.2010 को लोटरी द्वारा रामराज नगर के सेक्टर नं. 2 भुखण्ड सं. 65 आवंटित किया गया जिसका कब्जा दिनांक 3.10.2011 को श्रीमति सुनिता कल्ला पत्नि श्री सुरेन्द्र के द्वारा प्राप्त किया गया। जब कि उक्त भुखण्ड श्री दीनदयाल चितलंगी को आवंटन किया हुआ है। इसका कब्जा दिनांक 03.02.2011 को दिया जा चुका है। इस कारण दौहरा आवंटन हो रखा है। श्रीमति सुनिता कल्ला पत्नि श्री सुरेन्द्र को रामराज नगर योजना में अन्य भुखण्ड आवंटन करनें हेतु पत्रावली विचाराधीन है। एंव उक्त परिवाद सं. 551/12 के द्वारा जिला उपभोक्ता सरक्षण मंच के अर्न्तगत दिनांक 27.11.2012 के द्वारा आदेश प्राप्त हैं कि श्रीमति सुनिता कल्ला पत्नि श्री सुरेन्द्र को रामराज नगर योजना में एक भुखण्ड आरक्षित रखा जावें। चुंकि रामराज नगर योजना माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं अतः वर्तमान में उक्त योजना में भुखण्ड दिया जाना सभंव नही हैं। इस बाबत् प्राधिकरण के अन्य योजना में भुखण्ड आंवटित किया जाना है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर प्रकरण निर्णय लेने हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रार्थी को कॉर्नर भूखण्ड 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि वसूल करते हुए आवंटन किया जावे। इस हेतु आवंटी से सहमति प्राप्त की जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 (17) :: श्रीमती वर्षा मुलानी/श्री जयप्रकाश आवासगृह संख्या ए–78, चौखा वाम्बे योजना बाबत

श्रीमती वर्षा एंव प्रकाश लालवानी के द्वारा वाल्मिकी अम्बेडकर मलीन बस्ती आवासीय योजना के अन्तर्गत आवेदन क्रंमाक 1176 आवेदन किया जिस पर उक्त योजना चौखा के

अन्तर्गत मे लॉटरी दिनांक 25.04.06 को क्रम संख्या 39 फार्म नम्बर 1314 मे आवास गृह बी–45 आवंटित हुआ। किन्तु कम्प्यूटर की त्रुटि के कारण इन्हे संशोधन कर ए–78 आवंटित किया गया। तथा पुनः लॉटरी दिनांक 03.07.08 मे क्रम संख्या 19 पर फार्म नम्बर 1314 विजय कवर को बी–45 को आवास गृह आंवटन किया गया है। सम्बन्धित (वर्षा एंव प्रकाश लालवानी) को आवंटन पत्र क्रमाक 4664 दिंनाक 23.09.08 को जारी किया गया सम्बन्धित ने प्राधिकरण कोष मे दिंनाक 31.12.08 को आवास गृह की राशि जमा करा दी एंव एक मुश्त लीज राशि भी दिनांक 04.07.2012 को जमा करवाकर लीजडीड (पट्टा फार्म) हेंतु साथ मे स्टाम्प ड्यूटी का 500/– रुपये का स्टाम्प पत्र प्रस्तुत कर दिया है। प्राधिकरण की हुड़को शाखा से इस बाबत रिर्पोट चाही गई जिस पर पत्रावली के पैरा नम्बर 28 मे रिर्पोट दी गई है, कि आवास गृह बी–45 चौखा का हुड़को शाखा मे रजिस्टर अनुसार रिक्त है। एंव आवास गृह ए–78 चौखा का वर्षा/प्रकाश लालवानी के नाम से रजिस्टर मे दर्ज है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति मे रखे जाने के निर्देशानुसार उचित निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 (18) :: श्री प्रेमाराम प्रजापत पुत्र श्री फूलाराम प्रजापत आवासगृह संख्या सी–336, चौखा वाम्बे योजना बाबत।

श्री प्रेमाराम प्रजापत निवासी चादणा भाखर जोधपुर के आवेदन पत्र दिंनाक 20.09.2012 द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया है, मुझे उक्त योजना के अन्तर्गत आवास गृह आंवटित हुआ है, किन्तु उक्त आवास गृह का आवंटन पत्र मुझे प्राप्त नही हुआ है, सम्बन्धित की पत्रावली का अवलोकन करने पर श्री प्रेमाराम प्रजापत को आवास गृह का आंवटन पत्र की मूल एंव कार्य प्रति पत्रावली मे ही सलग्न पाई गई है। जिस पर कार्यकारी समिति मे उक्त प्रकरण रखे जाने का प्रस्तावित किया है। विधि शाखा से विधि राय ली गई है, जिस पर उन्होने निस्पादन नियम 1974 के नियम 17(5) के तहत आवंटन के 90 दिन बाद राशि जमा न होने की दशा मे आंवटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है। अतः कार्यकारी समिति की मीटिंग मे ही निर्णय लिया जाकर संस्तुती राज्य सरकार को भिजवाई जाने की टिप्पणी की है। इस सम्बन्ध मे पुनः निवेदन है, कि उक्त योजना कि लॉटरी दिनांक 25.04.06 समान्य वर्ग के क्रम संख्या 47 मे फार्म नम्बर 10848 पुष्पा/लालचन्द के नाम आवास गृह 336 निकाली गई है। जबकी फार्म नम्बर श्री प्रेमाराम का है, तथा इसकी पुनः लॉटरी दिनांक 03.07.08 को निकाली गई, उसके क्रम संख्या 21 पर फार्म नम्बर 10848 प्रेमाराम के आगे सी–336 है। इस प्रकार उक्त प्रकरण विरोधावास है, एंव पुष्पा/लालचन्द लॉटरी मे आवंटित आवेदक द्वारा रिफण्ड प्राप्त कर लिया है। जबकि कम्प्यूटर की त्रुटि के कारण न्यास बैठक दिंनाक 25.03.08 मे निर्णय लिया गया है, कि आवंटित आवास नाम के अनुसार आवटन पत्र जारी किये जावे। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिंनाक 02 मई 2013 के प्रस्ताव संख्या 5 मे रखा गया है। बैठक मे बाद विचार विमर्श निर्णय लिया गया है, कि इस सम्बन्ध मे आवेदक को आगामी बैठक मे बुलाया जाए, तत्पश्चात् आगामी बैठक मे निर्णय लिया जाएगा, निर्णय की पालना मे प्रकरण दिंनाक 13.06.13 को प्रस्तुत किये जाने वाले एजण्डा मे प्रस्तुत है तथा कार्यकारी समिति कि बैठक कि तिथि निर्धारित होने पर आंवटी को उपस्थित होने हेंतु पत्र जारी किया जाऐगा। जिससे प्रस्ताव संख्या 5 की पालना कि जा सके। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर प्रकरण निर्णय लेने हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि फार्म की संख्या को आधार नहीं माना जा सकता है। अतः लॉटरी जिस व्यक्ति के नाम निकली है, उसी का आवंटन यथावत् रखते हुए दूसरे व्यक्ति की यदि राशि जमा है तो रिफण्ड की जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 (19) :: श्री रामावतार मीणा पुत्र श्री ठंडीराम मीणा एवं उनकी पत्नि श्रीमती शान्ति मीणा के राजीव गांधी नगर आवासीय योजना

में भूखण्ड संख्या एफ–15 एवं 21 आवंटन में से एक को आवंटन करने के लिए स्वीकृति चाहने पर नोटिस दिये जाने के बावजूद सहमति अप्राप्त होने पर आवंटित भूखण्ड निरस्त बाबत।

श्री रामावतार मीणा पुत्र श्री ठंडीराम मीणा एंव उनकी पत्नी श्रीमती शान्ति मीणा के राजीव गांधी नगर आवासीय योजना मे भूखण्ड संख्या 15 एंव 21 आवंटन किया गया है, चूंकी पति एंव पत्नि मे से एक को ही भूखण्ड आंवटन करने का प्रावधान है। इस हेंतू इन दोनो को इस कार्यालय के पंत्राक 487 एंव 488 दिंनाक 05.01.12, तथा 532 एंव 533 29.01.13 के द्वारा दोनो मे से एक भूखण्ड रखने सहमति पत्र 7 दिवस मे सयुक्त रुप से भिजवावे अन्यथा दोनो भूखण्ड निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए आंवटित स्वयं जिम्मेदार रहने हेंतु लिखा गया है। जिसमे दोनो आंवटियों ने कोई प्रतिउत्तर नही भिजवाया है। अतः उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक मे रखने हेंतू दिनाक 18.06.2013 को निर्देश प्राप्त हुऐ है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर प्रकरण निर्णय लेने हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में आवंटन निरस्त करते हुए धरोहर राशि जब्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण संख्या 4 (20) :: श्री डुंगरराम पुत्र श्री दीपाराम भूखण्ड संख्या जे–93 राजीव गांधी नगर आवासीय योजना के सम्बन्ध मे।

श्री डुंगरराम पुत्र श्री दीपाराम को राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में लॉटरी द्वारा जे–93 (6x15)=90 वर्गमीटर आवंटित हुआ। आवेदक द्वारा स्वंय की आय का आय प्रमाण पत्र प्रवक्ता राजर्षि महाविधालय, अलवर का आवेदन पत्र के साथ 10,500 रुपये प्रति माह का प्रस्तुत किया। आय प्रमाण पत्र प्रवक्ता अलवर के द्वारा हस्ताक्षर है, किन्तु प्रमाण पत्र मे दिनांक 11.12.09 तथा स्थान जोधपुर अंकित किया गया है। इस आय प्रमाण पत्र की जांच करने हेतु प्राचार्य राजर्षि महाविधालय अलवर को इस कार्यालय के पंत्राक क्रंमाक 554 दिनांक 12.02.2013 के द्वारा लिखा गया है। जिसके प्रतित्तर मे अलवर के पत्र क्रंमाक 4070 दिंनाक 20.02.2013 के द्वारा लिखा है, कि यह महाविधालय सरकारी है। तथा प्रवक्ता राजपत्रित अधिकारी होता है। किन्तु प्रवक्ता राजर्षि महाविधालय, अलवर की मोहर पर हस्ताक्षरित प्रवक्ता का नाम नही दर्शाया गया है। तथा दिसम्बर 2009 की उपस्थिति के अनुसार उक्त हस्ताक्षर का मिलान किसी प्रवक्ता के हस्ताक्षर से मिलान नही हो रहा है। इस वस्तुस्थिति के बारे मे श्री डुगरराम पुत्र श्री दीपाराम चौधरी ग्राम पोस्ट देवानिया तहसील शेरगढ़ जिला जोधपुर को इस कार्यालय के पत्र क्रंमाक 628 दिंनाक 14.03.2013 के द्वारा अलवर से प्राप्त पत्र के सन्दर्भ मे स्पष्टीकरण 7 दिवस मे प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया है। बाद मयाद स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर आवंटित भूखण्ड जे–93 निरस्त कर दिया जाऐगा। जिसके लिए आप स्वंय जिम्मेदार रहेंगे। जिसका प्रतित्तर आज दिनांक तक अप्राप्त है। सम्बन्धित आंवटी का स्पष्टीकरण अप्राप्त होने पर आवंटीत भूखण्ड को निरस्त करने हेतु कार्यवाही प्रस्तावित कि गई है। जिस पर उक्त प्रकरण कार्यकारी बैठक मे निर्णय करने हेतु आदेश प्रदान किये है। अतः उक्त प्रकरण कार्यकारी बैठक मे उचित निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में आवंटन निरस्त करते हुए धरोहर राशि जब्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण संख्या 4 (21) :: नरपत सिंह चौहान पुत्र अमर सिंह निरस्त भूखण्ड संख्या 534 दत्तोपन्त ढेगड़ी नगर योजना के पुनः विचार बाबत्।

2

1. श्री नरपत सिंह चौहान पुत्र अमर सिंह के द्वारा आवेदन पत्र सख्या 0280, साईज 250 वर्ग मीटर के लिए दत्तोपन्त ठेंगड़ी नगर योजना मे आवेदन किया गया है। जिसकी आय ग्रुप 12,001 से 20,000 एंव मासिक आय 30,393 प्रतिमाह दर्शाई गई है। जिस पर दिनांक 25.07.2008 को लॉटरी द्वारा भुखण्ड संख्या 534 का आंवटन हुआ। आंवटन होने पर आंवटन पत्र संख्या 4166 दिनांक 25.08.08 को जारी किया।

2. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनाक 13.04.2010 को प्रस्ताव संख्या 4(1) के निर्णय अनुसार आवेदित भूखण्ड की अधिकतक मासिक आय 20,000 रुपये प्रतिमाह की निर्धारित होने से आंवटित भूखण्ड को आंवटन शाखा पश्चिम के पत्र क्रमांक 9928-32 दिनाक 28.02.2011 के द्वारा निरस्त किया गया, एंव जमा कराई गई राशि के आवेदन पुस्तिका के बिन्दु संख्या 15 के अनुसार धरोहर राशि जब्त कर शेष राशि लौटाने की स्वीकृति प्रदान कि गई।

3. नरपत सिंह चौहान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है, कि इस प्रकृति के प्रकरण मे श्री नाथु सिंह भाटी को सुन्दर सिंह भण्डारी योजना मे राज्य कर्मचारी वर्ग मे 12,001 से 20,000 रुपये मे आवेदन किया गया। जिन्हे भूखण्ड संख्या 10 नाप 39x89-324 वर्गमीटर आंवटन किया गया उक्त श्री नाथु सिंह की आय आयवर्ग से अधिक होने के कारण सम्बन्धित आयवर्ग आय वर्ग मे पात्रता नही रखने के कारण प्राधिकरण की बैठक दिनाक 13.04.2010 मे आंवटित भूखण्ड निरस्त कर दिया गया था।

4. उक्त श्री नाथु सिंह ने निरस्तीकरण आदेश के विरुद्व माननीय उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण व राज्य सरकार के विरुद्व एस.बी. सिविल रिट याचिका दायर कर दी। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनाक 18.10.11 को अपने निर्णय की पद संख्या 8 प्राधिकरण को याचिका कर्ता नाथुसिंह के मामले में पुनर्विचार करने हेंतु आदेशित किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना मे प्राधिकरण की बैठक दिनाक 23. अप्रेल, 2012 को आंवटित का बहाल किया गया।

5. श्री नरपत सिंह चौहान एंव श्री नाथु सिंह भाटी का प्रकरण समान प्रकृति का होने से पुनः विचार करने हेंतु निवेदन किया है। जिस पर श्रीमान सचिव महोदय ने कार्यकारी समिति की बैठक मे प्रस्ताव मे रखने हेंतु दिनाक 06.01.14 को आदेश दिये गए है।

अतः आगामी कार्यकारी समिति की बैठक मे प्रस्ताव रखने के आदेशानुसार उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में आवंटन बहाल किया जाता है। आवंटी से वर्तमान आरक्षित दर से राशि वसूल की जावेगी। इस हेतु आवेदक से सहमति प्राप्त की जावे। रामराज नगर योजना में लम्बित अन्य समानान्तर प्रकरणों में (चाहे वे इस हेतु माननीय न्यायालय में लम्बित है) इसी अनुरूप कार्यवाही कर प्रकरणों का निस्तारण किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 (22) :: जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच प्रकरण संख्या 419/11 बाबत भूखण्ड संख्या 129 दन्तोपंत ढेंगडी नगर

01. श्रीमती कमला भाटी नगर विकास न्यास द्वारा दिनांक 25.07.2008 को लॉटरी द्वारा भूखण्ड़ संख्या 129 दन्तोपन्त ढेगड़ी नगर सें आवंटन हुआ जिसका। आवंटन पत्र दिनाक 26.08. 2008 को जारी हुआ।

02. आंवटी द्वारा भूखण्ड़ की बकाया राशि 96,065/-रसीद सख्या 44760 दिनांक 26.09. 2008 को जमा करा दियें गये। आवंटी द्वारा आवेदन पत्र के साथ रूपयें 15,000/-

2

चालान संख्या 1413 द्वारा जमा करायें। इस प्रकार भूमि की कुल किमत रू. 1,11,065/- प्राधिकरण कोष में जमा हैं।

03. प्रार्थिनी द्वारा भूखण्ड़ की लीजड़ीड़ की मांग करनें पर भूखण्ड़ का भौतिक कब्जा दिया जाने हेतु पत्र जारी किया गया है। भुखण्ड़ संख्या 129 योजना मानचित्र अनुसार कोर्नर का है। भुखण्ड़ का साईट प्लान बनवानें हेतु कनिष्ठ अभियन्ता सें भूखण्ड की मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार प्रार्थिनी के भूखण्ड़ के पास सड़क का निर्धारित नाप उपलब्ध नही होना बताया गया है।

04. पुर्व में न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क.ख. एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 जोधपुर में दिवानी विविध वाद संख्या 48/09 उम्मेदाराम पुत्र श्री सोनाराम बनाम नगर सुधार न्यास जोधपुर एंव राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार जोधपुर के अन्तर्गत स्थगन आदेश प्राप्त था। जिसका निर्णय दिनांक 11.12.2009 को हुआ जिसके अनुसार प्रार्थी उम्मेदाराम द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी पी सी विरूध्द नगर सुधार न्यास वगैरा अस्वीकार किया जाकर खारीज किया गया । इस निर्णय के विरूव्द श्री उम्मेदाराम पुत्र श्री सोनाराम नें न्यायालय अपर जिला एंव सेशन्स न्यायाधीश संख्या तीन, जोधपुर में अपील संख्या 06/2010 प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 19.02.2010 को हुआ। निर्णयानुसार अपीलार्थी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारीज की जाती हैं व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2009 की पुष्टि की गई। उक्त दोनों निर्णय के विरूव्द श्री उम्मेदाराम पुत्र श्री सोनाराम द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 2500/2010 प्रस्तुत की। जिसका निर्णय प्राधिकरण के पक्ष में दिनांक 15.07.2010 को हुआ । अतः विभिन्न न्यायालय में वाद के लम्बित रहतें हुए आवंटी श्रीमती कमला देवी को भूखण्ड़ का भौतिक कब्जा नही दिया जा सका।

05. श्रीमती कमला देवी को भूखण्ड़ की लीज राशि जमा करनें हेतु नोटीस जारी किया गया।

06. श्रीमती कमला देवी को भूखण्ड़ की लीज राशि रूपयें 4,118/- जरियें रसिद संख्या 900/20/6 दिनांक 04.01.2011 को प्राधिकरण कोष में जमा करा दियें।

जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच प्रकरण संख्या 419/11 के अन्तर्गत दिनांक 30.09.2013 का निर्णय प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थीनी का भूखण्ड सं. 129 के बदलें राजीव गाधी नगर योजना चौखा में कोनर भूखण्ड आवंटित कर पट्टा जारी कर कब्जा सपुर्द किया जाना हैं।

उपरोक्त निर्णय की पालना शीघ्र कि जानी हैं। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्रकरण में कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 (23) :: प्रकरण संख्या 306/12 श्री चन्दशेखर आसेरी बनाम जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर न्यायालय जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण, जोधपुर

01. श्री चन्दशेखर आसेरी पुत्र श्री छगन लाल आसेरी के द्वारा आवेदन पत्र संख्या 11742 राजीव गांधी नगर आवासीय योजना अन्तर्गत आवेदन पत्र किया गया। जिस पर लॉटरी दिनांक 15.02.2010 के द्वारा इन्हें भूखण्ड संख्या ड़ी - 275 (9गुणा18) 162 वर्ग मीटर का आवंटित हुआ हैं। 2

02. श्री चन्दशेखर आसेरी द्वारा आवेदन पत्र में मासिक आय वर्ग 15001 सें 30,000/— में 162 वर्गमीटर का एंव आरक्षित श्रेणी में राज्य कर्मचारी वर्ग के अन्तर्गत केन्द्रीय कर्मचारी लिख कर चिन्हित किया गया।

03. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के आरक्षित वर्ग में स्वयं केन्द्रीय कर्मचारी के अनुसार आवेदन किया है, तथा राज्य कर्मचारी के अनुसार भूखण्ड़ आवंटन हुआ। अतः केन्द्रीय कर्मचारी का कोई आरक्षित वर्ग की श्रेणी में आरक्षण नही था।

04. उक्त आवेदन पत्र की जॉच अधिकारी द्वारा जॉच करनें पर आवेदन द्वारा आवेदन पत्र में अपने हाथ सें केन्द्रीय कर्मचारी अंकित करनें तथा आरक्षित श्रेणी वर्ग नही हैं, जिससें करण उक्त भूखण्ड़ के पात्र नही होनें सें पत्र क्रमांक 1014 दिनांक 13.07.2010 एंव 2299 दिनांक 09.09. 2010 के द्वारा केन्द्र कर्मचारी वर्ग को आरक्षित वर्ग मानतें हुए तथा आवंटित भुखण्ड के पात्र नही होनें सें आवंटित भूखण्ड़ डी–275 को पत्र क्रमाकं 1014 दिनांक 13.07.2010 एं. वर्ग 2299 दिनांक 09.09.2010 के द्वारा निरस्त किया गया है जिसकीं सूचना संबंधित को भेजी जा चुकी है।

न्यायालय जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण, जोधपुर के निर्णय दिनांक 30.08.2013 के द्वारा निर्णय की तारीख सें दो माह के भीतर परीवादी को भूखण्ड सं. डी–275 राजीव गांधी आवसीय योजना में आवंटित कर भूखण्ड का कब्जा सुपुर्द कियें जानें का आदेश प्रदान किया है। उपरोक्त निर्णय की पालना शीघ्र कि जानी हैं। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

प्रकरण में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि माननीय न्यायालय के निर्णय की अनुपालना सुनिश्चित की जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 (24) :: एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 10107/ 2012 मनमोहन शर्मा बनाम् राजस्थान सरकार व अन्य।

.बैठक में अवगत कराया गया कि मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया के भूखण्ड संख्या 40 सेक्टर ए श्री मनमोहन शर्मा को दिनांक 4 मार्च, 1999 को आवंटन किया गया था। प्रार्थी को आवंटन –पत्र दिनांक 18 मार्च, 1999 को जारी किया गया था। आवंटी द्वारा भूखण्ड की राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण भूखण्ड निरस्त कर दिया गया। प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 अप्रैल, 2010 के प्रस्ताव संख्या 27 में प्रकरण के संबंध में 10 वर्ष बाद भी राशि जमा नहीं कराने से भूखण्ड नियमित नहीं करने का निर्णय लिया गया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट पिटीसन संख्या 10107/2012 में दिनांक 16 सितम्बर, 2013 को प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किया गया कि उक्त भूखण्ड को नीलाम नहीं किया जावे। प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इतनी लम्बी समयावधि के पश्चात् भूखण्ड नियमितिकरण का अधिकार राज्य सरकार को है। अतः प्रकरण प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 (25) :: महामंदिर रेलवे स्टेशन के बाहर स्थित कियोस्क को शिफ्ट करने के संबंध में।

कार्यालय द्वारा महामंदिर रेल्वे स्टेशन के बाहर कियोस्क का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया गया था। वर्तमान मे भदवासिया आर.ओ.बी. का निर्माण कार्य प्राधिकरण द्वारा करवाया जा रहा है जिसके कारण वहां पर निर्मित कियोस्क उक्त आर.ओ.बी. के कारण प्रभावित हो रही

है। जिसका सर्वे/मौका रिपोर्ट दिनांक 07.07.2014 को करवायी गयी है। प्रभावित हो रही कियोस्क आवंटियों के अन्यत्र दी जानी है जिसकी सूची निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कियोस्क नम्बर	आवंटी का नाम	दस्तावेज संबंधित विवरण
1.	18	शांतिलाल/आशाराम	राशि जमा की रसीद व अन्य प्रतियां
2.	16	अब्दुल रहमान/अब्दुल रखुचा	राशि जमा की रसीद व अन्य प्रतियां
3.	13	श्रीमती गीता/जगदीश	राशि जमा की रसीद व अन्य प्रतियां
4.	12	श्रीमती बेबी/दिनेश सामरिया	राशि जमा की रसीद व अन्य प्रतियां
5.	8	विद्या/पुखराज	राशि जमा की रसीद व अन्य प्रतियां
6.	6	अली मोहम्मद/यासिन मोहम्मद	राशि जमा की रसीद व अन्य प्रतियां
7.	1	विजयपुरी/तेजपुरी	राशि जमा की रसीद व अन्य प्रतियां
8.	19	श्रीमती नीलम/एम.एन. राय	राशि जमा की रसीद व अन्य प्रतियां
9.	20	संजय/जीयाराम	राशि जमा की रसीद व अन्य प्रतियां
10.	21	हितेन्द्र/ज्ञानचन्द	दस्तावेज जमा नही कराये व जारी नोटिस पुनः प्राप्त हुआ।
11.	22	चरणदान/तेजाराम	दस्तावेज प्रस्तुत नही किये।
12.	23	प्रेमकंवर/भंवरसिंह	राशि जमा की रसीद व भौतिक कब्जा प्राप्त प्रति
13.	26	विनोद/गोविन्दानी	राशि जमा की रसीद व भौतिक कब्जा प्राप्त प्रति
14.	27	रमेश/मांगीलाल	दस्तावेज गुम होने का थाने मे दर्ज रिपोर्ट का पत्र व राशि जमा नही है।
15.	29	श्रीमती नसीब बानो/आनीद खां	दस्तावेज जमा नही करवायें।
16.	31	राजू सरगरा	जमा राशि की रसीद व अन्य
17.	32	प्रकाश/लालसिंह	आवंटन संबंधी राशि जमा कराने का नोटिस की प्रति

उपरोक्त कियोस्क आवंटी को अन्यत्र दिये जाने बाबत् निर्णय लिये जाने हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्तमान में इस संबंध में प्रभावी आवंटन आदेश एवं नियमों का परीक्षण कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 (26) :: आवास संख्या ए-88 वाम्बे योजना चौखा का नियमितिकरण हेतु।

प्रार्थी श्री राजा उपाध्याय प्रत्र श्री राम जीवन उपाध्याय को नगर सुधार न्यास (जो. वि. प्रा.) जोधपुर द्वारा दिनांक 25.04.2006 को लोटरी द्वारा आवास संख्या ए-88 वाम्बे योजना चौखा में आवटित किया गया था! जिनका वाम्बे योजना चौखा में आवटित किया गया था! जिसका आंवटन पत्र कमांक 1817 दिनांक 03.05.2008 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया था! प्रार्थी द्वारा आवंटन प्राप्ति में निर्धारित 30 दिवस में अपनी मासिक किश्ते जमा करानी थी लेकिन प्रार्थी द्वारा कोई राशि जमा नही कराई गई है! कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30.07.2012 के प्रस्ताव संख्या (6) में लिये गये निर्णय अनुसार स्वतः निरस्तीकरण का आदेश जारी किया गया साथ ही यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी द्वारा नियमति अनुंशषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति हेतु भेजा जावे! आवेदक द्वारा दिनांक 25.06.2014 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे को आवंटित आवास संख्या ए-88 वाम्बे योजना चौखा

2

की सम्पूर्ण राशि ब्याज /शास्ती सहित जमा कर लीज–डीड जारी की जावे! प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार आवंटन निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 (27) :: **रामराज नगर योजना में दोहरा आवंटन बाबत।**

रामराज नगर योजना में एवं दंतोपन्त ढेगडी नगर योनजा में अतिक्रमण व अन्य कारणो से वैकल्पिक भूखण्डो की लॉटरी निकाली गई, जिसमें निम्न भूखण्डो का दौहरा आवंटन हो चुका है। दौहरा आवंटन भूखण्डों की सेक्टरवार सूची संलग्न है। दौहरा आवंटन प्रकरण निर्णय हेतु कार्यकारी समिति की बैठक मे रखने हेतु प्रस्तुत है :–

क्र. स.	नाम व पिता/पति का नाम	भुखण्ड सं	सेक्टर	क्षैत्रफल	विशेष विवरण
1.	श्रीमती हीना कोसर पत्नी श्री हसीमुदीन (कर्मचारी)	97	1	30X64	
2.	श्री किशनाराम पुत्र श्री सेजाराम (कर्मचारी)	239	1	25X49	
3.	श्री नरेश श्रीमाली पुत्र श्री मदनलाल (अधिवक्ता)	245	1	25X49	
4.	ललित दीक्षित पुत्र मोहरपाल जी (कर्मचारी)	309	1	39X89	
5.	श्री श्रवण कुमार मलिक/तुंगलराम (अधिवक्ता)	357	1	39X89	
6.	श्री जुगल किशोर राका पुत्र भंवर लाल जजी (कर्मचारी)	358	1	39X89	
7.	श्री सुमित कला/ज्योति प्रकाश (अधिवक्ता)	390	1	25X49	
8.	श्री रामस्वरूप टाक/नाथुराम (अधिवक्ता)	393	1	25X49	
9.	श्री महावीर चन्द/घेवरचन्द	48	2	30X64	
10.	श्री सुरेन्द्रसिंह/महावीर सिंह (कर्मचारी)	172	2	30X64	
11.	श्री अनिल कुमार प्रजापत (अधिवक्ता)	282	2	34^x69^	
12.	श्री दीपाराम पुत्र श्री भींयाराम (कर्मचारी)	55	3	25x49	
13.	श्री जीवनराम पुत्र श्री भीखाराम (कर्मचारी)	69	3	25x49	

:: दत्तोपन्त ठेगडी नगर में रोड से प्रभावित भूखण्डो की सूची निम्नानुसार है ::

क्र. स.	भूखण्ड आवंटी का नाम	भुखण्ड सं.	भूखण्ड की साईज वर्गमीटर मे	विशेष विवरण

2

1.	श्री श्याम सुन्दर	02	113.81	
2.	श्री मोहम्मद अयुब	03	113.81	
3.	श्री देवीसिंह	04	113.81	
4.	श्री भैरूसिंह	45	113.81	
5.	राजेश्वरी डोगरा	46	83.61	
6.	श्रीमती परमी देवी	47	83.61	
7.	श्री रवि कुमार	61–ए	83.61	
8.	श्री रामनिवास	88	113.81	
9.	निर्मला खेतलानी	89	113.81	
10.	श्री प्रहलादसिंह	128	113.81	
11.	श्रीमती कमला भाटी	129	113.81	
12.	श्री भगवान प्रसाद	168	178.36	
13.	श्री शेषाराम	169	178.36	

उपरोक्त भूखण्डो का वर्तमान में सिन्दु सर्वेयर द्वारा सर्वे करवाया गया है, भूखण्ड रोड से प्रभावित है। अतः उक्त भूखण्डों के एवज में प्राधिकरण की अन्य योजना में वैकल्पिक भूखण्ड दिये जा सकते है। वर्तमान में दंतोपन्त ठेगडी नगर योजना की आरक्षित दर 4300 रूपये है एवं राजीव गांधी नगर योजना की वर्तमान आरक्षित दर 4300 रूपये-है। राजीव गांधी नगर योजना में वर्तमान में 45, 90, 162, 252, 275 व 375 वर्गमीटर के भूखण्ड उपलब्ध है एवं कर्मचारी कॉलोनी, मोगड़ा कला की वतमान आरक्षित दर 3200 रूपये है एवं मोगड़ा कला योजना में वर्गमान में रिक्त भूखण्ड का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	भूखण्ड की साईज	भूखण्डो की संख्या	क्र.सं.	भूखण्ड की साईज	भूखण्डो की संख्या
1	50 x 90 = 418.05	3	5	25 x 50 = 116.12	2
2	40 x 70 = 260.12	3	6	20 x 40 = 74.32	6
3	40 x 60 = 222.96	9	7	15 x 30 = 41.80	30
4	30 x 60 = 167.22	5			

क्र.स.	नाम व पिता/पति का नाम	भुखण्ड सं	सेक्टर	क्षेत्रफल	विशेष विवरण
1.	श्री नरेश श्रीमाली पुत्र श्री मदनलाल (अधिवक्ता)	245	1	25X49	
2.	श्री श्रवण कुमार मलिक/तुंगलराम (अधिवक्ता)	357	1	39X89	
3.	श्री सुमित कला/ज्योति प्रकाश (अधिवक्ता)	390	1	25X49	

4.	श्री रामस्वरूप टाक / नाथुराम (अधिवक्ता)	393	1	25X49	
5.	श्री अनिल कुमार प्रजापत (अधिवक्ता)	282	2	34'X69'	

उपरोक्त अधिवक्ताओं को समान क्षेत्रफल के भूखण्ड रामराज नगर आवासीय योजना में देना प्रस्तावित है एवं कर्मचारियों व अन्य को समान क्षेत्रफल के भूखण्ड राजीव गांधी नगर आवासीय योजना एवं कर्मचारी कॉलोनी, मोगडा में उपलब्धता के आधार पर दिया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण निर्णय हेतु कार्यकारी समिति की बैठक में रखा जाने हेतु प्रस्तुत है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से रामराज नगर में दोहरे आवंटन के बदले रामराज नगर में ही तथा दन्तोपंत ठेंगडी के नगर दोहरें आवंटन के प्रकरणों में मोगडाकलां राज्य कर्मचारी योजना में भूखण्ड आवंटित करने का निर्णय लिया गया। यदि किसी प्रकरण में अधिक क्षेत्रफल होता है तो नियमानुसार राशि वसूल करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 (28) :: ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 209 में नीलामी में विक्रय किये गये भूखण्ड का कब्जा दिये जाने के संबंध में।

बैठक में अवगत कराया गया कि जोधपुर – पाली रोड पर ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 209 की भूमि को नीलाम किया गया था लेकिन मौके पर चार चबूतरे बने होने के कारण आदिनांक तक क्रेता को कब्जा सुपुर्द नहीं किया जा सका है। अतः इस संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण की विस्तृत जांच कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 (29) :: सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना में नीलामी कॉर्नर भूखण्ड विक्रय किये जाने के संबंध में।

श्री अर्जुनसिंह ने जरिये नीलामी भूखण्ड संख्या 165, सुन्दरसिंह भण्डारी नगर योजना आंगणवा में क्रय किया था। जिसकी कीमतन राशि जमा करवायी जा चुकी है। नीलामी के समय उक्त भूखण्ड कॉर्नर का बताया जाकर नीलाम किया गया था। अब नवीन मानचित्र मे उक्त भूखण्ड कॉर्नर का नही होकर कॉर्नर से तीन भूखण्ड पहले है। इस प्रकार उक्त भूखण्ड कॉर्नर का नही है। अब क्रेता द्वारा उक्त भूखण्ड के एवज मे अन्यत्र कॉर्नर भूखण्ड की मांग की जा रही है। अतः इस संबंध मे प्रकरण निणयार्थ समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण की विस्तृत जांच कर आवेदक के भूखण्ड को कॉर्नर का भूखण्ड रखते हुए ले–आऊट प्लान में आवश्यक संशोधन किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 (30) :: भूखण्ड संख्या 545, दन्तोपंत ठेगडी नगर का आवंटन बाबत।

1. आवेदक श्री रामसिंह मीना ने दत्तोपन्त ठेगडी नगर योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसका क्रमांक 5712 था।
2. उक्त आवेदन उपर्युक्त आवेदन अनुसूचित जनजाति श्रेणी में वार्षिक आय सीमा 12001 से 20000 मासिक आय वर्ग हेतु था तथा 250 से 322.46 वर्गमीटर का था।
3. उपर्युक्त आवेदन पत्र के साथ 25000/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट आवेदक द्वारा जमा करवाया गया।

2

4. उपर्युक्त आवेदन पत्र नें आवेदक द्वारा अपना आय प्रमाण–पत्र संलग्न किया जिसमें उनकी मासिक आय 26,656/– रूपये (04.02.2008) को थी।
5. तत्कालीन नगर विकास न्यास (जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर) ने अपने पत्रांक यूआईटी/एफ–46/आवंटन/ 08/4367 दिनांक 27.08.2008 के द्वारा अवगत कराया कि प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 545 आवंटन हुआ हैं जिसके क्रम में प्रार्थी द्वारा नियमानुसार राशि जमा करा दी गई।
6. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा अपने पत्रांक एफ 46/आवंटन/जोविप्रा/डीटीएनवाई/2011/992–26 दिनांक 28.02.2011 के द्वारा प्रार्थी को अवगत करवाया गया कि जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की बैठक दिनांक 13.04.2010 के प्रस्ताव संख्या 4(1) के निर्णयानुसार आवेदित भूखण्ड की अधिकतम मासिक आय 20,000/– रूपये तक प्रतिमाह ही निर्धारित होने से उक्त आवंटित भूखण्ड संख्या 545 (30 X 69) =250 वर्गमीटर को निरस्त किया गया। तथा जमा करवाई गई धरोहर राशि को आवेदन पुस्तिका के बिन्दू संख्या 15 के अनुसार जब्त की जाती हैं तथा धरोहर राशि के अतिरिक्त आप द्वारा जमा करवाई गई शेष भूखण्ड की राशि 255413/– रसीद संख्या 0046386 दिनांक 11.11.2008 + लीज राशि 48744 रसीद संख्या 9001/896 दिनांक 30.03.2009 + भूखण्ड पेटे अन्य राशि 8082 ब्याज रसीद संख्या 0046387 दिनांक 11.11.2008 = योग रूपये 312239 लौटाने की स्वीकृति प्रदान कि गई।
7. प्रार्थी द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3948/2011, दायर की हैं; जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने स्थगन आदेश दिनांक 09.05.2011 के द्वारा रोक लगा दी गई हैं।
8. माननीय उच्च न्यायालय में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3948/2011 में याचिकार्थी द्वारा अतिरिक्त शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया हैं कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में एक समान रिट याचिका संख्या एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4987/2010 नाथूसिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.10.2011 का उल्लेख किया हैं जिसका क्रियाशील अंश निम्नानुसार हैं :–

> "Learned Additional Advocate General upon instruction of the Secretary, JDA, Jodhpur present in the Court also, submitted that the JDA will undertake enquiry and necesssary steps for taking suitable measures for these 246 impugned allotments to Government servants including the employees of the then UIT, Jodhpur. They are free to do so and at the same time, they are free to re-consider the case of the petitioner of his cancellation of his allotment and may even restore his allotment."

माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 4987/2010 को जनहित याचिका के रूप में सुनवाई हेतु रखा था परन्तु याचिकार्थी श्री नाथूसिंह के पक्ष में भूखण्ड का पट्टा (लीजडीड) जारी किये जाने के कारण उक्त रिट याचिका निस्तारित कर दी। आदेश दिनांक 18.10.2011 शामिल पत्रावली किया गया।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर निम्नलिखित कार्यवाही की जाना उचित होगी :–

1. तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर एवं वर्तमान जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की समस्त आवासीय योजनाओं जिनमें सरकारी कर्मचारी अथवा अधिवक्ताओं के संबंध में अधिकतम आय सीमा के आधार पर जिन आवेदकों के आवेदन/ आवंटन पत्र निरस्त किये गये हैं तथा जिनकी राशि नियमानुसार जमा राशि प्राधिकरण के पास हैं उन समस्त आवंटनों को पुनः बहाल किया जावें। यदि आवेदक ने अपनी अधिकतम परिवार की सकल आय का प्रमाण सही दिया हैं।

2

अर्थात् आवेदक ने कोई तथ्य जानबूझकर छुपाया या गलत रूप से प्रकट नहीं किया हैं।

2. यदि किसी आवेदक ने अपनी अधिकतम परिवार की सकल आय का गलत तथ्य दिया हैं तो ऐसे प्रकरणों को निरस्त रखा जाए तथा उनकी राशि जब्त रखी जाए। अर्थात् आवेदक ने कोई तथ्य जानबूझकर छुपाया या गलत रूप से प्रकट किया था।
3. जिन आवेदकों के आवंटनों को बहाल किया जाए अथवा ऐसे आवेदक जिनके आवंटन निरस्त करने वाले आदेश को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन प्रदान किया हुआ है, ऐसे आवेदकों से भूखण्ड की नियमानुसार वर्तमान राशि/अन्तर्राशि वसूल की जाए।
4. जिन आवेदकों के प्रकरण न्यायालय में लंबित हैं उन आवेदकों को उनके आवंटन बहाल किए जाने की शर्तों के क्रम में सहमति प्राप्त कर लंबित न्यायालय वाद को वापस लिए जाने बाबत् शपथ-पत्र लिया जाए ताकि न्यायालय में कोई विपरीत स्थिति उत्पन्न न हो।
5. प्रत्येक जोन के उपायुक्त निर्देशित किया जाए कि वह संबंधित आवासीय योजनाओं में रिक्त पड़े भूखण्डों की सूची तैयार करें तथा जब तक मूल आवेदकों के प्रकरणों का निस्तारण न हो जाए तब तक इन योजनाओं में किसी अन्य व्यक्ति को बदले (Exchange) में कोई भूखण्ड सिवाय न्यायालय आदेश के आवंटित न करें।
6. इस प्रकरण के साथ-साथ समान अन्य प्रकरणों में भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.10.2011 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जनहित में व्यापक निर्णय लेने हेतु मापदण्ड निर्धारित कर सभी उपायुक्तों को निर्देशित किया जाना उचित होगा कि वह अपने-अपने जोन के समस्त प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित मापदण्डों के आधार पर करें। ताकि प्राधिकरण में समान तथ्यों एवं विधि पर पृथक-पृथक निर्णय न हो तथा साथ ही इस प्रकरण के साथ-साथ अन्य विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को प्राधिकरण द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर Infructious कराया जा सके। ताकि प्राधिकरण में विरोधाभास की स्थिति न रहे एवं अनावश्यक वादग्रहण भी कम किया जा सके।
7. समस्त जोन में विचाराधीन समानान्तर श्रेणी के प्रकरण कार्यवाही समिति के निर्णय के अध्याधीन रहेगें उपरोक्त प्रकरण निर्णय हेतु कार्यवाही समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 (31) :: निरस्त भूखण्ड को बहाल कर 3/4 राशि जमा कराने बाबत।

प्रार्थि श्री राजेन्द्र जैन विनोद जैन ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत पत्र कर भुखण्ड संख्या 3 सैक्टर ए राजीव गांधी नगर आवासीय योजना के बकाया 3/4 राशी जमा करवानें एंव उक्त भुखण्ड अपनी फर्म मैसर्स कोठारी एंव लुणिया डवलपर्स, 318, धीरज हैरिटेज सांताक्रुज, मुम्बई के नाम लीज डीड़ जारी करनें का निवेदन किया है। भुखण्ड सख्या 3 बहुमंजिला आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु दिनांक 26.02.2013 को प्राधिरकण के द्वारा निलामी में रखा गया था जिसकी अधिकतम बोली श्री राजेन्द्र जैन , विनोद जैन एवम् श्री जितेन्द्र कोठारी के नाम से लगाई जाकर अधिकतम बोली 8950/- रू. प्रति वर्ग मीटर सें विक्रय किया गया था। जिसकी 1/4 राशि जमा धरोहर राशि रसीद संख्या 2094/22 दिनांक 26.02.2013 एंव 1/4 राशि जरिये रसीद संख्या 71883 दिनांक 27.02.2013 द्वारा रूपयें 5,00,000/- . 51,00,000/- कुल 56,00,000/- रूपयें प्रार्थिगणों द्वारा जमा करवायें गयें। आयुक्त महोदय द्वारा उक्त भुखण्ड को बोली स्वीकृति दिनांक 15.03.2013 को प्रदान की जाकर बकाया 3/4 राशि रूपयें

1,64,52,800/– रूपयें का डिमाण्ड नोटिस दिनांक 344/25.03.2013 द्वारा को निलामी, शाखा द्वारा जारी किया जाकर बकाया 3/4 राशि जमा करवायें जाने की अन्तिम तिथि 14.04.2013 तक आवश्यक रू. सें जमा करवाई जानी थी किन्तु प्रार्थि नें आज दिनांक तक उक्त बताया 3/4 राशि प्राधिकरण कोष में जमा नही करवाई। पत्रावली में सलंग्न पृष्ठ संख्या 5 व 6 का अवलोकन करवायें जिसके अनुसार निलामी की शर्त संख्या 2 सें 6 के अनुसार उक्त भुखण्ड की बकाया 3/4 राशि 30 दिनों के भीतर – भीतर कोष में जमा करवाई जानी अनिवार्य है। आगामी 60 दिनों तक 15 : ब्याज सहित राशि जमा करवाई जा सकती है। उक्त अवधी में बकाया 3/4 राशि जमा न करने में जमा 1/4 अमानत राशि स्वतः जब्त हो जायेगी उक्त भुखण्ड की निलामी भी स्वतः निरस्त हो जायेगी जिसकी अलग से कोई सुचना जारी प्रस्तावित नही की जायेगी।

आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिरकण, जोधपुर स्वतः निरस्तीकरण की तिथि सें एक वर्ष की अवधी के भीतर अपने स्वः विवेक के अधिकारों का उपयोग करते हुये स्वतः निरस्तीकरण को वापिस लेते हुये निलामी को नियमित कर सकते है। बर्शत यदि बोलीदाता भुखण्ड की बकाया 3/4 शेष राशि 15 : वार्षिक ब्याज निम्न शास्ती के साथ जमा करवाने को तैयार हो इसके लियें अलग से प्रार्थना पत्र देना होगा। किन्तु ब्याज बोली स्वीकृत करने की तिथि सें राशि प्राधिकरण कोष में जमा होनें की तिथि तक देय होगी।

6 माह तक 5 : शास्ती –
6 माह सें अधिक 10 : शास्ती –

प्रचलित निलामी की शर्त संख्या 5 खसरा 6 के अनुसार स्वतः निरस्तीकरण की तिथि सें एक वर्ष की कालावधी के पश्चात कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर स्वः विवेक सें आगामी एक वर्ष की अवधी तक इस प्रकार के स्वतः निरस्तीकरण को नियमित कर सकता है। बशर्ते समस्त बोलीदाता को शर्त संख्या 5 में अंकित शास्ती एंव ब्याज की बकाया 3/4 राशि के साथ जमा करवानें को तैयार हों। आयुक्त महोदय एंव कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकारण, जोधपुर इस प्रकार के नियम के लियें पाबन्द नही हैं। यह उनका स्वविवेकाधिकार हैं कि वो प्रकरण को नियमित करें या नही जो कि प्रकरण के गुणावगुण व स्वविवेक पर निर्भर करता है। प्रार्थि को दिनांक 26.02.2013 को भुखण्ड विक्रय किया गया था जिसकी बकाया 3/4 राशि जमा करवायें जाने की उचित तिथि 14.04.2014 थी। किन्तु प्रार्थि द्वारा दिनांक 26.05.2014 को प्रर्थना पत्र प्रस्तुत कर भुखण्ड की बकाया 3/4 राशि अपनी फर्म के नाम जमा करवाये जाने व लीज डीड जारी करनें की मांग की हैं। निलामी की प्रचलित शर्तो के अनुसार भुखण्ड स्वतः निरस्त हो चुका हैं। तथा धरोहर राशी जमा 1/4 राशि भी स्वः निरस्ती की शर्तानुसार जब्त हो चुकी है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बाद विचार विमर्श बैठक में सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 (32) :: पशुपालको को भूमि आवंटन के संबंध में।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश जिसमे शहर के समस्त दुग्ध पालको एंव आवारा पशुओं को शहर के बाहर शिपट किया जाने के क्रम जोधपुर के खसरा संख्या 88 ग्राम बड़ली जैसलमेर रोड़ पर पशुपालको के लिए मिल्क मैन कालोनी प्रस्तावित की गई एंव माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में नगर निगम जोधपुर के द्वारा किए गए सर्वे सूची के आधार पर जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17/03/2007 कों मिल्क मैन कॉलोनी बड़ली हेतु 384 लोगों कों लॉटरी के माध्यम सें चयनित किया गया किन्तु उनको आंवटन पत्र जारी नही किये जा सके। वर्तमान में पुनः माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के क्रम में नगर निगम जोधपुर एंव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के निर्देशन में जोधपुर शहर में दुग्ध उत्पादको का सर्वे किया जा रहा हैं। प्राप्त सर्वे

2.

रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार सें अनुमति प्राप्त कर पुनःलॉटरी की प्रक्रिया की जावेंगी एंव आंवटन किया जावेगा। उपरोक्त क्रम में निवेदन है कि पूर्व में दिनांक 17/03/2007 को मिल्क मैन कॉलोनी हेतु कुल 384 लोगो को लॉटरी के माध्यम सें चयनित किया गया था नगर निगम जोधपुर सें प्राप्त सर्वे रिपोर्ट प्रमाणित नही होने के कारण उक्त कॉलोनी को अमलीजामा नही पहनाया जा सका अतः पुर्व में कि गई लॉटरी की. प्रक्रिया को प्राधिकरण/कार्यकारी समिति के स्तर सें निरस्त करवाया जाना आवश्यक हैं ताकि भविष्य में मिल्क मैन कॉलोनी हेतु की जाने वाली नवीन लॉटरी की प्रकिया में किसी प्राकर की विधिक बाधा उत्पन नही हो। अतः उपरोक्तानुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17.03.2007 को 384 लोगों को लॉटरी द्वारा किये गये चयन को निरस्त करने के लिए प्राधिकरण की बैठक में प्रकरण का निर्णय करने हेतु प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 (33) :: राजस्व ग्राम इन्द्रोका के खसरा संख्या 47 के संबंध में।

प्रकरण संख्या 09/2012 खसरा संख्या 47 ग्राम इन्द्रोका प्रार्थी श्री गोबरराम पुत्र श्री सुखाराम व श्री खींयाराम पुत्र श्री रणजीतराम द्वारा भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अन्तर्गत फार्म हाऊस आवंटन/नियमन हेतु प्रस्तुत हुआ। ले-आऊट प्लान समिति की बैठक दिनांक 9 नवम्बर, 2012 के बिन्दु संख्या 15 के अनुसार प्रश्नगत भूमि तक पहुंच मार्ग हेतु उपायुक्त को निर्देशित किया गया है। प्रकरण की पुनः जांच की गई तहसीलदार, अमीन व पटवारी की रिपोर्ट, सरपंच ग्राम पंचायत के पत्र व राजस्व पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि तक पहुंच मार्ग प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि खसरा संख्या 01 स्थित कदीमी रास्ते में से है। उक्त कदीमी रास्ते पर काफी दूरी तक ग्रेवल रोड भी बनी हुई है। आवेदक द्वारा इसी कदिमी रास्ते से पहुंच मार्ग हेतु 100 फीट गुणा 40 फीट भूमि की मांग की गयी है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष उचित मार्गदर्शन एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण ले-आऊट प्लान समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 (34) :: राज्य कर्मचारी कॉलोनी में आवंटित भूखण्ड के संबंध में।

राज्य कर्मचारी कॉलोनी, मोगड़ा कलां में आवेदक श्री नारायण लाल एवं श्री जवरीलाल आर्य द्वारा आवेदन के समय अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन किये जाने के उपरान्त लॉटरी मे कम्प्यूटर त्रुटीवश सामान्य वर्ग में आवंटन हो गया एवं आवंटी श्री नवनीत कुमार, जिन्होने आवेदन के समय सामान्य वर्ग में आवेदन किया, किन्तु लॉटरी मे कम्प्यूटर त्रुटीवश विकलांग वर्ग में आवंटन हो गया।

प्राधिकरण की लॉटरी समिति की बैठक दिनांक 12.06.2014 को आयुक्त महोदय के कक्ष में प्रातः 11.00 बजे उक्त विसंगति का निस्तारण करने के लिए रखी गई। बैठक बाद विचार-विमर्श सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त आवंटियों के आवेदन पत्र अनुसार उनके भूखण्ड को सामान्य वर्ग से अनुसूचित जाति वर्ग में एवं विकलांग वर्ग से सामान्य वर्ग में आरक्षित रखने का निर्णय लिया गया तथा एक भूखण्ड साईज 418.06 वर्गमीटर को विकलांग वर्ग हेतु आरक्षित रखने का निर्णय लिया गया। उक्त प्रकरण को कार्यकारी समिति में वास्ते अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: अन्य प्रकरण

प्रस्ताव संख्या 5 (1) (अ) :: आरक्षित दर का निर्धारण/पुनर्निधारण किये जाने के संबंध में।

बैठक में अवगत कराया गया कि आरक्षित दर का निर्धारण/पुनर्निधारण किये काफी समय हो गया है। अतः आरक्षित दर का निर्धारण/पुनर्निधारण किया जावे।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि वर्तमान आरक्षित दर माह नवम्बर, 2014 तक प्रभावी है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में निर्णय लिया गया कि आरक्षित दर का फिलहाल निर्धारण/ पुनर्निधारण नहीं किया जावे। विचार विमर्श के दौरान ही बाहरी विकास शुल्क का सुझाव प्राप्त हुआ है। उक्त सुझाव को आगामी नीति निर्धारण हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 (1) (ब) :: नीलामी हेतु आवासीय/ व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी बोली कम कर निर्धारित करने बाबत।

वर्तमान में बाजार में मंदी का दौर है। वर्ष 2010–13 में भूखण्डों की दर असामान्य रूप से बढ़ गई थी। प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक माह नीलामी आयोजन किया जाता है। तीन बार प्रयास किये जाने के पश्चात् वर्तमान में इन भूखण्ड दरों पर भूखण्ड कय करने हेतु कोई बोलीदाता तैयार नहीं है। प्राधिकरण जोधपुर में यह प्रैक्टिस रही है कि पिछली बार नीलामी की जो उच्चतम बोली दर प्राप्त हुई है, उसी दर को आगामी बोली प्रारम्भ की जावे। यद्यपि नियमों में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। वर्तमान में पूरे देश में रीयल एस्टेट में मंदी का दौर है तथा भूमि के दामों में तेजी से गिरावट आई है। ऐसी स्थिति में गत नीलामी की उच्चतम दर (आयुक्त महोदय द्वारा स्वीकृत) से कोई भी बोलीदाता भूमि पर बोली लगाने को तैयार नहीं है। अतः पिछली बार प्राप्त उच्चतम बोली से 25 प्रतिशत (प्राधिकरण की प्रथम बैठक दिनांक 11 फरवरी, 2009 के आधार पर) की कमी करते हुए बोली प्रारम्भ करने का प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तावित किया जाता है ताकि नीलामी से सफलता प्राप्त की जा सके। साथ ही निम्नलिखित बिन्दुओं पर निर्णय हेतु प्रस्तावित है:–

1– विवेक विहार एवं अन्य योजनाओं के भूखण्ड़ों के क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम विकय मूल्य की तुलना की जानी उचित है।

2– विवेक विहार योजना में उच्चतम प्राप्त दर की तुलना सेक्टरवार किया जाकर नीलामी की जावे।

विवेक विहार में सेक्टर ए व बी की न्यूनतम विकय दर पूर्ववत् रूपये 25,000/– प्रति वर्ग मीटर, विवेक विहार में अन्य सेक्टर हेतु न्यूनतम विकय दर प्रस्तावित 15,000/– रूपये प्रति वर्ग मीटर रखी जानी प्रस्तावित है। चूंकि डी.एल.सी. दरों में भी इसका निर्धारित ए बी सेक्टर का अलग तथा शेष सेक्टरों हेतु अलग अलग दरें निर्धारित की गयी है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सेक्टर वार न्यूनतम दर निर्धारित कर ली जावे तथा प्राप्त अन्तिम उच्च बोली की 25 प्रतिशत दर कम करते हुए न्यूनतम बोली निर्धारित की जावे।

प्रस्ताव संख्या 5 (1) (स) :: जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की तर्ज पर ई–ऑक्सन की प्रकिया शुरू

किये जाने के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में ई–ऑक्सन की प्रकिया शुरू करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए है। जिस पर अध्यक्ष महोदय एवं जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर के साथ आयुक्त महोदय तथा निदेशक–वित्त की उपस्थिति में इस प्रकिया पर विस्तार से विचार विमर्श करने के पश्चात् जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में भी "ई–ऑक्सन" लागू किया जाना है। ई–ऑक्सन हेतु आई.सी.आई.सी. बैंक के प्रतिनिधि श्री अमित लोहिया के साथ ई–ऑक्सन प्रणाली का व्यवहारिक परीक्षण किया। जिसमें उन्होंने बताया कि आई.सी.आई.सी. बैंक जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में भी ई–ऑक्सन का कार्य सफलतापूर्वक कर रहा है। अतः आई.सी. आई.सी. बैंक के साथ एम.ओ.यू. करने से पूर्व जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के एम.ओ.यू. का अध्ययन कर उसी अनुरूप जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में लागू करने की प्रस्तावना है। अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लेने हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से सैद्धान्तिक रूप से सहमति इस आधर पर दी गयी कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के एम.ओ.यू. का सघन अध्ययन उपरान्त ही लागू किया जाये।

प्रस्ताव संख्या 5 (2) :: संविदा के आधार पर एक वर्षीय अनुबंध अवधि के लिए वाहन किराये पर लेने (बोलेरो/इण्डिका) की निविदा स्वीकृति प्रकरण

प्राधिकरण द्वारा वितीय वर्ष 2014–15 हेतु संविदा आधार पर किराये के वाहन लेने हेतु खुली निविदाएँ आमंत्रित की गई। दो बार निविदाऐं आमंत्रित करने पर कोई दर दाता उपस्थित नहीं हुआ। तीसरी बार निविदा संख्या 01/14–15 क्रमांक 533 दिनांक 07.04.2014 द्वारा जारी की गई। जिसमे 18 टेक्सी परमिट बोलेरो तथा 21 टेक्सी परमिट इन्डिका/इन्डिको किराये पर ली जानी थी। निविदा प्राप्ति दिनांक 29.04.2014 को दोनो ही प्रकार के वाहनो हेतु तीन–तीन निविदाएँ प्राप्त हुई। निविदा की योग्यता के आधार पर जॉच करने पर दो–दो निविदाऐं अनुपयुक्त (Non- Responsive) पाई गई। प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम दर दाता बोलेरो हेतु मैसर्स श्रवण कुमार शर्मा जिसकी दर 1500 कि.मी. तक मासिक / 20,500/– प्रतिमाह तथा अतिरिक्त किलोमीटर हेतु 7.50 प्रति कि.मी. प्राप्त हुई। इसी प्रकार इन्डिका/इन्डिको हेतु न्यूनतम दर श्री मनीराम चौधरी की 1500 कि.मी. तक मासिक / 20,000/– प्रतिमाह तथा अतिरिक्त कि.मी. हेतु 7.00 प्रति कि.मी. दर प्राप्त हुई। प्राप्त निविदा दरें अधिक प्रतीत होने पर निविदा कमेटी की अनुशंषा पर न्यूनतम दर दाताओ से नेगोशियशन किया गया तथा साथ ही दर–विश्लेषण एवं अन्य विभागों (नगर निगम व डिस्कॉम) से भी प्रचलित दरे प्राप्त की गई।

नेगोशियशन प्राप्त दरे निम्नानुसार है:–

क्र. स.	वाहन का प्रकार	न्यूनतम दर दाता	1500 कि.मी. तक मासिक दर (रूपयो में)	1500 कि.मी. से अधिक अतिरिक्त प्रति कि.मी. दर (रूपयो में)
1	बोलेरो	मै. श्रवण कुमार शर्मा	20,300/–	7.00
2	इन्डिका/इन्डिका	मनीराम चौधरी	19,500/–	6.50

नेगोशियशन के प्राप्त दरों को निविदा कमेटी द्वारा उचित मानकर स्वीकृति की अनुशंषा की गई। जिसके आधार निम्नानुसार है:–

(i) दर विश्लेषण में प्राप्त मासिक दर / 24,574/–

(ii) नगर निगम जोधपुर द्वारा स्वीकृत दर के आधार पर 1500 कि.मी. हेतु दर की गणना रू 22,191/– प्रति माह

(iii) डिस्कॉम जोधपुर द्वारा स्वीकृत दर के आधार पर 1500 कि.मी. हेतु दर की गणना रू 23,764/–

<u>पत्रावली में हुए निर्णय के अनुसार</u> –

न्यूनतम् दरदाताओं से नेगोशियशन में प्राप्त दरे, वर्तमान मे प्रचलित दर विश्लेषण एवं अन्य विभागो मे स्वीकृत दरो से कम एवं उचित होने के कारण स्वीकृत करने योग्य है। जिसकी पालना में प्राधिकरण के आदेश क्रमांक 621–626 दिनांक 30–5–2014 के द्वारा श्री मनीराम चौधरी को इण्डिका/इण्डिगो कार का एवं आदेश क्रमांक 628–633 दिनांक 30–05–2014 को मैसर्स श्रवण कुमार शर्मा को बोलेरो का एक वर्ष हेतु अनुबंध पर वाहन उपलब्ध करवाने का कार्यादेश जारी किया गया तथा संवेदक ने नियमानुसार जमा सुरक्षा राशि एवं आवश्यक दस्तावेज प्राधिकरण में जमा करवा दिये गये है। अतः एकल निविदा होने के कारण उच्चतर स्तर यानि कार्यकारी समिति (Executive Committee) में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 (3) :: प्राधिकरण में 65 वर्ष अथवा 65 वर्ष से अधिक आयु के सेवानिवृत संविदा सेवा पर कार्यरत् कार्मिकों को रखने की पुष्टि बाबत।

प्राधिकरण में वर्तमान में निम्नलिखित सेवानिवृत कार्मिक जिनकी सेवा अवधि 30.09.2014 तक अथवा प्राधिकरण की आवश्यकता तक बढाई गई है जिनकी जन्मतिथी अनुसार 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है अथवा पूर्ण होने वाली है, इन कार्मिको की सेवा अवधि प्राधिकरण के कार्यालय आदेश कमांक 7315 दिनांक 01.07.2014 के द्वारा 30.09.2014 तक या प्राधिकरण की आवश्यकता तक बढाई गई है इन कार्मिको को 65 वर्ष से अधिक आयु के उपरान्त सविदा सेवा में रखने की पुष्टि कार्यकारी समिति से करवाने बाबत प्रस्ताव।

क्र. स.	सेवानिवृत कार्मिक का नाम	पदनाम	जन्मतिथी	65 वर्ष की आयु पूर्ण करने की तिथी
1	श्री महेश चन्द्र बोहरा	कार्यालय अधीक्षक	31.08.1949	31.08.2014
2	श्री आनन्दीलाल जोशी	कार्यालय सहायक	08.11.1947	08.11.2012
3	श्री भागीरथ सूर्यवंशी	वरिष्ठ लिपिक	18.12.1947	18.12.2012

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त तीनों कार्मिकों को प्राधिकरण में संविदा पर रखने की समयावधि आगामी वित्तीय वर्ष (दिनांक 31 मार्च, 2015 तक) बढाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 (4) :: एम्स रोड 100 फीट चौडी/विस्तार एवं निर्माण के संबंध में।

प्राधिकरण के ध्यान में लाया गया कि जोधपुर स्थित एम्स की मुख्य सड़क जिसकी चौड़ाई कम/संकरी होने के कारण आवागमन के लिए पर्याप्त एवं उचित नही है। चूकि भविष्यगामी आवागमन के लिए सड़क उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उक्त सड़क को 100 फीट चौड़ी/विस्तार किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त एम्स रोड़ को 100 फिट चौड़ा/विस्तार करने के लिए अधिग्रहण किये जाने की कार्यवाही में अधिक समय व्यतीत होने के कारण विलम्ब होने की पूर्ण सम्भावना को मद्दे नजर रखते हुए उक्त क्षेत्र में स्थित निजी

2

खातेदारी भूमि के खातेदारों एंव भूखण्डधारियों से आपसी समझाईश/सहमति से भूमि को प्राधिकरण अधिनियम के तहत् कय किया जाना उचित होगा। कुछ खातेदारो द्वारा अपनी समझौता सहमति इकरारनामा भी प्रस्तुत किया है। जिसके कियान्वयन के लिए प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ बाद निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण का पूर्ण परीक्षण कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 (5) :: मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना सांगरिया के संबंध में।

प्राधिकरण की मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना में आवंटित भूखण्ड के सम्बन्ध में निम्न वर्णितानुसार निर्णय लिये जाने हैः–

1. दोहरे आंवटन से लगभग 7 प्रकरण है जिनमें एक ही भूखण्ड अलग–अलग समय पर आयोजित लॉटरी द्वारा दो व्यक्तियों को आंवटित कर दिये गये है।
2. मास्टर प्लान में प्रस्तावित 200 फीट बाईपास उक्त योजना में बीच में से होकर गुजरने के कारण योजना में लगभग 82 भूखण्ड प्रभावित होते है।
3. उक्त योजना में आंवटियों को आंवटित भूखण्डों पर अतिकमण/ कब्जे होने के कारण आवंटियों को भूखण्ड की लीजडीड व कब्जा सुपुर्द नहीं किये जा पा रहे है जिस कारण न्यायालयों में प्राधिकरण के विरूद्व अनावश्यक वाद दायर हो रहे है।

उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ बाद निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बिन्दु संख्या 1 के संबंध में प्रकरणवार दायित्व निर्धारित करने, बिन्दु संख्या 2 के संबंध में प्रकरण का विस्तृत परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने तथा बिन्दु संख्या 3 के संबंध में अतिकमण/ कब्जे हटाते हुए गुणावगुण के आधार पर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 (6) :: समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन की दरों को लागू करने बावत।

पूर्व में दिनांक 23.09.2013 की प्राधिकरण की बैठक के बिन्दु सं. 4 में समाचार पत्रों के विज्ञापनो का भुगतान जयपुर विकास प्राधिकरण की स्वीकृत दरों को आधार मानकर भविष्य में भुगतान प्रक्रिया अपनाने का निर्णय लिया गया है। प्राधिकरण की बैठक के उक्त निर्णय के सम्बंध में दरों का उल्लेख कर नगरीय विकास विभाग, जयपुर को पत्र क्र. 589 दिनांक 22.10. 2013 एवं पत्र क्र. 1039 दिनांक 03.04.2014 के द्वारा दरों के अनुमोदन बाबत् निवेदन किया गया।

वर्तमान तक अनुमोदन प्राप्त नही हुआ है जबकि प्राधिकरण वाणिज्यिक दर के 45: से भुगतान नही करने का निर्णय ले चुका है। समाचार पत्रों के भुगतान के बिल प्रतिदिन प्राप्त हो रहे है एवं उनके द्वारा भुगतान का दबाव बनाया जा रहा है। अतः निर्णय लिया जाता है कि नगरीय विकास विभाग को प्रेषित पत्र क्र. 1039 दिनांक 03.04.2014 के अनुसार भुगतान प्रक्रिया में दरें दिनांक 23.09.2013 से लागू होगी।

विवरण तालिका

क्र. स.	समाचार पत्र	दर समस्त राजस्थान संस्करण	दर जोधपुर संस्करण
1	राजस्थान पत्रिका	रू 1058/– प्रति वर्गसे.मी.	रू 489/– प्रति वर्गसे.मी.
2	दैनिक भास्कर	रू 1068/– प्रति वर्गसे.मी.	रू 503/– प्रति वर्गसे.मी.
3	दैनिक नवज्योति	रू 863/– प्रति वर्गसे.मी.	रू 409/– प्रति वर्गसे.मी.

4	राष्ट्रदूत	रू 798/– प्रति वर्गसे.मी.	रू 409/– प्रति वर्गसे.मी.
5	जलते दीप	रू 300/– प्रति वर्गसे.मी.	रू 150/– प्रति वर्गसे.मी.

उपरोक्त के अलावा अन्य समस्त समाचार पत्रों के विज्ञापनों का DPR/DIPR दर की दुगुनी दर से भुगतान किया जाय। सजावटी विज्ञापनों का भुगतान 15 प्रतिशत छूट के साथ किया जाय यह व्यवस्था समस्त समाचार पत्रों के लिए लागू होगी।

गजट नोटिफिकेशन, आम सूचना, कार्यालय विज्ञप्ति का प्रकाशन व भुगतान डी.ए.वी.पी./डी.आई.पी.आर दरों पर ही किया जाएगा। जो समस्त समाचार–पत्रों पर लागू होगा। उपरोक्त वर्णित समाचार पत्रों के अलावा अन्य समाचार–पत्रों को जोधपुर संस्करण हेतु ही विज्ञापन प्रकाशन हेतु जारी किये जावे। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तालिका में उल्लेखित उपरोक्त दरें अनुमोदित की जाये।

प्रस्ताव संख्या 5 (7) :: ग्राम डिगाड़ी के खसरा संख्या 144, 144/1, 144/2, 144/3 व 147, कुल रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में।

ग्राम डिगाड़ी के खसरा संख्या 144, 144/1, 144/2, 144/3 व 147, कुल रकबा 15 बीघा 17 बिस्वा भूमि में दिनांक – 17/06/99 से पूर्व कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनी है तथा खसरे में 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण है। उपरोक्त खसरे में विभिन्न आवेदकों द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान – 2012 में भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के तहत नियमन हेतु आवेदन किया गया है तथा पट्टें जारी किये जाने की मांग की जा रही है। उपरोक्त खसरे का ले–आउट प्लान सर्वेयर द्वारा तैयार करवाया गया। सम्बन्धित तहसीलदार, पटवारी व अमीन द्वारा उपरोक्त खसरे का भौतिक सत्यापन किया गया तथा रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा दिनांक – 17/06/99 से पूर्व की कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनी है तथा खसरे में 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण है। सहायक नगर नियोजक द्वारा ले–आउट प्लान का तकनीकी परीक्षण किया गया है तथा रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त भूमि मास्टर प्लान 2023 के अनुसार आवासीय आरक्षित क्षेत्र में स्थित है। उपरोक्त खसरे के मध्य से एक सिवाय चक गै.मु. कटाणी रास्ता गुजर रहा है, जिसे ले–आउट प्लान में सम्बन्धित अमीन द्वारा बिन्दु संख्या क से ख दर्शाया गया है। ले–आउट प्लान अनुसार उक्त राजस्व रास्ते की भूमि पर भूखण्ड दर्शाये गये है। अतः उक्त राजस्व रास्ते को राजकीय भूमि मानते हुए नियमन किये जाने के प्रकरण कार्यकारी समिति के अनुमोदन के पश्चात् राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने के संबंध में विचार विमर्श एवं निर्णयार्थ कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में नगरीय विकास विभाग का पत्र क्रमांक प. 3 (357) नविवि/3/ 2013 पार्ट दिनांक 18 जून, 2014 एवं 16 जुलाई, 2014 के अनुसार कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 5 (8) :: ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 25/1, 78, 78/1 व 25/1 मी., कुल रकबा 15 बीघा 04 बिस्वा के सम्बन्ध में।

ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 25/1, 78, 78/1 व 25/1 मी., कुल रकबा 15 बीघा 04 बिस्वा भूमि में दिनांक – 17/06/99 से पूर्व कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनी तथा खसरे में 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण है। उपरोक्त खसरे में विभिन्न आवेदकों द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान – 2012 में भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क(8) के तहत नियमन हेतु आवेदन किया गया है तथा पट्टें जारी किये जाने की मांग की जा रही है। उपरोक्त खसरे का ले–आउट प्लान सर्वेयर द्वारा तैयार करवाया गया। सम्बन्धित

2

तहसीलदार, पटवारी व अमीन द्वारा उपरोक्त खसरे का भौतिक सत्यापन किया गया तथा रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा दिनांक – 17/06/99 से पूर्व की कृषि भूमि पर बसी आवासीय कॉलोनी है तथा खसरे में 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण है। सहायक नगर नियोजक द्वारा ले–आउट प्लान का तकनीकी परीक्षण किया गया तथा रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त भूमि मास्टर प्लान 2023 के अनुसार आवासीय आरक्षित क्षेत्र में स्थित है। जोन लेवल समिति की बैठक में उपरोक्त खसरे का ले–आउट प्लान अनुमोदित किया जा चुका है तथा 90–क का निर्णय पारित किया जा चुका है, जिसके क्रम में उपरोक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज हो चुकी है। उपरोक्त खसरे के मध्य में खसरा संख्या 73 गै.मु. रास्ता की लगभग 07 बिस्वा सम्मिलित है, जिसे सम्बन्धित अमीन द्वारा ले–आउट प्लान में हरे फास्ट कलर से दर्शाया गया है। ले–आउट प्लान अनुसार उक्त राजस्व रास्ते की भूमि पर भूखण्ड दर्शाये गये है। अतः उक्त राजस्व रास्ते की भूमि को राजकीय भूमि मानते हुए प्रकरण कार्यकारी समिति के अनुमोदन के पश्चात् राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने के संबंध में विचार विमर्श एवं निर्णयार्थ कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में नगरीय विकास विभाग का पत्र कमांक प. 3 (357) नविवि/3/ 2013 पार्ट दिनांक 18 जून, 2014 एवं 16 जुलाई, 2014 के अनुसार कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 5 (9) :: ग्राम डोलिया के खसरा संख्या 124 व 125 के संबंध में।

प्रार्थी आवेदक श्री कालूराम पुत्र श्री जैताराम द्वारा ग्राम डोलिया के खसरा संख्या 124 व 125, कुल रकबा 43–13 बीघा भूमि में आवासीय प्रयोजनार्थ ले–आउट प्लान स्वीकृत कर आवासीय पट्टा–विलेख जारी करने हेतु निवेदन किया जा रहा है। राजस्व ग्राम डोलिया के खसरा संख्या 124 व 125 की रकबा 43 बीघा 13 बिस्वा भूमि जोधपुर मास्टर प्लान 2023 के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण के जोधपुर रीजन के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। चूंकि प्रश्नगत भूमि का मास्टर प्लान में भू–उपयोग निर्धारित नहीं है तथा प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान के अनुसार नगरीय क्षेत्र से बाहर परन्तु जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के जोधपुर रीजन के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। अतः उपरोक्त खसरा संख्या 124 व 125 का भू–उपयोग परिवर्तन निर्धारित किये जाने के संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के अनुमोदन के पश्चात् राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने के संबंध में विचार विमर्श एवं निर्णयार्थ कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में नगरीय विकास विभाग का पत्र कमांक प. 3 (357) नविवि/3/ 2013 पार्ट दिनांक 18 जून, 2014 एवं 16 जुलाई, 2014 के अनुसार कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 5 (10) :: विवेक विहार आवासीय योजना की प्रॉपर्टी ऑडिट करवाने के संबंध में।

विवेक विहार आवासीय योजना में कितने भूखण्ड खाली है, कितने भूखण्ड आवंटित है, कितने भूखण्डों के मानचित्र संशोधित किये गये हैं, इस संबंध में स्पष्ट जानकारी के लिए प्रॉपर्टी ऑडिट करवाया जाना आवश्यक है। अतः इस संबंध में निदेशक–वित्त एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी (द्वितीय) को उनके स्तर पर चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट की नियुक्ति कर उक्त ऑडिट करवायी जानी उचित होगी। इस संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में उक्त कार्य श्री बृजेश, निदेशक–वित्त की देखरेख में किया जा रहा है। अतः इस संबंध में निदेशक–वित्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से भी यदि उचित समझा जावे तो मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्यवाही की जा सकती है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है। 2

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए उक्त कार्य स्वतंत्र रूप से बाहरी स्त्रौत से करवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 (11) :: एम्पावर्ड कमेटी के समस्त निर्णय रिव्यू करने के उपरान्त राज्य सरकार को प्रेषित करने के संबंध में।

एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 17 सितम्बर, 2013 में लिये गये निर्णयों को रिव्यू करने के उपरान्त निर्णयार्थ राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने है। अतः इस संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव के संबंध में नगरीय विकास विभाग का पत्र कमांक प. 3 (357) नविवि/3/ 2013 पार्ट दिनांक 18 जून, 2014 एवं 16 जुलाई, 2014 के अनुसार कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 5 (12) :: आवंटन–पत्र देरी से प्राप्त होने के संबंध में।

योजनाओं में राशि जमा कराने के लिए जारी आवंटन पत्र कई प्रकरणों में काफी समय पश्चात् आवंटी को प्राप्त होते हैं जिसके कारण आवंटी द्वारा समय पर राशि जमा नहीं करवा पाते है। ऐसे प्रकरणों में ब्याज की गणना आवंटी को पत्र प्राप्ति की तिथि से माना जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है कि इसी बैठक में स्टैंडिंग समिति का गठन किया जा रहा है। अब ऐसे प्रकरण उक्त स्टैडिंग आवंटन समिति द्वारा गुणावगुण के आधार पर निर्णित किये जाये।

प्रस्ताव संख्या 5 (13) :: स्टेण्डिंग लॉटरी एवं आवंटन समिति का गठन

कई प्रकरणों में भूखण्ड का कब्जा सुपुर्द नहीं करने के फलस्वरूप आवेदक द्वारा मांग किये जाने व माननीय न्यायालय के आदेश एवं सतर्कता समिति एवं अन्य आदेशों की अनुपालना में भूखण्ड आवंटन किया जाना होता है। इस हेतु स्थायी लॉटरी एवं आवंटन समिति का गठन किया जाना उचित होगा ताकि ऐसे प्रकरणों में समिति का गठन करने आदि में अनावश्यक विलम्ब नहीं हो। इस हेतु निम्नानुसार स्टेण्डिंग लॉटरी एवं आवंटन समिति का गठन किया जाना उचित होगा:–

1– आयुक्त – अध्यक्ष
2– सचिव – सदस्य
3– निदेशक– आयोजना – सदस्य
4– निदेशक– वित्त – सदस्य
5– निदेशक– विधि – सदस्य
6– निदेशक– अभियांत्रिकी – सदस्य
7– संबधित अधिशाषी अभियन्ता – सदस्य
8– संबंधित तहसीलदार – सदस्य
9– संबंधित उपायुक्त– सदस्य सचिव

अतः इस संबंध में विचार विमर्श कर उचित निर्णय हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति का नाम "स्टेण्डिंग कमेटी" होगा। उक्त समिति आवंटन संबंधी

एवं अत्यावश्यक प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निर्णय लेने में सक्षम होगी तथा उक्त समिति का निर्णय कार्यकारी समिति के निर्णय के अध्याधीन होगा।

प्रस्ताव संख्या 5 (14) :: माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जोधपुर (प्रथम) द्वारा प्रकरण संख्या 62/2013 ले.कर्नल शेरसिंह बनाम जोधपुर विकास प्राधिकरण में निर्णय दिनांक 22 मई, 2014 की अनुपालना सुनिश्चित करने के संबंध में।

माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जोधपुर (प्रथम) द्वारा प्रकरण संख्या 62/2013 ले.कर्नल शेरसिंह पुत्र श्री आदराम पता डिगाडी कलां, अजमेरा रोड, जोधपुर बनाम जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में निर्णय दिनांक 22 मई, 2014 द्वारा आदेश प्रदान किये हैं कि परिवादी को विवेक विहार योजना में भूखण्ड संख्या जी–167 का कब्जा सौंपे तथा नियमानुसार परिवादी से राशि प्राप्त कर उसके पक्ष में लीज डीड जारी करें तथा परिवादी को 40 बाई 70 फीट के स्थान पर 45 बाई 70 फीट के नाप से जो अतिरिक्त राशि प्रदर्श–2 के जरिये ली गयी है उक्त राशि वापस लौटावे एवं उक्त राशि पर जमा कराने की दिनांक 5 अक्टूबर, 2012 से ताअदायगी तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज की राशि अदा करें। इसके अलावा अप्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर की गयी सेवा में त्रुटि के कारण अप्रार्थीगण हर्जाने की राशि 50,000/– रूपये राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष, जयपुर में जमा करावें। इसके अलावा अप्रार्थीगण, परिवादी को आर्थिक व मानसिक क्षति पेटे 30,000/– रूपये व परिवाद व्यय पेटे 3,000/– रूपये कुल 33,000/– रूपये की राशि भी एक माह में अदा करें।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं माननीय मंच द्वारा पारित आदेश दिनांक 22 मई, 2014 की अनुपालना सुनिश्चित करने के संबंध में प्रस्तुत है।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने योग्य नहीं है। बैठक में वाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रकरण में माननीय मंच द्वारा पारित आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 (15) :: विवेक विहार योजना (मुआवजाधारियों) के संबंध में।

1 विवेक विहार योजना में आवंटित भूखण्डों पर अतिकमण के संबंध में– अधिकांश खातेदारों के मकान विवेक विहार योजना में ही पक्के मकान निर्मित होने के कारण उस स्थान पर लॉटरी द्वारा अन्य अवार्डियों को भूखण्ड आवंटित कर दिये गये। नगरीय विकास विभाग राज्य सरकार के पत्र कमांक–6(40) नविवि/3/93 जयपुर दिनांक 20.5.2010 में ऐसे मुआवजाधारियों को प्राथमिकता से मकान के स्थान पर ही भूखण्ड आवंटित किये जावे। यदि मुआवजे का क्षेत्रफल कम बनता हो तो शेष क्षेत्रफल की राशि आरक्षित दर पर वसूल कर आवंटन किया जावे। परन्तु अतिरिक्त क्षेत्रफल वाले प्रकरणों में किसी भी स्थिति में 500 वर्ग गज से अधिक का भूखण्ड अनुज्ञेय नहीं हो। वर्तमान में कई प्रकरणों में मुआवजाधारियों का निर्माण क्षेत्रफल 500 व.ग. से अधिक भूमी पर है। अतः मुआवजाधारियों द्वारा निर्माण जिन भूखण्डों पर है उनका आवंटन लॉटरी द्वारा आवंटित भूखण्डों के स्थान पर करने की मांग की जा रही है। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है।

2 विवेक विहार योजना में आवंटित भूखण्डों के आकार के संबंध में– विवेक विहार योजना में मुआवजाधारियों को मुआवजा स्वरूप लॉटरी द्वारा आवंटित भूखण्ड साईज उपलब्ध न होकर बडे व छोटे आकार के भूखण्ड मौके पर उपलब्ध है। जिस कारण मुआवजाधारियों द्वारा आवंटित साईज के भूखण्डों की मांग की जा रही है। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत है। 2

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: अभियांत्रिकी शाखा के प्रस्ताव

प्रस्ताव संख्या 6 (1) :: प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये ऐसे कार्य जो वर्तमान तक प्रारम्भ नहीं हुए, को निरस्त करने के संबंध में।

प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किये गये ऐसे कार्य जो वर्तमान तक प्रारम्भ नहीं हुए को निम्नलिखित कारणों से निरस्त किया जाना प्रस्तावित है :–

1. संलग्न सूची (परिशिष्ट–2) में शामिल कुल 456 कार्यो के अनुबन्ध सिविल प्रकृति के है जिनकी तुरन्त क्रियान्विति की आवश्यकता नहीं है।
2. यह सभी कार्य वर्तमान तक कार्यस्थल पर शुरू नहीं किये गए है।
3. इन सभी कार्यो को उपरोक्त कारणो से अनुबन्ध की शर्त 32 (GCC) अनुसार विड्रॉ करने के आदेश आयुक्त महोदय की अनुमति उपरान्त सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता स्तर पर अधिकाश कार्यो में जारी किये जा चुके है लेकिन उक्त आदेश को आयुक्त महोदय द्वारा kept in abeyance' करने, से अंतिम निर्णय लिया जाना है।
4. उपरोक्त कार्यवाही को लम्बित करने से अनुबन्ध अन्तर्गत कानूनी समस्याएं पैदा हो सकती है।

उपरोक्त के दृष्टिगत संलग्न सूची में दर्शित कुल 456 कार्य जो कि अनुबन्ध पश्चात् वर्तमान तक शुरू नहीं हो सके है, को निरस्त करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष एजेण्डा प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार परिशिष्ट–2 में वर्णित 456 कार्य निरस्त करने का निर्णय लिया गया तथा उपरोक्त वर्णित प्रस्तावानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 (2) :: विद्युत शाखा के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	विशेष विवरण
1	गौशाला मैदान परिसर में लगी सोलर लाईटो की बैटरी बदलने का कार्य।	1.53	श्रीमान् जिलाधीश महोदय द्वारा शाला क्रिड़ा संगम गौशाला मैदान की बैठक में दिये गये निर्देशानुसार
2	गौशाला मैदान परिसर में स्थित हॉस्टल में रिवायरिंग एवं सुदृढीकरण का कार्य।	3.00	श्रीमान् जिलाधीश महोदय द्वारा शाला क्रिड़ा संगम गौशाला मैदान की बैठक में दिये गये निर्देशानुसार
3	जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में लगे सी.सी. टी.वी. केमरो का रख रखाव का कार्य। वार्षिक अनुबंध 2014–15	1.00	जोविप्रा कार्यालय में लगे सी.सी. टी. वी. केमरो का वार्षिक रख रखाव कार्य एवं उन्हे 24 घण्टे चालू रखने हेतु आवश्यकता है। हर वर्ष की भाती प्रस्तावना की जाती है।

2

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 (3) :: स्टोर शाखा के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रकरण

निम्न कार्यो की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति की वर्ष 2014–15 बजट प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तावना की जाती है। तथा निम्नानुसार वर्तमान में वार्षिक अनुबन्ध के चल रहे कार्यो की समाप्ति तिथि नई प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पश्चात निविदा कर नया कार्यादेश जारी करने तक बढाई जानी प्रस्तावित है

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	विशेष विवरण
1-	जोधपुर विकास प्राधिकरण में विभिन्न तरह के प्रोग्राम के अन्तर्गत टेन्ट व फर्नीचर व्यवस्था करने का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध के तहत 2014–15 हेतु)	25.00	जोविप्रा के विभिन्न निलामी एवं अन्य राजकीय दिवसों इत्यादि पर आवश्यकता एवं निर्देशानुसार व्यवस्था करने के लिये वार्षिक अनुबन्ध पर कार्य करने की आवश्यकता हर वर्ष की भाती प्रस्तावना की जाती है।
2-	जोधपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय उपयोग हेतु फॉटो कॉपी करने का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध के तहत 2014–15 हेतु)	20.00	जोविप्रा कार्यालय में फोटो कोपी कार्य आवश्यकतानुसार करने के लिये वार्षिक अनुबन्ध पर कार्य करने की आवश्यकता हर वर्ष की भाती प्रस्तावना की जाती है।
3-	प्राधिकरण के विभिन्न कार्यक्रमों की फोटो ग्राफी/विडियों ग्राफी का कार्य (वार्षिक अनुबंध के तहत 2014–15 हेतु)	8.00	जोविप्रा के विभिन्न निलामी एवं अन्य राजकीय दिवसों इत्यादि पर आवश्यकता एवं निर्देशानुसार व्यवस्था करने के लिये वार्षिक अनुबन्ध पर कार्य करने की आवश्यकता हर वर्ष की भाती प्रस्तावना की जाती है।
4-	जोधपुर विकास प्राधिकरण निलामी तथा अन्य कार्यो के फ्लेक्स बनाकर लगाने का कार्य (वार्षिक अनुबंध के तहत 2014–15 हेतु)	10.00	जोविप्रा के निलामी एवं अन्य आवश्यकता पर विभिन्न प्रकार के फ्लेक्स बनाकर जोधपुर शहर में जेडीए के युनीपोल पर लगाने के लिये वार्षिक अनुबन्ध पर कार्य करने की आवश्यकता हर वर्ष की भाती प्रस्तावना की जाती है।(कार्य पुर्ण करने की दिनांक 26.06.2014)

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए निम्न बिन्दु अतिरिक्त जोड़ते हुए स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाखों में)	विशेष विवरण
1-	वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु रेस्को से भूतपूर्व सैनिक तथा जोधपुर पूर्व सैनिक बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड ने सिविलियन लेने	90.00	जोधपुर विकास प्राधिकरण सुरक्षा गार्डो से कार्यालय एवं बरकतुल्लाह खां स्टेडियम एवं अन्य भवनों की सुरक्षा हेतु कार्य लिया जाता है साथ ही कार्यालय

2

	हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (वार्षिक अनुबंध)		में कार्य करवाने हेतु अन्य कार्मिक कार्यरत् है जिनका वार्षिक अनुबंध के आधार पर भुगतान किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 6 (4) :: फाईल ट्रेकिंग, स्केनिंग आदि के कार्य के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में फाईल ट्रेकिंग, स्केनिंग के तहत मैसर्स ओसवाल कम्पनी को दो वर्ष का कार्यादेश दिया हुआं था। कार्यादेश क्र.सं. 4219 दिनांक 05.01.2011 को दिया गया था। दिनांक 31.03.2014 को कार्यादेश समाप्त कर अंतिम बिल प्रस्तुत किया गया है। जो कि कुल रू. 55.18 लाख का है। इस हेतु सर्वप्रथम रूपये 25.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई थी। जिसे दिनांक 30.08.2012 को रिवाइज्ड कर रू. 25.00 लाख से रू. 50.00 लाख की गई। अब अंतिम बिल कम्प्यूटर शाखा के प्रभारी श्री मनीष भाटी (ACP) से प्रमाणित हो कर प्राप्त हुआं है। उक्त अंतिम बिल का भुगतान करने में कुल रू. 55.18 लाख की आवश्यकता होगी। जिससे संवेदक को विदहेल्ड की गई राशि रू. 5.18 लाख का भुगतान किया जा सकें। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रू. 50.00 लाख से रू. 55.18 लाख करने तथा कार्य को समाप्त कर अंतिम बिल भुगतान करने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 (5) :: जोधपुर विकास प्राधिकरण में कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर मय मशीन कार्य।

उक्त कार्य की निविदा जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 01.07.2014 को की गई। जिसमें दो निविदादाता की दरें तकनीकी बिड में पारित हुई उनकी फाइनेन्सीयल बिड कमेटी द्वारा खोली गई। जिसमें मैसर्स सोनी कम्प्यूटर्स द्वारा सर्विस टैक्स की गणना कम्प्यूटर मय ऑपरेटर कार्य में 10.30 प्रतिशत से की है तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्य में 10.33 प्रतिशत से की है जबकि केन्द्र व राज्य सरकार के नियम अनुसार 12.36 प्रतिशत सर्विस टेक्स जमा करवाया जाना होता है तथा मैसर्स एक्स सर्विसमेन वाईव वेलफेयर सोसायटी, जयपुर द्वारा दानो कार्यों में 12.36 प्रतिशत से गणना की है। उक्त सर्विस टेक्स नियमानुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर से प्राप्त कर सेवा प्रदाता संवदक को ही जमा करवाया जाना है तथा मैसर्स सोनी कम्प्यूटर के सर्विस टेक्स की गणना 12.36 प्रतिशत से की जाती है तो उसकी दर मैसर्स एक्स सर्विस मेन वाईव वेलफेयर सोसायटी से ज्यादा होती है। साथ ही मैसर्स सोनी कम्प्यूटर द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर दर 10.33 प्रतिशत तथा कम्प्यूटर मय ऑपरेटर दी 10.30 प्रतिशत से दी है। जो सरकार से निर्धारित दर 12.36 प्रतिशत से कम है। अतः अन्तर राशि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा वहन नहीं की जायेगी तथा कमेटी द्वारा मैसर्स सोनी कम्प्यूटर की दर को अस्वीकृत किया जाने का निर्णय लिया गया।

इस प्रकार एक ही संवेदक मैसर्स एक्स सर्विसमेन वाईव वेलफेयर सोसायटी, जयपुर द्वारा प्रस्तुत, (1) कम्प्यूटर मय ऑपरेटर हेतु दर 8,000/– तथा (2) कम्प्यूटर ऑपरेटर की दर 7,936/– राज्य सरकार के वित विभाग के परिपत्र में निर्धारित दर 8,000/– की सीमा में है। अतः मैसर्स एक्स सर्विसमेन वाईव वेलफेयर सोसायटी की दरों से गणना में न्यूनतम होने के कारण निविदा कमेटी द्वारा इनकी दरें उचित मान कर प्रकरण निष्पादन हेतु निदेशक वित्त के माध्यम से आयुक्त महोदय को प्रस्तुत की गई। आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 16.07.2014 को कार्यादेश जारी करने तथा प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति बैठक में अनुमोदन हेतु रखने के निर्देश प्रदान किये। प्रकरण कार्याकारी समिति बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 (6) :: जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम जोधपुर के मध्य रख रखाव हेतु एम.ओ.यु. लाइटो का हस्तान्तरण नहीं करने बाबत्।

जोधपुर विकास प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र वृहद है उक्त क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर रोड लाईटो की व्यवस्था स्वीकृति अनुसार की गई है। जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम जोधपुर के मध्य एम.ओ.यु. के तहत उक्त लाईटो का रख रखाव करने का हो रखा है। इसके तहत सर्व प्रथम करीब 18000 लाईटे दिनांक 01.01.2011 को हस्तान्तरित की गई थी। इस हेतु प्रतिमाह राशि रू. 11,000/– भिजवाएं जाते रहे है। तत्पश्चात 01.04.2013 से उनके द्वारा मांग पत्र एवं संवेदक की दर अनुसार राशि रू. 14,63,000/– का रिवाइज्ड भुगतान किया जा रहा है। उक्त भुगतान जून 2013 तक किया हुआं है। इसके अलावा राशि रू. 50.00 लाख का भुगतान दिसम्बर 2013 में एम.ओ.यु. के अनुसार क्षतिग्रस्त पोल, केबल, बक्से, टाईमर इत्यादि को आवश्यकतानुसार बदलने हेतु भिजवाये गये है। लेकिन इस की युसी अभी तक अपेक्षित है। जोधपुर विकास प्राधिकरण विद्युत शाखा द्वारा समय समय पर लगाई गई लाईटो को नगर निगम, जोधपुर को हस्तान्तरण की गई। लेकिन पिछले कुछ माह से नगर निगम, जोधपुर द्वारा वार्ड नं. 1 से 65 तक कार्य सिमित कर दिया है। लेकिन एम.ओ.यु. के अनुसार समस्त जोधपुर विकास प्राधिकरण की हस्तान्तरित लाईटो का रख रखाव नगर निगम, जोधपुर द्वारा आगामी 10 वर्षो तक किया जाना है। एम.ओ.यु. में 1 से 65 वार्ड का उल्लेख नहीं है तथा माननीय प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जोधपुर में ली गई बैठक में दिये गये निर्देश में उन्होने यह निर्देशित किया था कि रख रखाव एजेन्सी एक ही होनी चाहिये जिससे जोधपुर शहर की जनता को अनावश्यक परेशानी नहीं हो क्योकि जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम, जोधपुर दोनो ही संस्थाएं रख रखाव कार्य संवेदक के माध्यम से करवाती है। साथ ही नगर निगम, जोधपुर द्वारा जोधपुर शहर के 1 से 65 वार्ड के बाहर 01.01.2011 को हुए एम.ओ.यु. के तहत नागौर रोड 9 मिल तक, मण्डलनाथ एवं सडक, बड़ली, चौखा का कुछ भाग, डी.पी.एस. से जैसलमेर बाईपास रोड कुडी नाले तक पाली जाने वाली मुख्य सडक इत्यादि क्षेत्रो में जो करीब 14 किमी. दुरी जोधपुर रेल्वे स्टेशन से है पर हस्तान्तरित लाईटो का रख रखाव वर्तमान में कार्य कर रहा है। अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा एम.ओ.यु. के तहत नगर निगम, जोधपुर ही हस्तान्तरित की जा चुकी व भविष्य में भी हस्तान्तरित की जाने वाली समस्त लाईटो का भी रख रखाव निरन्तर नगर निगम, जोधपुर द्वारा ही सम्पादित कराने की प्रस्तावना की जाती है। प्रकरण जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा लगाई गई रोड लाईटो का रख रखाव कार्य सुचारू रूप से करने हेतु नगर निगम, जोधपुर से एम.ओ.यु. के तहत निति निर्धारण हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 (7) :: Agenda Note for according Approval for using "Double Wall Corrugated (DWC) HDPE Pipes " in place of "RCC Pipes" of 200 mm Diameter in the progressive work contract for Providing, Laying, Jointing, Testing & Commissioning of R.C.C. Sewer system & all accessories works, UPVC pipe including Manholes, Property Connection & Restoration of Roads etc. in Vivek Vihar & Part area of E-4 Zone of Jodhpur city

Agenda Note for the work under subject has been submitted for approval. Following are the salient features related subject.

Reasons to seek Approval:

1. Use of DWC pipe is approved by CPHEEO (MoUD, GoI) and RUIFDCO (GoR) in place of RCC pipes upto 200 mm diameter.

2. Provision of use of DWC pipe is also included in the approved DPR of Jodhpur Sewerage Master Plan. Jodhpur Development Authority has already awarded two contracts (In South-East zone & Part area of West zone) BOQ of which content item of DWC pipe.

3. The material choice is being proposed in order to provide suitable alternative for RCC Pipes of 200 mm . diameter only for E/W depth up to 3 m in soil strata.

4. Total length of 200mm diameter RCC NP3 pipe, in this contract is 130.00 km. It is proposed to replace RCC pipes by DWC pipes in about 78 km length (as per decided norms of 60 % DWC & 40 % RCC pipes as per CPHEEO, MoUD).

5. Item for DWC pipe in sewerage system in not included in RUIDP BSR 2011 (on which this contract is based). But this item has been introduced in RUIDP BSR 2013 at item no.17.26.2, according to which the rate for P & L of DWC pipe in sewerage system is Rs. 577.50 (Rs.525 + considering minimum T.P. of 10%) per meter. As per contract BOQ defined rate of RCC NP3 pipes is payable as Rs.545.09 (Rs. 455+19.80%=Rs.545.09/-) per meter, which is less than rate mentioned in RUIDP BSR 2013+ considering minimum tender premium of 10%.

6. Although the rate for DWC pipes (P,L&J) is higher in open market compared to the allowed rate of RCC pipe NP3 of the same diameter as per the progressive work contracts based on RUIDP BSR 2011; but looking to the ease in availability as well as laying of DWC pipes, the contractor of work package vivek vihar has requested vide letter no. EIEPL/JoD/025 dated 02.01.14; to provide alternative of DWC pipes on the same item rate as per respective prevailing work order.

7. Due to more length of single pipe in DWC material i.e. @ 6 meters, there will be less number of joints in the sewer system thus providing better alternative compared to RCC pipes having length of 2 to 2.5 m only.

Tenchnical Features of DWC pipe

The pipe (DN/ID 200) of class SN8 grade for non pressure as per IS-16098 (part-2) type-B with Structured Wall polyethylene Piping systems (Pipe with online/offline coupler and ISI marked EPDM rubber ring/gasket lubricant etc) with non-smooth External Annular Corrugated and Smooth Internal Surfaces (Double Wall) for non-pressure underground Sewerage shall be done in accordance with Standard Specifications. All the pipes shall be manufactured as specified in IS 16098 (Part 2): 2013 up to latest amendment. The structured outer layer of finished pipes shall be uniformly corrugated. The inner layer shall be smooth and plain. Both layers shall be free from visual defects such as cracks, blisters, foreign inclusions and any other visual irregularities which can cause harm to its construction integrities.

RECOMMENDATION :-

Considering technical supremacy of DWC pipes over RCC pipes in terms of water tightness in body/joint etc. the DWC pipes may be approved as a better alternative of RCC Class NP3 pipes on the same BOQ rate for the respective contract; thus with no financial overburden for the on going contracts of Sewerage system. Third party inspection clause of contract will remain applicable for either of the material, for procurement of the material as per IS specifications.

The total case is submitted for perusal and according approval.

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि पाईप की क्वालिटी निर्धारित मापदण्ड के

2

अनुसार उत्तम हो यह सुनिश्चित किया जावे तथा कार्य निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही पूरा किया जावे तथा कार्य की त्रिपक्षीय (थर्ड पार्टी) जांच हो।

प्रस्ताव संख्या 6 (8) :: जोन ई 3 (पाबुपुरा व बासनी बेंदा) में सीवर लाईन बिछाने, मैनहॉल का निर्माण, यु–पीवीसी पाईप लाईन से प्रापर्टी कनेक्शन तथा सडक पुनः निर्माण कार्य में संभावित विचलन अनुसार संशोधित प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृती हेतु।

1	कार्य का नाम	जोन ई 3 (पाबुपुरा व बासनी बेंदा) में सीवर लाईन बिछाने, मैनहॉल का निर्माण, यु–पीवीसी पाईप लाईन से प्रापर्टी कनेक्शन तथा सडक पुनः निर्माण कार्य में संभावित विचलन अनुसार संशोधित प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृती हेतु।			
2	कार्यदिश संख्या	F 38 (6)/ EE-N-ROB/2011-12/666, दिनांक 28.06..2012			
3	प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृती	1. DA/A&F/TA to DE/2012-13/299-302 dated 31-05-2012, concurrence of EC Meeting held on dated 16-06-2011, for Rs. 2300.00 Lac 2. JDA/A&F/TA to DE/2012-13/296-298 dated 31-05-2012 for Rs. 248.25 Lac (Additional work in package E-3) Total A& F available = Rs. 2548.25 lac			
4	तकनीकी स्वीकृती	DE/2012-13/299-302 dated 31-05-2012, Estimate Based on RUIDP BSR 2008			
5	कार्यदिश राशि	Rs. 2938.94 Lacs			
6	कार्यादेश अंतर्गत संभावित विचलन का विवरण (कार्यादेश BOQ के आधार पर)				
	अतिरिक्त कार्य राशि	अधिक कार्य राशि	बचत राशि	कुल अतिरिक्त विचलन	
	रू 107.19 लाख	रू 567.63 लाख	रू 700.00 लाख	(–)रू 25.18 लाख बचत	
7	संशोधित प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृती की आवश्यकता के कारण				
	<u>Reasons for Extra & Excess Work:</u> कार्यस्थल पर उपलब्ध भौतिक स्थिति में निम्नानुसार परिर्वतन के कारणः 1. T.P. अनुमान से अधिक प्राप्त होने के कारण, 2. झागिया रॉकी परत के कारण, (अतिरिक्त H शेडयूल आईटम जिसकी दर निदेशक अभियांत्रिकी से अप्रूवड हैं, जिसकी अनुमानित मात्रा 6400 घनमीटर के अनुसार कुल राशि लगभग रू 64 लाख संभावित हैं।) 3. भू जल स्तर अत्यधिक ऊपर आने के कारण, 4. मेनहाल का उचित आईटम (1200 मीमी व 1600 मीमी व्यास की सीवर हेतु) टेंडर शेडूयल में नहीं होने के कारण), 5. घरों के कनेक्शन हेतु चेम्बर की डिजाईन में परिवर्तन के कारण (टेंडर शेडूयल में अत्यधिक बडे चेम्बर के कारण) 6. एनएच 112 पर रातानाडा चौराहे के पास नगर निगम की पुरानी 1000 मिमी व्यास की सीवर के मेनहाल से जीत अपार्टमेंट तक लगभग 100 मीटर लम्बाई में MS encasing पाईप सहित 1600 मिमी व्यास की सीवर का ट्रैंचलेस क्रॉसिंग के कार्य के कारण, 7. विनायकिया तिराहे के पास नाला क्रॉसिंग हेतु 1600 मिमी व्यास की सीवर का ट्रैंचलेस क्रॉसिंग के कार्य के कारण, <u>Reasons for Saving in contract BOQ:</u> कार्यस्थल में निम्नानुसार परिर्वतन के कारणः 1. 1200 मीमी व 1600 मीमी व्यास की सीवर हेतु टेंडर शेडूयल में उपलब्ध मेनहाल निर्माण का आईटम				

	उपयुक्त नहीं होने के कारण, 2. घरों के कनेक्शन हेतु चेम्बर की डिजाईन में परिवर्तन के कारण (टेंडर शेड्यूल के अत्यधिक बडे चेम्बर के स्थान पर छोटे चेम्बर का निर्माण) 3. कार्य स्कोप में सम्मिलित कुछ क्षेत्रों के सीवरेज प्रणाली बिछाने हेतु तकनीकी दृष्टि से फिजीबल नहीं पाये जाने के कारण (200 मिमी व्यास की 10 किमी, 400 मिमी व्यास की 0.3 किमी, 600 मिमी व्यास की 0.7 किमी एवं 700 मिमी व्यास की 1.86 किमी लम्बाई में सीवर कार्य की बचत)	
8	संशोधित प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृती की राशि	रू 2913.76 लाख (जो कि कार्यदेश राशि से कम हैं)

संशोधित प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति हेतु एजेंडा नोट कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्तानुसार कार्यादेश अन्तर्गत रूपये 107.19 लाख के अतिरिक्त कार्य एवं रूपये 567.63 लाख के अधिक कार्य एवं रूपये 2913.76 लाख की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। उक्त स्वीकृति में राशि रूपये 64.00 लाख का शिड्यूल–एच आईटम सम्मिलित है।

प्रस्ताव संख्या 6 (9) :: **Providing Water Supply system in JDA developed Gokul Dham Milkman Colony, Badli of Jodhpur (Long Term Measures)**

1	Name of Work:	**Providing Water Supply system in JDA developed Gokul Dham Milkman Colony, Badli of Jodhpur (Long Term Measures)**
2	Estimated Cost :	994 Lacs (Proposal forwarded by PHED as enclosed)
3	Benefited Area :	Gokul Dham Milkman Colony, Badli.
4	JDA Scheme or Non scheme :	Scheme
5	Salient Features of the Proposal:	a) Construction of Intake structure along with pumping machinery at Kaylana impounding reservoir. b) Providing laying, jointing, testing and commissioning of Raw water Transmission pipeline from Intake (Kaylana) to Badli site 300 mm dia, 8500 meter length. c) Construction of Water treatment plant 3.5 MLD capacity with pumping station, 700 KL capacity RCC CWR & 1170 KL capacity RCC ESR.
6	Recommendation/ Comment of Director Engineering:	The Gokul Dham Milkman Colony Barli is a planned cluster scheme of Jodhpur Development Authority at Badli village to habitat milk men with their cattles. Hon'ble High court Jodhpur has issued directions to develop basic amenities such as water supply and sewerage at the location. Under short term measures JoDA has sanctioned

2

		to Drill and Commission four no. Tube Wells, Providing, laying, jointing, testing of Distribution system in Part I with connection from Tube wells, Construction of PSP's/ Cattle Water Troughs, Development of green belt by tree plantation. Administrative and Financial sanction of Rs. 187.19 Lacs has been accorded for these works vide Job. No. 1652/2012-13/JDA/PHE/Scheme, DE letter no. JDA/A&F/TA to DE/2012-13/2526-2529 dated 01-02-2013. The work execution against this accorded sanction is under progress. Through this proposal costing Rs. 994 lacs, having objective to develop water supply scheme as per ultimate demand, it is aimed to provide adequate coverage and a long-term solution to the water supply system in the above mentioned locality by providing surface water as proposed by PHED. **Therefore A&F sanction is recommended.**

Submitted for the according A&F by E.C. of Jodhpur Development Authority.

बैठक में वाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया।

प्रस्ताव संख्या 6 (10) :: Providing, Laying, Jointing, Testing and Commissioning of RCC sewer system and all ancillary works, PVC-U pipes including Manholes, Property connections and restoration of roads etc. in Gokul Dham Milkman Colony, Badli of Jodhpur.

1	Name of Work:	Providing, Laying, Jointing, Testing and Commissioning of RCC sewer system and all ancillary works, PVC-U pipes including Manholes, Property connections and restoration of roads etc. in Gokul Dham Milkman Colony, Badli of Jodhpur.
2	Estimated Cost :	1908 Lacs (Based on RUIDP BSR 2013)
3	Benefited Area :	Gokul Dham Milkman Colony, Badli.
4	JDA Scheme or Non scheme :	Scheme
5	Salient Features of the Proposal:	This package contains R.C.C. NP4 & NP3 pipe (200mm to 300mm diameter), precast R.C.C. manholes and property connections. The table shows the length of R.C.C. pipe:

RCC NP-3 & NP-4 Pipes	Length
200 mm dia RCC NP_3 pipe	15200.00

2

		250 mm dia RCC NP_4 pipe	1900.00
		300 mm dia RCC NP_3 pipe	1900.00
6	Recommendation/ Comment of Director Engineering:	The Gokul Dham Milkman Colony Barli is planned cluster of Jodhpur Development at Badli village to habitat milk men with their cattles. Hon'ble High court Jodhpur has issued directions to develop basic amenities such as water supply and sewerage at the location. Through this proposal, it is aimed to provide adequate coverage and a long-term solution to the sewerage system in the above mentioned locality. Therefore A&F sanction is recommended.	

Submitted for the according A&F by E.C. of Jodhpur Development Authority.

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया।

प्रस्ताव संख्या 6 (11) :: **जोन ई 2 (वार्ड नं. 57) में सीवर लाईन बिछाने, मैनहॉल का निर्माण, यु–पीवीसी पाईप लाईन से प्रापर्टी कनेक्शन तथा सडक पुनः निर्माण कार्य में संभावित विचलन अनुसार संशोधित प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृती हेतु।**

1	कार्य का नाम	जोन ई 2 (वार्ड नं. 57) में सीवर लाईन बिछाने, मैनहॉल का निर्माण, यु–पीवीसी पाईप लाईन से प्रापर्टी कनेक्शन तथा सडक पुनः निर्माण कार्य में संभावित विचलन अनुसार संशोधित प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृती हेतु।				
2	कार्यादेश संख्या	F 38 (7)/ EE-N-ROB/2011-12/673, दिनांक 28.06..2012				
3	प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृती	JDA/A&F/TA to DE/2012-13/303-306 dated 31-05-2012, concurrence of EC Meeting held on dated 17-02-2012, for Rs. 2409.00				
4	तकनीकी स्वीकृती	DE(N)/4/12-13 dated 31-05-2012, Estimate Based on RUIDP BSR 2008				
5	कार्यादेश राशि	Rs 2541.81 lac				
6	कार्यादेश अंतर्गत संभावित विचलन का विवरण (कार्यादेश BOQ के आधार पर)					
	अतिरिक्त कार्य राशि		अधिक कार्य राशि	संभावित मुल्य अभिवृद्धि	बचत राशि	कुल अतिरिक्त विचलन
	रू 351.49 लाख		रू 133. 68 लाख	रू 100.00 लाख	रू 630.00 लाख	(–)रू 44.83 लाख बचत
7	संशोधित प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृती की आवश्यकता के कारण					
	<u>Reasons for Extra & Excess Work:</u> कार्यस्थल पर उपलब्ध भौतिक स्थिति में					

	निम्नानुसार परिवर्तन के कारण: 1. T.P. अनुमान से अधिक प्राप्त होने के कारण, 2. झागिया रॉकी परत के कारण, (अतिरिक्त H शेडयूल आईटम जिसकी दर निदेशक अभियांत्रिकी से अप्रूवड हैं, जिसकी अनुमानित मात्रा 12350 घनमीटर के अनुसार कुल राशि लगभग रू 118.45 लाख संभावित हैं।) 3. भू जल स्तर अत्यधिक ऊपर आने के कारण, 4. घरों के कनेक्शन हेतु चेम्बर की डिजाईन में परिवर्तन के कारण (टेंडर शेडूयल में अत्यधिक बडे चेम्बर के कारण), 5. सम्प वैल का आईटम टैंडर शैडयूल में नहीं होने के कारण, 6.सीवर नेटवर्क हाइड्रोलिक डिजाइन को मौका अनुसार तकनीकी सुधार के कारण। **Reasons for Saving in contract BOQ:** कार्यस्थल में निम्नानुसार परिवर्तन के कारण: 1. घरों के कनेक्शन हेतु चेम्बर की डिजाईन में परिवर्तन के कारण (टेंडर शेडूयल के अत्यधिक बडे चेम्बर के स्थान पर छोटे चेम्बर का निर्माण) 2. कार्य स्कोप में सम्मिलित सीवर नेटवर्क 600 मिमी की लम्बाई में तकनीकी दृष्टि से फिजीबल नहीं पाये जाने के कारण कमी, बसावट रहित क्षेत्रों में लेटरल सीवर कार्य नहीं करना इत्यादि के कारण,	
8	संशोधित प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृती की राशि	रू 2496.98 लाख (जो कि कार्यादेश राशि से कम हैं)

अतः कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित कार्यादेश अन्तर्गत रूपये 351.41 लाख के अतिरिक्त कार्य (जिसमें रूपये 118.45 का शिड्यूल–एच आईटम शमिल हैं) एवं रूपये 133.68 लाख के अधिक कार्य एवं रूपये 2496.98 लाख की संशोधित एवं प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 (12) :: जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित बोम्बे योजना, आर. के.पुरम्, चौखा में जल वितरण प्रणाली बिछाने बाबत।

1.	कार्य का नाम	
2	अनुमानित लागत	रू. 164.47 लाख (जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग से प्राप्त तकमीना संलग्न)
3	लाभांवित क्षेत्र	बोम्बे योजना, आर.के.पुरम्, चौखा
4	योजना /गैर योजना	योजना
5	कार्य के महत्वपूर्ण बिन्दु	• बोम्बे योजना, आर.के.पुरम्, चौखा जोधपुर विकास प्राधिकरण की दस वर्ष से भी पुरानी आवासीय योजना है। • उक्त योजना जल वितरण प्रणाली से आज तक वंचित है जिससे वहॉं के निवासी जन स्वा. अभियान्त्रिकी विभाग व जोधपुर विकास प्राधिकरण में जल व्यवस्था की मांग लेकर आते रहते है। इस सन्दर्भ में "सुगम" पर भी अनेको बार शिकायते प्राप्त हो चुकी है तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा शीघ्र कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

2

		• जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधीक्षण अभियंता जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग, नगर वृत जोधपुर को उक्त कार्य का तकमीना भेजने हेतु निवेदन किया गया था। • अधिशासी अभियंता, जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग, नगर खंड तृतीय के कार्यालय पत्रांक 1374 दिनांक 22.07.2014 द्वारा उक्त कार्य हेतु रूपये 193.25 लाख का तकमीना प्राप्त हुआ जिसमें 5% कन्टीनजेंसी व 17.5% सुपरविजन चार्जेस सम्मिलित हैं । • प्राप्त तकमीने मे से 17.5% सुपरविजन चार्जेस को कम करते हुए रूपयें 164.47 लाख प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित किये गये है। • कार्य हेतु स्वीकृत राशि जन स्वा. अभियान्त्रिकी विभाग में जमा कराई जानी है।

आवश्यक प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति हेतु एजेंडा नोट कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 (13) :: प्राधिकरण बैठक दिनांक 13.8.2013 एवम् 23.9.2013/24.9.2013 में प्रदत्त संशोधित प्रशासनिक एवम् वितीय स्वीकृतियां जो कि उपयोग में नहीं आई है, को निरस्त करने की अनुमति बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.8.2013 एवम् 23.9.2013/24.9.2013 में संलग्न सूची में दर्शित की गई 308 कार्यो की जारी संशोधित प्रशासनिक एवम् वितीय स्वीकृतियां को निम्नलिखित कारणों से निरस्त करने की अनुमति कार्यकारी समिति की बैठक में वांछित है :–

1– सूची (परिशिष्ट–3) में दर्शित कार्य अनुबन्धों की वर्तमान तक प्रगति मूल प्रशासनिक एवम् वितीय स्वीकृति राशि तक ही सीमित है।

2– कार्यो की जारी संशोधित एवम् वितीय स्वीकृति का उपयोग वर्तमान तक नहीं किया गया है।

3– वर्तमान परिपेक्ष में मूल कार्यादेश राशि से अधिक का कार्य करवाने की आवश्यकता भी नहीं है।

4– लगभग सभी अनुबन्धों की निर्धारित कार्य अवधि भी समाप्त हो चुकी है।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति से निवेदन है कि उक्त कारणों से संलग्न सूची (परिशिष्ट–3) अनुसार 308 कार्यो हेतु जारी संशोधित प्रशासनिक एवम् वितीय स्वीकृतियां निरस्त करावें। उपरोक्त प्रस्तावना से उच्च स्तर पर अथवा किसी भी अन्य एजेन्सी के स्तर पर प्रगतिशील जांच को प्रभावित करना नहीं माना जावें।

विचार विमर्श के दौरान निदेशक–वित्त ने बताया कि पूर्व में अतिरिक्त/अधिक की स्वीकृति के प्रस्ताव प्राधिकरण में प्रस्तुत किये गये थे, में निर्धारित प्रकिया को नहीं अपनाया गया था। भविष्य में निर्धारित प्रकिया अपनाकर ही अतिरिक्त/अधिक कार्यों की स्वीकृति जारी किया जाना उचित रहेगा।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 (14) :: Arbitration Panal बनाये जाने के संबंध में

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण एवम् संवेदको के मध्य कुछ Arbitration Cases चल रहे है। अनुबन्ध के अनुसार भविष्य में भी Arbitration Cases होने की संभावना है। वर्तमान में इस हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का कोई पेनल नहीं बना हुआ है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के हित में भविष्य हेतु विषय विशेषज्ञो का Arbitration Panal बनाया जाना उचित होगा।

इस हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान के जोधपुर से सम्बन्धित निम्न अनुभवी सेवानिवृत अभियन्ताओं से व्यक्तिशः मिलकर उनकी सहमति प्राप्त कर ली गई है।

1. श्री राजेश पुरोहित, सेवानिवृत, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग
2. श्री सुन्दर लाल, सेवानिवृत, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग
3. श्री राजीव कुमार माथुर, सेवानिवृत, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग

पेनल बनाने से वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण पर कोई आर्थिक बोझ नहीं होगा। उपरोक्तानुसार Arbitration Panal बनाकर अनुमोदन हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण की विस्तृत जांच कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 (15) :: जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा नगर निगम क्षेत्रों (65 वार्डो) में विकास कार्य करवाने से पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य करने के संबंध में

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा विकास कार्यों को कराने का क्षेत्राधिकार नगर निगम क्षेत्र के बाहर "प्राधिकरण रीजन" निर्धारित है। अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नगर निगम क्षेत्र (65 वार्ड) में विकास कार्य नहीं करवाये जावे। अति आवश्यक प्रकरणों में नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्य करवाया जाना है तो उस विकास कार्य की नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम से लिखित सहमति ली जावे कि उक्त कार्य की राशि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 15 प्रतिशत हिस्सा राशि के विरूद्व समायोजन कर लिया जावे तथा इसका व्यय विवरण का संकलन अभियांत्रिकी शाखा द्वारा किया जाकर नगर निगम, जोधपुर से समायोजन करवाया जायेगा।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 (16) :: संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का आईटम एस.ओ.पी. में संभावित करने बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जारी शक्तियों का प्रत्यायोजन (एस.ओ.पी.) में संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने का प्रावधान अलग से लागू करने की आवश्यकता है। पूर्व में जारी एस.ओ.पी. में कमांक 21 व 22 पर अधिक व अतिरिक्त आईटम की स्वीकृति की शक्तियों के दुरूपयोग की संभावना को नियंत्रित करने हेतु एस.ओ.पी. में एक आईटम 1 (अ) संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने की शक्तियां समाविष्ट किये जाने की आवश्यकता है। अतः एस.ओ.बी. के 1 (अ) निम्नानुसार आईटम जोडा जाना प्रस्तावित है। इससे पूर्व में जारी स्वीकृतियां प्रभावित नहीं होगी:–

1	2	3	Power	Remarks
1 (a)	to sanction Revised A&F	E.C.	upto 100% of original A&F Sanction given	Above 5.00 crors
		JDC	upto 100% of original A&F Sanction given	upto 5.00 crors

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 (17) :: अभियांत्रिकी शाखा के सहायक अभियन्ताओं एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं विधि शाखा के लिपिकों को वाहन भत्ता देने बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में कार्यरत् सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता को अपने क्षेत्राधिकार (385 गांव) में कार्य करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की भांति वाहन भत्ता स्वीकृत किया जाना है। जिसके तहत सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता को 1500/– रूपये प्रति माह एवं विधि शाखा में कार्यरत लिपिकों को अधिवक्ताओं एवं न्यायालयों में सम्पर्क करने हेतु वाहन भत्ता प्रतिमाह 500/– रूपये दिये जावे की प्रस्तावना की जाती है।

बैठक में विचार विमर्श के दौरान निदेशक–आयोजना ने कार्यरत् सहायक नगर नियोजक को भी वाहन भत्ता दिये जाने की मांग की। बैठक में बाद विचार विमर्श उपरोक्त प्रस्ताव में वर्णित सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता एवं प्राधिकरण में पदस्थापित सहायक नगर नियोजक को 1500/– रूपये प्रति माह एवं विधि शाखा के लिपिकों को 500/– रूपये प्रतिमाह वाहन भत्ता दिये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 (18) :: संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत।

जोन मुख्यालय द्वारा अनुबंध संख्या 38 (34) एचक्यू/13–14 में फर्म मैसर्स मां बिरजाजी ट्रेडिंग कम्पनी को कार्यादेश कमांक 398–399 दिनांक 7 जनवरी, 2013 के तहत कुशाली माता मंदिर के पास सिवांचीगेट प्रथम तल पर सामुदायिक हॉल के निर्माण कार्य हेतु 61,75,931.37 का कार्यादेश 31 प्रतिशत अधिक पर स्वीकृत कर कार्यादेश जारी किया गया। उक्त कार्य की मूल प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रावली के पैरा संख्या 31 से 41 तक 49.30 लाख स्वीकृत थी तत्पश्चात् प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 अगस्त, 2013 में उक्त कार्य हेतु 9 प्रतिशत अधिक मानते हुए 4.44 लाख अतिरिक्त स्वीकृत किये, इस प्रकार से 49.30 + 4.40 अर्थात् 53.74 लाख की ही स्वीकृति प्राप्त हुई है। चूंकि फर्म को 61.75 लाख का कार्यादेश जारी किया गया था तथा इसके विरूद्ध अब तक राशि रूपये 53.74 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। अतः उक्त कार्य हेतु 8.01 लाख रूपये की अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता है। अतः प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने हेतु राशि रुपये 8.01 लाख की अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 के परिपेक्ष्य में सेवानियमों एवं आवश्यक अन्य नियमों के प्रारूप का अनुमोदन बाबत्।

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 के परिपेक्ष्य में जोधपुर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों एवं अधिकारियों हेतु पूर्व अनुमोदित सेवा नियमों में "नियुक्ति अधिकारी" हेतु यहां अध्यक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है उसके स्थान पर आयुक्त शब्द का प्रयोग किया तथा अध्यक्ष शब्द विलोपित तथा निम्नलिखित विनियम 2013 के स्थान पर विनियम 2014 संशोधित करने हेतु विचार–विमर्श के उपरान्त प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाये ताकि तत्पश्चात् राज्य सरकार को जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 92 के तहत अधिसूचनार्थ भेजा जा सके।

1. जोधपुर विकास प्राधिकरण (सदस्यों को भत्ते का संदाय) विनियम, 2014
2. Notification The Jodhpur Development Authority (Custody and Disposal Seized Articles) Regulatin, 2014
3. जोधपुर विकास प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम, 2014
4. जोधपुर विकास प्राधिकरण (कार्यकारी समिति, कृत्य कार्य-बोर्ड तथा समितियों का कार्य संचालन) विनियम 2014 जोधपुर विकास प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम 2014
5. जोधपुर विकास प्राधिकरण चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) विनियम 2014
6. जोधपुर विकास प्राधिकरण (भवन अनियमित निर्माण नियमबद्वता/नियमितिकरण) विनियम 2014
7. जोधपुर विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष के अधिकार निर्धारण) विनियम 2014
8. जोधपुर विकास प्राधिकरण (कर्मचारी आचरण) विनियम 2014
9. जोधपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम 2014
10. जोधपुर विकास प्राधिकरण (योजनाओं की तैयारी और मंजूरी) विनियम 2014
11. जोधपुर विकास प्राधिकरण (समितियों के गठन एवं कर्तव्य) विनियम 2014
12. जोधपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम 2014

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से क्रम संख्या 6 व 7 पर वर्णित विनियमों का गहन अध्ययन कर पुनः कार्यकारी समिति में प्रस्तुत करने एवं शेष विनियमों को अनुमोदनार्थ प्राधिकरण में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के परिक्षेत्र में आने वाली चारागाह भूमि के उपयोग को किसी गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग लेने हेतु परिवर्तित करने बाबत्।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के परिक्षेत्र में आने वाली चारागाह भूमि के उपयोग को किसी गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने हेतु परिवर्तित किये जाने के संबंध में नीतिगत निर्णय लिया जाना नितान्त अनिवार्य है। क्योंकि प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आने वाली चारागाह भूमि अपने मूल उद्देश्यों हेतु लाभ दायक नहीं रही है तथा राजस्थान कास्कारी अधिनियम 1955 में प्रतिबन्धित भूमि होने के कारण प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में एवं प्राधिकरण के नाम से दर्ज चारागाह भूमि पर योजना बनाकर इसका उपयोग प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जा रहा है। इससे उक्त चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की प्रबल सम्भावनाऐं है।

इसलिए चारागाह भूमि के उपयोग के संबंध में विस्तृत एवं नीतिगत निर्णय लिया जाना जनहित एवं प्राधिकरण के हित में उचित होगा। इस संबंध में निम्नलिखित न्यायालय निर्णयों, परिपत्रों एवं नियमों ध्यानाकर्षित करना अनिवार्य है :–

1. सिविल अपील संख्या 1132/2011@SLP(सी) संख्या 3109/2011 जगपाल सिंह व अन्य बनाम् पंजाब राज्य व अन्य में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.01.2011
2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2011 के क्रय में जारी राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग का परिपत्र क्रमांक प.10(3)राज–6/2001/7 जयपुर 25.04.2011 तथा परिपत्र क्रमांक प.10(3)राज–6/2001/15 जयपुर दिनांक 17.04.2013
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2011 तथा राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2011 के क्रम में तत्कालीन अटार्नी जनरल ऑफ इण्डिया को राय दिनांक 01.10.2013 तथा उपर्युक्त राज दिनांक 01.10.2013 के आधार पर नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार का परिपत्र दिनांक 21.10.2013

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 28.01.2011 के द्वारा चारागाह भूमियों/जोहड पायतन (Catechments of pond Water Reservoirs) तथा तालाबों (Pord) की भूमियों में से किसी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिए दी गयी भूमियों अर्थात् इस हेतु किये गये आवंटनों एवं नियमन को अवैध माना है। साथ ही समस्त राज्य के मुख्य सचिवों को निर्देश प्रदान किये है कि वह उपर्युक्त आवंटन एवं नियमन को निरस्त करने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उक्त निर्णय सविधान के अनुच्छेद 142 में न्यायालय डिक्री की परिभाषा में आता है। इसलिए प्राधिकरण क्षेत्र में प्राधिकरण के नाम दर्ज चारागाह भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु नितिगत निर्णय लेते समय यह ध्यान रखना अति अनिवार्य है कि वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2011 की अवमानना हो जाए।

इसलिए इस संबंध में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार परिपत्र दिनांक 29.04.2011 अतिमहत्वपूर्ण है। इस परिपत्र के अनुसार चारागाह भूमियों के आवंटन, नियमन, खनन एवं अन्य प्रयोजनार्थ अनापति प्रमाण–पत्र जारी करने आदि के संबंध पूर्व में जारी समस्त निर्देशों/परिपत्रों आदि के अतिक्रमण में चारागाह भूमियों के निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिए आवंटन एवं नियमन पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक लगायी गयी है तथा यह भी उल्लेख किया गया है कि अगर किसी प्रकरण में जनहित में और सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चारागाह भूमि का आवंटन किया जाना अत्यावश्यक हो तो जिला कलक्टर द्वारा कारण अंकित करते हुए अपनी अभिशंषा के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जायेगा और राज्य सरकार से सक्षम स्वीकृति मिलने के बाद ही ऐसी भूमि का आवंटन/नियम किया जा सकेगा।

इस प्रकार उपर्युक्त परिपत्र दिनांक 25.04.2011 में यह स्पष्ट है कि चारागाह भूमियों निजी एवं व्यवसायिक उपयोग हेतु परिपत्र के प्रभावी रहते पूर्णतः रोक है। परन्तु यदि जनहित में और सार्वजनिक प्रयोजनार्थ चारागाह भूमि का आवंटन राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति से ही किया जा सकता है। इस परिपत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण या जोधपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र तथा नाम से दर्ज चारागाह भूमियों के उपयोग के संबंध में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है।

इसी क्रम में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प.10(3)राज–6/2001/15 जयपुर दिनांक 17.04.2013 के अनुसार पूर्व परिपत्र दिनांक 28.04.2011 के क्रम में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के प्रावधान के अनुसार विहित सीमा तक (4 हेक्टर) चारागाह भूमियों का आवंटन जिला कलक्टर राजकीय

2

विभागों को केवल राजकीय प्रयोजनार्थ के लिए आवंटन कर सकता है व चारागाह भूमि का वर्गीकरण नियमानुसार करने पर जिला कलक्टर इस गावं में अनाधिवासित कृषि योग्य सरकारी भूमि यदि उपलब्ध है तो उसके बराबर क्षेत्र चारागाह भूमि पृथक रखने हेतु निर्देश प्रदान किये है। परन्तु इसमें में प्राधिकरण (जयपुर विकास प्राधिकरा, जयपुर एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर) आदि के नाम से दर्ज चारागाह भूमि के उपयोग के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है।

चारागाह भूमि के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय दिनांक 28.01.2011 तथा राजस्व विभाग के उपर्युक्त परिपत्र दिनांक 25.04.2011 जयपुर विकास प्राधिकरण की भूमियों पर लागू होता है अथवा नहीं इस संबंध में नगरीय विकास विभाग, राजस्थान जयपुर जी.ई. वाहनवती, अटार्नी जनरल ऑफ इण्डिया की विशेषज्ञ राय दिनांक 01.10.2013 के आधार परिपत्र क्रमांक प.3(82)नविवि/3/2012 जयपुर दिनांक 21.10.2013 जारी करते हुए उपर्युक्त विशेषज्ञ राय दिनांक 01.10.2013 बिन्दु संख्या 13 उल्लेखित प्रश्नों एवं उतर को यथा उल्लेख करते हुए चारागाह भूमि के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करने के निर्देश प्रदान किये। परन्तु इस परिपत्र दिनांक 21.10.2013 में स्पष्ट नहीं किया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण अथवा अन्य समान प्राधिकरण अपने स्वामित्व एवं नाम से दर्ज चारागाह भूमियों में योजना बनाकर उपयोग ले समते है तथा ऐसा करने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.01.2010 की अवमानना नहीं होती है। परिपत्र दिनांक 21.10.2013 में उल्लेखित उपर्युक्त प्रश्न एवं उतर निम्नानुसार है :–

13 I shall now proceed to answer the queries as under :

Q.a Whether the judgment to the Hon'ble Supreme Court of India dated 28-01-2011 does in any manner impunge upon the rights of JDA to dispose of the land or develop the land in accordance with the provisions of Jaipur Development Authority act of 1952?

Ans. No.

Q.b Whether the circular issued by Govt. of Rajasthan dated 25-04-2011 would also be confined to lands which are governed by Rajasthan Land Revenu Act, i.e. the land which are not urban and rural in nature?

Ans. Does not arise.

Q.c Whether the provisions of Jaipur Development Authority Act shall have overriding effect over the provisions of Rajasthan Land Revenue Act as laid down under Section 54 of the Jaipur Development Authority Act.

Ans. Yes

इस प्रकार परिपत्र दिनांक 21.10.2013 के क्रम में श्री जी. ई. वाहनवती अटार्नी जनरल ऑफ इण्डिया की विशेषज्ञ राय दिनांक 01.10.2013 के क्रम में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के स्वामित्व की भूमियों के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन करने पर धारा 54 जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 के समान धारा 48 जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 है। जिसके अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) में किसी बात के होने पर भी उस अधिनियम की धारा 103 में यथा परिभाषित भूमि – उक्त धारा के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट भूमि को और जोधपुर रीजन में उस अधिनियम की धारा 108–2 के अधीन ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के पास रखी गयी नजूल भूमि को छोडकर, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्राधिकरण के स्थापित होने के तुरन्त पश्चात् प्राधिकरण को सौंपी गई और उसमें निहित हुई समझी जायेगी। 2

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि चारागाह भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु संबंधित नियमों एवं परिपत्रों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण अथवा इसके समकक्ष अन्य किसी प्राधिकरण क्षेत्र एवं उसके स्वामित्व की भूमि जिसकी किस्म चारागाह है, पर योजना बनाकर उपयोग किया जा सकता है अथवा नहीं और ना ही यह स्पष्ट होता है कि क्या प्राधिकरण के स्वामित्व की ऐसी भूमि जिसकी किस्म चारागाह है उसके उपयोग के बदले क्षतिपूर्ति के रूप में बराबर क्षेत्रफल की अन्य अधिवासित कृषि भूमि प्राधिकरण क्षेत्र में दर्ज कर चारागाह हेतु रखी जानी है ? परन्तु, यदि धारा 48 जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि के संबंध में अटार्नी जनरल ऑफ इण्डिया की उपर्युक्त राय दिनांक 01.10.2013 के परिपेक्ष्य में, अध्ययन किया जाये तो प्रथम दृष्टिया ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकरण अपने स्वामित्व की ऐसी भूमि जिसकी किस्म चारागाह है का उपयोग योजना बनाकर कर सकता है। तथा इसके बदले में क्षतिपूर्ति के रूप में बराबर क्षेत्रफल की अन्य अधिवासित कृषि भूमि चारागाह के रूप में दर्ज कर रखने जाने की अनिवार्यता नहीं है। इसके अलावा यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 246/2007 मिल्क मैन कॉलोनी विकास समिति बनाम् राजस्थान राज्य व अन्य में अपने निर्णय दिनांक 17.01.2007 के द्वारा यह निर्देश प्रदान किये है कि ड़ेयूरी व्यवसायों एवं गऊपालकों को जोधपुर शहर से बाहर प्रस्तावित न्यू मिल्क मैन कॉलोनी में शिफ्ट किया जाये। इस हेतु जोधपुर शहर हेतु मौजूदा विभिन्न गऊशालाओं के अलावा ग्राम बड़ली तहसील जोधपुर के खसरा नं. 88 में न्यू मिल्क मैन कॉलोनी प्रस्तावित है तथा पाल रोड़ पर स्थित मिल्क मैन कॉलोनी वर्ष 1956 में इसी उद्देश्य से विकसित की गई थी जो वर्तमान में अस्तित्व है। ऐसी स्थिति में शहरी सीमा के भीतर गोचर भूमि को रिक्त रखे जाने की कोई उपयोगिता जनहित एवं शहरी विकास के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। चारागाह भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग की क्षतिपूर्ति के एवज में जोधपुर शहर में स्थित विभिन्न गऊशालाओं को आवंटित भूमियां एवं मिल्क मैन कॉलोनी तथा प्रस्तावित मिल्क मैन कॉलोनी को आवंटित भूमि के क्षेत्र को व्यवहारिक एवं सैद्वान्तिक रूप से स्वीकार किया जाना विशाल जनहित एवं शहरी विकास के परिपेक्ष्य में उचित होगा। चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय दिनांक 28.01.2011 भारतीय संविधान अनुच्छेद 142 के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डिक्री की परिभाषा में आता है। इसलिए चारागाह भूमि के गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिये जाने के संबंध में लिये जाने वाला निर्णय राज्य सरकार से अनुमोदित करवाया जाना उचित होगा।

अतः निम्नलिखित निर्णय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है :–

1. जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के स्वामित्व एवं उसके नाम से दर्ज ऐसी भूमि जिसकी किस्म चारागाह है को योजना बनाकर उपयोग लिया जाये।
2. चूंकि चारागाह भूमि गांवों की मवेशीयों को चराने के काम में आती है। परन्तु ऐसे गांव जिनमें चारागाह भूमि अवस्थित है तथा जो शहर सीमा (Urban Limit) के अन्दर आ गये है। ऐसे गांवों में अवस्थित चारागाह भूमि की उपयोगिता इस कारण नहीं रह जाती है। क्योंकि ऐसे गांवों तथा गांवों से संबंधित समस्त कृषि भूमि का मास्टर प्लान के अनुसार उपयोग किये जाने की अनुमति जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में प्राधिकरण क्षेत्र में चारागाह भूमि के उपयोग के बदले अलग से एक निश्चित अनुपात में भूमि यातायात व्यवस्था एवं अन्य भूमि के उपयोग को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार आरक्षित की जानी उचित होगी जिसका उपयोग गऊशाला एवं ड़ेयरी व्यवसाय हेतु ही किया जाये।
3. चारागाह भूमि पर योजना बनाकर उपयोग लेने के परिणाम स्वरूप होने वाले लाभ में से एक निश्चित राशि ऐसी गऊशालाओं के समुचित रख–रखाव हेतु आरक्षित रखने हेतु अलग से कोष बनाया जाना उचित होगा।

4. शहरी क्षेत्र में गोपालकों एवं डेयरी व्यवसायों हेतु ही आवश्यकतानुसार पृथक कॉलोनियां विकसित की जाये जिनमें चारागाह भूमि से लाभार्थी गांवो में रहने वाले ग्रामवासियों को डेयरी व्यवसाय हेतु प्राथमिकता के आधार पर भूखण्ड आवंटित किया जाये।
5. चारागाह भूमि का राजकीय विभागों को राजकीय उपयोग हेतु आवंटन किया जाना उचित होगा।
6. चारागाह भूमि का जनहित तथा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटन किया जाना उचित होगा।
7. चारागाह भूमि में निजी एवं व्यवसायिक उपयोग पूर्णतः निषेध रखा जाना उचित होगा।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावित बिन्दुओं का प्राधिकरण बैठक में अनुमोदनार्थ निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1- चूंकि चारागाह भूमि गांवों की मवेशियों को चराने के काम में आती है। परन्तु गांवों के शहरी सीमा (जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की सीमा) में आ जाने से चारागाह भूमि की उपयोगिता उसके मूल उद्देश्यों के अनुरूप नहीं रह जाती है। इस कारण ऐसी रिक्त चारागाह भूमि पर अनाधिकृत कब्जे, अतिक्रमण तथा कच्ची बस्तियों के बसने की प्रबल संभावना रहेगी। जिससे भविष्य में अनावश्यक परेशानियां उत्पन्न होगी तथा जो मास्टर प्लान के अनुसार विकास के विरूद्ध होगा। ऐसी स्थिति में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम से दर्ज चारागाह भूमि को योजना बनाकर उपयोग में लिया जावे।

2- बिन्दु संख्या 2 एवं 4 के संबंध में यह निर्णय लिया जाता है कि चूंकि जोधपुर शहर में गौशाला हेतु समय समय पर राजकीय भूमि आवंटित की गयी है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 17 जनवरी, 2007 (सिविल अपील संख्या 246/2007 मिल्कमैन कॉलोनी विकास समिति बनाम राजस्थान राज्य व अन्य) की पालना में जोधपुर शहर में चल रहे डेयरी व्यवसाय एवं गौपालकों को शहर से बाहर प्रस्तावित न्यू मिल्कमैन कॉलोनी में शिफ्ट किया जा रहा है। इस हेतु जोधपुर तहसील के ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 88 में राजकीय भूमि का आवंटन किया गया है। ऐसी स्थिति में चारागाह के क्षतिपूर्ति के बदले अलग से अन्य कोई राजकीय भूमि आरक्षित रखे जाने की उपयोगिता नहीं रह जाती है। आवश्यकतानुसार भविष्य में गौपालकों हेतु कॉलोनी के आवंटन हेतु आवंटन किया जा सकेगा।

3- बिन्दु संख्या 3 को अस्वीकार किया जाता है क्योंकि गौपालकों हेतु कॉलोनी में विकास जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा ही कराया जाता है। ऐसी स्थिति में अलग से कोष बनाये जाने की अनिवार्यता नहीं है।

4- बिन्दु संख्या 5 व 6 के संबंध में यह निर्णय लिया जाता है कि चारागाह भूमि में जनहित एवं राजकीय उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार आवंटन किया जा सकेगा।

5- बिन्दु संख्या 7 के संबंध में यह निर्णय लिया जाता है कि निजी एवं व्यवसायिक उपयोग किसी योजना के अन्तर्गत किया जा सकेगा। पूरे चारागाह भूमि को किसी एक व्यक्ति को निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग हेतु आवंटित नहीं की जावेगी।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

5/8/14.
(अजरा परवीन)
सचिव

क्रमांक / आवंटन / 2014 / 1802–5 / 2178-217 दिनांक :: 4 अगस्त, 2014

प्रतिलिपिः–

01. प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
03. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
04. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
05. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
06. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
07. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
08. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड
09. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
10. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
11. निदेशक– अभियांत्रिकी / नियोजन / वित्त / विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. निजी सचिव (आयुक्त / अध्यक्ष महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री मनीष भाटी, एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. ....

4/8/14.

(अज़रा परवीन)

सचिव

2179-2217
5-8-2014.

परिशिष्ट–1

दिनांक 30 – 31 जुलाई, 2014 को प्रातः 11.00 बजे श्री छगनलाल श्रीमाली, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्री डी.के. दुबे, अधीक्षण अभियन्ता–शहर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
2. श्री कैलाश रामदेव, अधीक्षण अभियन्ता–नगर, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
3. श्री प्रदीप मोहन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण), जोधपुर
4. श्री कैलाशनदान जुगतावत, अतिरिक्त उपायुक्त–पुलिस (यातायात), जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
5. श्री अमरसिंह गोदारा, प्रबन्धक (यातायात), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
6. श्री एस.सी. माथुर, अधिशाषी अभियन्ता–नगर खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
7. श्री एम.एस. चौहान, अधिशाषी अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
8. श्री रविन्द्र माथुर, सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
9. श्री आर.पी. शर्मा, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री जगदीश कुमार चौहान, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री ज्ञानेश्वर व्यास, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री अनिल कुमार माथुर, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्रीमती अज़रा परवीन, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

कार्य शुरू नही हुए की सूची

पार्ट-2

क्र.स.	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	अनुबंध संख्या	कार्यादेश राशि (लाखों में)	कार्य शुरू करने की तारीख	कार्य पूर्ण करने की तारीख	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पुरानी पाली रोड से रामीजी के थान(झालामण्ड) तक सडक निर्माण कार्य	34.00	F38(96)/ 2012-13	32.45	01.02.13	30.05.13	कार्य प्रारंभ नही
2	सेनों की ढाणी में सडक निर्माण कार्य	119.00	F38(99)/ 2012-13	29.43	01.02.13	30.05.13	कार्य प्रारंभ नही
3	सरदार समन्द रोड से भानजी स्केत की ढाणी होते हुए फिटकासनी तक सडक निर्माण का कार्य।	130.61	F38(132)/ 2012-13	109.76	28.02.13	31.08.13	कार्य प्रारंभ नही
4	पी.डब्ल्यू.डी. चौराहे से धाया सेनापति भवन एम.बी.एम. इंजिनियरिंग कॉलेज तक सिवर लाईन का कार्य।	54.77	F38(81)/ 2012-13	62.53	14.01.13	15.07.13	कार्य प्रारंभ नही
5	जोधपुर पाली मुख्य सडक से मोगडा खुर्द तक आम चौराहा तक सडक निर्माण कार्य	29.04	F38(84)/ 2013-14	30.77	23.08.13	22.12.13	कार्य प्रारंभ नही
6	अनफगढ योजना की सडकों पर कारपेट का कार्य।	26.20	F38(110)/ 2013-14	27.80	29.09.13	28.01.14	कार्य प्रारंभ नही
7	जोनाल कॉलोनी म सडक चौडी कर डामरीकरण का कार्य।	35.00	F38(111)/ 2013-14	37.55	29.09.13	28.01.14	कार्य प्रारंभ नही
8	आहुजा कॉलोनी में सडक डामरीकरण का कार्य।	20.00	F38(112)/ 2013-14	21.09	29.09.13	28.01.14	कार्य प्रारंभ नही
9	सुनार चौक से होते हुए कृष्ण मन्दिर होते हुए सब्जी मंडी तक सडक निर्माण कार्य।	231.25	F38(115)/ 2013-14	70.65	04.10.13	03.04.14	कार्य प्रारंभ नही
10	कोलोनी फौजदार में कान्हावास के फाटे से शमशान घाट होते हुए बिश्नोईयों का बास जी.एस.आर.तक सडक निर्माण कार्य	107.35	F38(120)/ 2013-14	106.83	04.10.13	03.06.14	कार्य प्रारंभ नही
11	एन.एच से पीलार बालाजी मन्दिर के पीछे से होते हुए एन.एच.112 तक सडक निर्माण	75.00	F38(132)/ 2013-14	73.64	13.10.13	12.04.14	कार्य प्रारंभ नही
12	मंडी कॉलोनी में शेष रही सडकों का निर्माण कार्य।	38.60	F38(107)/ 2013-14	44.29	30.09.13	29.01.14	कार्य प्रारंभ नही
13	मुसलमानों की बस्ती पलासनी में इण्टर लोकिंग कार्य।	24.30	F38(123)/ 2013-14	19.50	07.10.13	06.02.14	कार्य प्रारंभ नही
14	जोन पूर्व में शहर विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों में सी.सी. सडका का निर्माण कार्य।	40.00	F38(141)/ 2013-14	34.44	12.10.13	12.10.14	कार्य प्रारंभ नही
15	हरिसिंह नगर रेजिडेंसी रोड में सी सी सडक निर्माण कार्य।	35.65	F38(148)/ 2013-14	28.47	13.10.13	12.02.14	कार्य प्रारंभ नही
16	वायु विहार झालामण्ड में सीवर लाईन डालने का कार्य	190.00	F38(18)/ 2013-14	38.76	27.05.13	26.11.13	कार्य प्रारंभ नही
17	जोन पूर्व में शहर विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न कॉलोनियों में सीवर लाईन में रिपेयर मरम्मत कार्य।	40.00	F38(144)/ 2013-14	45.96	12.10.13	11.02.14	कार्य प्रारंभ नही
18	सेन्ट्रल स्कूल स्कीम में सिद्धेश्वर महादेव मन्दिर पार्क जन सुविधा ब्लॉक का निर्माण कार्य।	10.00	F38(136)/ 2013-14	11.49	13.10.13	12.01.14	कार्य प्रारंभ नही
19	राजपूतों की शमशान भूमि पलासनी में चार दीवारी निर्माण कार्य।	14.50	F38(97)/ 2013-14	12.42	23.09.13	22.01.14	कार्य प्रारंभ नही
20	जोन पूर्व में विभिन्न स्थानों में चार दीवारी का निर्माण कार्य	40.00	F38(40)/ 2013-14	31.94	20.06.13	19.06.14	कार्य प्रारंभ नही
21	खाण्डाफलसा बाजार स्थित जे.डी.ए. क्वार्टर संख्या 1 व 2 में स्नानघर मय शौचालय का निर्माण	7.20	F38(99)/ 2013-14	6.71	26.09.13	25.12.13	कार्य प्रारंभ नही
22	शेखावास स्थित गौशाला में टिनशेड एवं अन्य विकास कार्य।	53.81	F38(101)/ 2013-14	54.86	10.08.13	09.01.14	कार्य प्रारंभ नही

23	ग्राम नियासनी में प्रतीक्षालय का निर्माण का कार्य।	13.55	F38(29)/ 2013-14	15.04	31.05.13	30.09.13	[illegible]
24	हनुमान वाटिका बनाड में सत्संग भवन निर्माण कार्य	157.00	F38(100)/ 2013-14	104.88	10.08.13	09.01.14	कार्य प्रारंभ नही
25	रातानाडा क्षेत्र मे पूर्व मे निर्मित सामुदायिक भवन की मरम्मत काय।	7.00	F38(108)/ 2013-14	6.90	30.09.13	29.01.14	कार्य प्रारंभ नही
26	सरदार सिंह मेमोरियल छात्रावास एवं खेल केन्द्र में चार दीवारी एवं राजीव गांधी वाचनालय भवन बनाने बाबत्	58.30	F38(126)/ 2013-14	72.43	11.10.13	10.02.14	कार्य प्रारंभ नही
27	आद्य समाज रातानाडा म जर्जर भवन का नवीनीकरण व इण्टरलोकिंग टाइल्स लगाने का का काय।	95.30	F38(135)/ 2013-14	82.00	13.10.13	12.04.14	कार्य प्रारंभ नही
28	अभयगढ योजना में निर्मित सामुदायिक भवन के उपर दो कमरे	25.00	F38(139)/ 2013-14	30.88	12.10.13	11.04.14	कार्य प्रारंभ नही
29	झालामण्ड चोराहे से पाली बाईपास तक पटरी तक डमरीकरण एवं नाला निर्माण कार्य।	310.00	F38(96)/ 2013-14	333.54	26.09.13	25.09.14	कार्य प्रारंभ नही
30	पश्चिम जोन में काटो के तार की फेन्सींग का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध में)	25.00	50/12-13	23.55	26.05.12	25/05/13	कार्य प्रारम्भ नही
31	दारूल उलूम अरबिया इस्लामिया गंगाणा मार्ग छात्रावास में तीन कमरो का निर्माण कार्य	30.00	73/13-14	23.68	04.07.13	3/1/2014	कार्य प्रारम्भ नही
32	ग्राम गेलावास ग्राम पंचायत लूणावास कलां के कब्रिस्तान की चार दीवारी का निर्माण कार्य	7.00	76/13-14	6.28	05/07/2013	3/10/2013	कार्य प्रारम्भ नही
33	पुराना श्मशान पावटा बेरा में टिन शैड व चबूतरा निर्माण कार्य	22.30	84/13-14	17.81	05/07/2013	4/1/2014	कार्य प्रारम्भ नही
34	बालाजी मन्दिर भटी की बावडी सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	12.00	106/98/13-14	10.70	03/08/2013	2/2/2014	कार्य प्रारम्भ नही
35	डामर सड़क निर्माण केरु गावं बाई पास लम्बाई 2.00 कि.मी.	60.00	108/13-14	55.95	05/08/2013	04/02/2014	कार्य प्रारम्भ नही
36	ग्राम पंचायत जोलीयाली के ग्राम लेरो की ढाणी में सामुदिक भवन कार्य	15.00	121/13-14	15.63	11/08/2013	10/1/2013	कार्य प्रारम्भ नही
37	ग्राम चौखा दन्ताला भाखर पर स्थित वैष्णव देवी मन्दिर तक सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य।	19.00	138/13-14	16.35	13/09/2013	12/1/2014	कार्य प्रारम्भ नही
38	डांमर रोड मदर से के पास गली मे डांमर रोड में डामरी करण निर्माण कार्य	10.19	139/13-14	10.18	13/09/2013	12/1/2014	कार्य प्रारम्भ नही
39	रोहिला कल्ला (फलारीया कल्ला) में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	32.60	149/13-14	12.41	15/09/2013	14/1/14	कार्य प्रारम्भ नही
40	ग्राम आगोलाई में सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य	13.00	151/13-14	12.01	15/09/2013	14/1/14	कार्य प्रारम्भ नही

41	रूप नगर में डामर सडक निर्माण कार्य	47.75	157/13-14	47.66	19/09/2013	18/1/14	कार्य प्रारम्भ नही
42	मेघ नगर में डामर सडक निर्माण कार्य	40.00	158/13-14	39.81	19/09/2013	18/1/14	कार्य प्रारम्भ नही
43	ग्राम पोपावास में पुखराम पुत्र श्री भरकाराम गोदारा के सार्वजनिक भवन व बाथरूम व शौचालय का निर्माण कार्य	20.18	164/13-14	20.17	19/09/2013	18/1/14	कार्य प्रारम्भ नही
44	चो.हा.बोर्ड के विभिन्न पार्को में विकास कार्य।	48.00	171/13-14	41.37	22/09/2013	21/3/14	कार्य प्रारम्भ नही
45	ग्राम पंचायत तोरडी देजगरा कराणी के ग्राम तोरडी डोलिया में सभा भवन निर्माण कार्य।	16.79	172/13-14	16.78	22/09/2013	21/3/14	कार्य प्रारम्भ नही
46	ग्राम घटियाला में मेघवालो के बास में सार्वजनिक भवन का निर्माण कार्य .	11.20	174/13-14	11.19	26/09/2013	25/3/14	कार्य प्रारम्भ नही
47	आगोलाई ग्राम में सडक निर्माण कार्य।	51.00	176/13-14	50.16	26/09/2013	25/1/14	कार्य प्रारम्भ नही
48	सिंधियों की ढाणी में सभा भवन निर्माण का कार्य	22.50	179/13-14	24.26	05/10/2013	4/4/2014	कार्य प्रारम्भ नही
49	न्यू बकरा मंडि कुरैशी नगर चोखा गंगाणा रोड पर विश्राम गृह निर्माण	48.50	180/13-14	44.26	05/10/2013	4/4/2014	कार्य प्रारम्भ नही
50	शंकर मेघ नगर पीपली चौराहे के पास पार्क का विकास कार्य	20.00	181/13-14	15.43	09/10/2013	8/2/2014	कार्य प्रारम्भ नही
51	ग्राम पंचायत खूपावास खारा में भोमियाजी मंदिर परिसर में सत्संग भवन निर्माण कार्य	22.50	182/13-14	20.86	09/10/2013	9/4/2014	कार्य प्रारम्भ नही
52	मारवाड नगर में सडक निर्माण	25.00	183/13-14	30.44	09/10/2013	8/4/2014	कार्य प्रारम्भ नही
53	भैरू नाथ गौशाला बडली भैरूजी में चारा गोदाम का विकास कार्य	30.00	184/13-14	25.59	09/10/2013	8/3/2014	कार्य प्रारम्भ नही
54	गिरधर आश्रम हनुमान पुरा में हनुमान मन्दिर का जिर्णोद्वार कराने का कार्य	32.50	188/13-14	26.29	09/10/2013	8/4/2014	कार्य प्रारम्भ नही
55	कुलदेवी श्री चित्तोड माता के मन्दिर के पास में सत्संग भवन निर्माण कार्य	12.50	190/13-14	14.53	10/10/2013	9/2/2014	कार्य प्रारम्भ नही
56	ग्राम सेठीला कल्ला रोड से चान्दणा खांजी जाने वाले रास्ते पर पुलिया निर्माण कार्य	15.00	196/13-14	16.95	10/10/2013	9/5/2014	कार्य प्रारम्भ नही
57	चोराई नगर ग्राम हिंगोला में मस्जिद के पास सडक निर्माण कार्य	48.00	200/13-14	49.78	10/10/2013	9/2/2014	कार्य प्रारम्भ नही

72

58	मोहन नगर 'बी' बीजे एस मे सडक निर्माण कार्य।	25.00	356/12-13	29.92	11.02.13	10.08.13	कार्य शुरू नही
59	पांवटा सी रोड मटकी चौराहा से आरटीओ ऑफिस क्रोसिंग तक सडक मरम्मत का कार्य	163.00	329/12-13	38.78	28-02-13	27.06.13	कार्य शुरू नही
60	गायत्री नगर से आरटीओ ऑफिस के पीछे तक सम्पर्क सडक का कार्य ।	12.58	216/12-13	12.58	14-12-12	13.04.13	कार्य शुरू नही
61	नाथ सागर बेरा सामुदायिक भवन का शेष कार्य।	10.00	17/13-14	9.08	28.06.13	27.10.13	कार्य शुरू नही
62	मदेरणा कोलोनी मे नाडी विकास कार्य।	23.00	48/13-14	19.75	26.07.13	25.12.13	कार्य शुरू नही
63	हनुवन्त पार्क मे बरामदा व अन्य विकास कार्य।	60.00	193/13-14	40.03	8/9/2013	06.02.14	कार्य शुरू नही
64	अन्नासागर बंजारा समाज शमशान मे सिढिया/स्टोर का निर्माण कार्य।	10.00	73/...13-14	8.86	15.07.13	14.11.13	कार्य शुरू नही
65	गोस्वामी समाज शमशान वार्ड 65 अन्नासागर मे विकास कार्य।	15.40	75/...13-14	16.74	19.07.13	18.11.13	कार्य शुरू नही
66	वाडा प्रजापत समाज शनशान अन्नासागर मे विकास कार्य।	20.00	208/...13-14	22.49	8/8/2013	07.01.14	कार्य शुरू नही
67	जटिया समाज के शमशान भूमि के स्नानघर एवं चार दीवारी बनाने का कार्य।	23.50	301/...13-14	24.61	6/10/2013	05.02.14	कार्य शुरू नही
68	खटीक समाज के मुक्ति धाम किर्ती नगर मे विकास कार्य।	24.00	335/...13-14	26.42	16.08.13	15.01.14	कार्य शुरू नही
69	मृगवाही ब्रहामण देशान्तरी जोगी समाज शमशान किर्ती नगर अन्नासागर जोधहपुर मे बरामदे व टिन शेड लगाने का कार्य।	10.50	337/...13-14	10.17	14.10.13	13.03.14	कार्य शुरू नही
70	गारू कुम्हार प्रजापति स्वर्गाश्रम अन्नासागर मे हॉल व टीन शेड का निर्माण कार्य	24.00	278/...13-14	18.47	7/16/2013	15.12.13	कार्य शुरू नही
71	मदेरणा कालोनी वार्ड 60 मे मालियो की प्याउ के आगे श्नशान की चार दीवारी सामुदायिक भवन व टाक का निर्माण कार्य।	20.00	316/...13-14	21.77	13-9-13	12.02.14	कार्य शुरू नही
72	मदेरणा कोलोनी राजूत समाज मे एक हॉल व अन्य विकास कार्य।	20.00	318/...13-14	22.91	7/10/2013	06.03.14	कार्य शुरू नही
73	राजीव नगर बी मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	15.00	131/...13-14	14.06	27.07.13	26.12.13	कार्य शुरू नही
74	श्रीमाली ब्रहमण समाज स्वर्गाश्रम के पास नाले की मरम्मत का कार्य।	24.00	123/...13-14	23.88	21.07.13	20.12.13	कार्य शुरू नही
75	बाबू लक्ष्मण सिंह कोलोनी मे माता रानी भटियाणी मंदिर तालियां का निर्माण कार्य।	15.00	154/...13-14	12.96	8/10/2013	09.01.14	कार्य शुरू नही
76	मदवासिया गैस गोदाम से राजीव नगर बी तक चैनल का निर्माण कार्य।	65.00	160/...13-14	55.69	8/8/2013	07.01.14	कार्य शुरू नही

72

77	मदेरणा कोलोनी मे स्कूल के पास सार्वजनिक भवन का निर्माण कार्य।	24.50	248/...13-14	26.61	7/15/2013	14.12.13	कार्य शुरू नही
78	वार्ड सं. 59 तिलक नगर प्रथम मे द्वितीय तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	24.00	253/...13-14	30.57	9/10/2013	09.02.14	कार्य शुरू नही
79	वार्ड सं. 59 तिलक नगर द्वितीय तल पर सामुदयकि भवन का निर्माण कार्य।	24.00	254/...13-14	30.31	10/9/2013	09.02.14	कार्य शुरू नही
80	गाडिया लोहार समाज मे प्रथम तल पर हॉल निर्माण कार्य।	20.00	261/...13-14	18.56	16-08-2013	15.01.14	कार्य शुरू नही
81	भदवासिया गुलजार नगर राजीव नगर बी तक आर सीसी द्वारा नाला कवरिंग कार्य।	85.00	217/...13-14	87.54	5/9/2013	04.03.14	कार्य शुरू नही
82	मानजी का हत्था सेन्ट्रल को ओपरेटिव बैंक के सामने व आस् पास से क्षेत्रो् मे सडक निर्माण कार्य।	45.00	92/13-14	46.47	20.07.13	19.01.13	कार्य शुरू नही
83	अन्नासागर स्वर्गाश्रम हेतु सडक निर्माण कार्य।	45.00	124/13-14	45.43	20.07.13	19-12-2013	कार्य शुरू नही
84	गांधीपुरा रेल्वे कासिंग से आरटीओ आफिस तक सडक निर्माण कार्य	160.00	172/13-14	43.40	8.8.13	07.02.14	कार्य शुरू नही
85	वार्ड संख्या 60 तेली बस्ती मे सीसी सडक निर्माण कार्य।	35.00	113/13-14	30.22	26.07.13	25.12.13	कार्य शुरू नही
86	वार्ड संख्या 60 मे जागमाया मंदिर के सामने गलियो मे सडको का निर्माण कार्य	35.00	147/13-14	36.69	21.07.13	20.12.13	कार्य शुरू नही
87	अन्नासागर मगरा पूंजला के पास ग्राम की नाडी स्थित मंदिर के पास सामुदायिक भवन का कार्य।	24.00	214/13-14	23.14	9/3/2013	02.02.14	कार्य शुरू नही
88	हनुवन्त नगर मे डामरीकरण का कार्य	72.00	299/13-14	53.69	4/10/2013	03.03.14	कार्य शुरू नही
89	शिकार बेरा माली समाज होली चोक मे सामुदायिक भवन स्नानघर का निर्माण कार्य	22.00	32(13-14)	20.88	06.07.13	05.12.13	कार्य शुरू नही
90	श्री यादे माता मन्दिर के पास गुलजार नगर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	26.00	42/13-14	24.86	06.07.13	05.12.13	कार्य शुरू नही
91	राईका बाग अण्डर ब्रिज पर चढने हेतु सिढियों का निर्माण कार्य।	10.00	52/13-14	9.58	06.07.13	5.11.13	कार्य शुरू नही
92	महाराणा प्रताप पार्क मे सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य।	20.00	57/13-14	19.80	28.07.13	27.12.13	कार्य शुरू नही
93	पृथ्वीपुरा स्थित विभिन्न पार्को मे विकास कार्य।	20.00	58/13-14	17.27	07.07.13	06.12.13	कार्य शुरू नही
94	ग्राम डिगाडी के खसरा नं. 144/1 मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	22.00	122/13-14	25.26	21.07.13	20.12.13	कार्य शुरू नही
95	पृथ्वीराज चौहान पार्क बीजेएस मटकी चौराहा मे विकास कार्य।	20.00	137/13-14	18.77	29-7-2013	28.12.13	कार्य शुरू नही
96	मेघवालो की गली प्रेम नगर मे डामर सडक का कार्य।	45.00	179/13-14	10.52	7/28/2013	27.11.13	कार्य शुरू नही

97	सैनिक पूरी में सामुदायिक भवन व चार दिवारी का कार्य वार्ड न 57	18.00	206 / 13-14	19.96	2/9/2013	01.02.14	कार्य शुरू नही
98	डिगाडी भोमियाजी का थान में चार दिवारी सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य	18.00	251 / 13-14	18.19	9/8/2013	07.02.14	कार्य शुरू नही
99	पृथ्वीपुरा वाल्मिकी बस्ती में बाबा रामदेव मंदिर पर हॉल का निर्माण कार्य	15.00	285 / 13-14	19.99	8/18/2013	17.01.14	कार्य शुरू नही
100	जाट समाज श्मशान भुखण्ड पर हॉल का निर्माण कार्य।	39.00	306 / 13-14	25.59	7/10/2013	06.03.13	कार्य शुरू नही
101	मन्दिर वाला देरा में सीमेन्ट सड़क का कार्य।	30.00	311 / 13-14	26.16	7/10/2013	06.02.14	कार्य शुरू नही
102	रूप नगर सुल्तान नगर में डब्ल्यु बी एम व डमारीकरण का कार्य।	100.00	313 / 13-14	85.49	24-08-2013	23.01.14	कार्य शुरू नही
103	प्रजापति कॉलोनी में सड़क निर्माण कार्य।	16.00	319 / 13-14	13.81	7/10/2013	06.02.14	कार्य शुरू नही
104	गायत्री शक्ति पीठ रातानाडा में प्रथम तल पर निर्माण कार्य।	97.00	324 / 13-14	109.52	10/10/2013	09.06.14	कार्य शुरू नही
105	रसाला रोड ओवरब्रिज के पास वाचनालय का कार्य।	25.00	329 / 13-14	28.05	13-10-2013	12.03.14	कार्य शुरू नही
106	शिव मंदिर परिसर माता का थान पर भवन निर्माण कार्य।	62.00	331 / 13-14	64.25	28-09-2013	27.02.14	कार्य शुरू नही
107	जोन उत्तर ए को विभिन्न वार्ड सं. 42,43,57,58 व 61 में सीमेन्ट कंक्रीट सड़क का कार्य।	100.00	269 / 13-14	86.15	20-09-2013	19.03.14	कार्य शुरू नही
108	इच्छापुर्ण बालाजी मन्दिर पावटा सब्जी मण्डि के सामने स्थि सामुदायिक भवन एवं फुटबाल एरलोकिग टाईलस का कार्य।	57.30	336 / 13-14	65.78	14-10-13	13.07.14	कार्य शुरू नही
109	राव समाज उम्मेदसागर में विकास कार्य।	20.00	105 / 13-14	17.70	20/7/13	19/12/13	कार्य शुरू नही
110	लक्ष्मीनगर पार्क 2 मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	22.00	130 / 13-14	22.19	27/7/13	26/12/13	कार्य शुरू नही
111	आर्य समाज व्यायाम शाला महामंदिर मे वाचनालय का निर्माण कार्य	20.00	142 / 13-14	18.93	29/7/13	28/12/13	कार्य शुरू नही
112	चतुरावता पलिया बालाजी मन्दिर के पीछे शिवजी के मन्दिर में चबुतरा टाईल्स का कार्य।	18.00	159 / 13-14	18.89	10/8/2013	9/1/2014	कार्य शुरू नही
113	तिलक नगर द्वितीय मे विभिन्न स्थानों पर सी सी सड़क का कार्य।	20.00	237 / 13-14	19.93	5/9/2013	4/1/2014	कार्य शुरू नही
114	हरिजनबस्ती मेघवाल बस्ती में सीमेन्ट सडक निर्माण कार्य।	114.00	266 / 13-14	40.02	17/9/13	9/1/2014	कार्य शुरू नही
115	मदेरणा कॉलोनी स्थित सन्त समाधी स्थल स्वर्गाश्रम पर हॉल व कमरे स्नानाघर का निर्माण कार्य।	45.00	343 / 13-14	58.13	14/10/13	13/3/14	कार्य शुरू नही

57

116	जोन उत्तर बी के वार्ड 54,55,56,59 व 60 में सीमेन्ट कंक्रीट सड़क कार्य।	100.00	267／13–14	86.15	16/9/13	15/3/14	कार्य शुरू नही
117	नवोडा बेरा मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	18.50	348/12-13	21.28	11.2.13	10.07.13	कार्य शुरू नही हुआ
118	आंगणवा नाला निर्माण कार्य।	23.00	161/12-13	18.27	15.8.12	14.12.13	कार्य शुरू नही हुआ
119	वृद्धा आश्रम नागोरी बेरा मे स्नानाघर निर्माण कार्य।	4.00	78/12-13	3.45	23.6.12	22.12.12	कार्य शुरू नही हुआ
120	भाकर बारा बासनी तम्बोलियान मे रामदेव श्री मंदिर की चार दीवारी का निर्माण कार्य	10.00	154/12-13	8.43	5.8.12	04.12.12	कार्य शुरू नही हुआ
121	भील समाज श्मशान आंगणवा मे चार दीवारी टीन शेड हॉल पानी का टांका निर्माण कार्य	30.65	324/12-13	27.27	24.2.13	24.06.13	कार्य शुरू नही हुआ
122	चैनपुरा स्टेडियम से गण्डावता तक सड़क सुदृढीकरण का कार्य।	48.00	120/12-13	45.48	'21-07-12	'20-01-13	कार्य शुरू नही हुआ
123	पाबु बस्ती के विभिन्न स्थानो पर सीसी रोड का कार्य	40.00	240/12-13	33.49	'24-12-13	23.05.13	कार्य शुरू नही हुआ
124	खेतानाडी मे महेश्वरी कॉलोनी मे सड़को का निर्माण कार्य	25.00	362/12-13	26.35	'11-03-13	10.08.13	कार्य शुरू नही हुआ
125	खसरा नं. 176 माता का थान स्थित सरकारी जमीन पर सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	13.00	134/12-13	12.03	'21-07-12	20.12.12	कार्य शुरू नही हुआ
125	बाकिया बेरा मे अधूरा रहा सार्वजनिक हॉल का निर्माण कार्य	10.24	197/12-13	10.24	'29-11-12	28.02.13	कार्य शुरू नही हुआ
127	ब्रज बावडी मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	18.69	231/12-13	18.69	'14-12-13	13.04.13	कार्य शुरू नही हुआ
128	जगदम्बा कॉलोनी माता के थान के पीछे सामुदायिक भवन एवं स्नानघर का कार्य	16.00	260/12-13	17.22	'13-01-13	12.05.13	कार्य शुरू नही हुआ
129	आर्य समाज मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	38.00	282/12-13	40.26	'14-01-13	13.05.13	कार्य शुरू नही हुआ
130	पाबुबस्ती मे नाला निर्माण कार्य	5.00	192/12-13	4.31	'29-11-12	28.02.13	कार्य शुरू नही हुआ
131	मेघवालो की बस्ती मगरा पूंजला मे मैन रोड रामदेवजी का मंदिर वार्ड सं. 62 मे चार दीवारी का कार्य	12.83	174/12-13	11.83	'04-10-12	03.03.13	कार्य शुरू नही हुआ
132	रामबाग [illegible] पूंजला मे विकास कार्य	140.00	243/12-13	117.23	'24-12-12	23.08.13	कार्य शुरू नही हुआ
133	ठाकुर जी का मंदिर बावडी चौराहा मगरा पूंजला मे विकास कार्य	24.50	288/12-13	25.83	'09-02-13	08.06.13	कार्य शुरू नही हुआ

134	ऋषि केश नगर बहादुर नगर एवम् चौलावता बेरे में सड़क निर्माण कार्य।	25.00	123/12-13	21.99	'21-07-12	20.01.13	कार्य शुरु नही हुआ
135	भाकर बारा बासनी राम्बोलिया मे सी.सी व सीवर लाईन का कार्य	65.00	291/13-14	63.52	4.10.13	3.03.14	कार्य शुरु नही हुआ
136	तिलपा पहाडी पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	24.50	07/13-14	30.93	8.3.13	07.08.13	कार्य शुरु नही हुआ
137	माता का थान खसरा नम्बर 176 मे मां चामुण्डा मन्दिर सामुदायिक हॉल का टायलेट निर्माण कार्य	40.00	21/13-14	36.22	28.6.13	27.11.13	कार्य शुरु नही हुआ
138	बाबू जगजीवन राम कॉलोनी में वाचनालय का निर्माण कार्य	14.50	49/13-14	12.91	27.6.13	26.11.13	कार्य शुरु नही हुआ
139	वार्ड नम्बर 64 मे विभिन्न हॉल का शेष कार्य	20.00	53/13-14	20.63	6.7.13	05.12.13	कार्य शुरु नही हुआ
140	गणपति विहार मण्डोर मे सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य	32.00	98/13-14	27.94	20.7.13	19.12.13	कार्य शुरु नही हुआ
141	तिरुपति बालाजी नगर बोडिवाल गाव मे बालाजी मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	35.00	104/13-14	32.48	20.7.13	19.12.13	कार्य शुरु नही हुआ
142	माता का थान मंदिर के पास सामुदायिक भवन का कार्य	40.00	134/13-14	33.94	29.7.13	28.12.13	कार्य शुरु नही हुआ
143	वार्ड न० 64 मे फुलबाग पार्क के पास सार्वजनिक सामुदायिक केन्द्र का निर्माण कार्य	20.00	148/13-14	20.96	25.7.13	24.12.13	कार्य शुरु नही हुआ
144	आदर्श नगर लाल सागर पार्क में प्रथम तल पर सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य	30.00	207/13-14	32.30	28.7.13	27.12.13	कार्य शुरु नही हुआ
145	जाजीवाल भाटीयान मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	25.00	284/13-14	26.35	29.9.13	28.03.14	कार्य शुरु नही हुआ
146	जोन उत्तर बी के वार्ड 62,63,व 64 के विभिन्न क्षेत्रो मे सामुदायिक भवनो का निर्माण कार्य	96.00	308/13-14	97.39	7.10.13	6.04.14	कार्य शुरु नही हुआ
147	जाजीवाल कला में हॉल निर्माण कार्य	24.00	334/13-14	26.38	14.10.13	13.03.14	कार्य शुरु नही हुआ
148	मालू बस्ती लालसागर महादेव मन्दिर के पास सामुदायिक भवन का कार्य	40.00	339/13-14	45.62	14.10.13	13.03.14	कार्य शुरु नही हुआ
149	विर्दी नगर क्षेत्र मे नाला ढकने का कार्य	24.00	45/13-14	21.81	6.7.13	05.12.13	कार्य शुरु नही हुआ
150	फुलबाग क्षेत्र में नाले का पक्का करने का शेष कार्य	145.00	189/13-14	119.50	22.8.13	21.12.13	कार्य शुरु नही हुआ
151	नागादड़ी नाडी क्षेत्र मे दीवार फुटपाथ एवं पार्किंग का कार्य	183.00	11/13-14	157.60	16.6.13	15.03.14	कार्य शुरु नही हुआ
152	वार्ड नम्बर 64 शंकर मठ मे शेष विकास कार्य	30.00	33/13-14	26.20	7.7.13	06.12.13	कार्य शुरु नही हुआ
153	पाबुजी मन्दिर आंगणवा मे विकास कार्य	24.50	47/13-14	20.30	6.7.13	05.12.13	कार्य शुरु नही हुआ

77

154	कुलबाग स्कूल मे शेष कार्य	20.00	66/13-14	17.23	15.7.13	14.12.13	कार्य शुरू नही हुआ
155	वार्ड 64 हलाब के पास हनुमान मंदिर के पास विकास कार्य	6.00	70/13-14	5.45	15.7.13	14.10.13	कार्य शुरू नही हुआ
156	ज्योति बा फुले मैदान मे फुटबॉल मैदान का कार्य।	25.00	112/13-14	24.49	27.7.13	26.12.13	कार्य शुरू नही हुआ
157	नागौरी बेरा स्थित वाचनालय के पास शौचालय/मुत्रालय का निर्माण कार्य	2.50	158/13-14	2.96	26.7.13	25.10.13	कार्य शुरू नही हुआ
158	बापो श्मशान मे विकास कार्य	18.00	204/13-14	18.00	2.9.13	02.01.14	कार्य शुरू नही हुआ
159	गगरा क्षेत्र मे महिला स्नानघर व हॉल का शेष कार्य।	51.78	260/13-14	51.78	1.8.13	27.01.14	कार्य शुरू नही हुआ
160	वार्ड नम्बर 62 टांको का बास के पास बजिया तालाब की चार दिवारी का कार्य	60.00	282/13-14	53.15	28.9.13	27.02.14	कार्य शुरू नही हुआ
161	ग्राम खोखरिया मे विद्यालय में खेल मैदान की चार दिवारी का कार्य	34.65	289/13-14	29.78	28.9.13	27.02.14	कार्य शुरू नही हुआ
162	गौशाला महर्षि दयानन्द गौशाला मण्डोर मे गो गृह परिधि सड़क व विशिष्ट उपचार केन्द्र का निर्माण कार्य	39.62	338/13-14	44.85	14.10.13	13.03.14	कार्य शुरू नही हुआ
163	सावित्री फुले स्थित पार्क मे विकास कार्य	40.00	287/13-14	34.45	29.9.13	28.02.14	कार्य शुरू नही हुआ
164	किर्ती नगर हुडको क्वार्टर 1 से 8 गली मे डामरीकरण का कार्य	25.00	64/13-14	21.52	7.7.13	6.11.13	कार्य शुरू नही हुआ
165	ग्राम बावड़ी मे विभिन्न स्थानो पर डामर सड़को का निर्माण कार्य	145.00	170/13-14	124.25	08-08-13	07.01.14	कार्य शुरू नही हुआ
166	सुरपुरा मे आंगणवाड़ी के पास जसवंत सागर नहर के दाई पाल तक सड़क निर्माण कार्य	145.00	210/13-14	124.30	21-08-13	20.01.14	कार्य शुरू नही हुआ
167	बावड़ी बिराई सम्पर्क सड़क से ग्राम बावड़ी तक सड़क निर्माण कार्य	90.00	211/13-14	77.39	,03.09.13	02.02.14	कार्य शुरू नही हुआ
168	पुलिस थाना मण्डोर के पास क्षेत्र मे विभिन्न स्थानो पर सड़क निर्माण कार्य	145.00	268/13-14	124.82	'20-09-13	19.03.14	कार्य शुरू नही हुआ
169	वार्ड 62 वासनी मालियान में सड़क डामरी करण कार्य	45.00	298/13-14	51.97	04-10-13	03.03.14	कार्य शुरू नही हुआ
170	नृसिंह विहार क्षेत्र डामरीकरण का कार्य	60.00	307\-13-14	51.64	'24-08-13	23.01.14	कार्य शुरू नही हुआ
171	ग्राम बिराई से बावड़ी तक सड़क निर्माण कार्य	415.00	314/13-14	390.36	'10-10-13	9.05.14	कार्य शुरू नही हुआ
172	स्टोन पार्क धींगाणा से भैरवनाथ के डाउन तक सड़क एवं नाला निर्माण कार्य	35.00	83/13-14	33.48	'26-07-13	25.12.13	कार्य शुरू नही हुआ
173	रामसागर क्षेत्र मे सीवर लाईन व सड़कका निर्माण कार्य	25.00	295/13-14	28.98	'04-10-13	3.03.14	कार्य शुरू नही हुआ
174	सेकेण्डरी स्कूल से जाजीवाल धांधला होते हुए जाजीवाल खिचिया सम्पर्क सड़क का कार्य	48.00	138/13-14	44.41	'29-07-13	28.12.13	कार्य शुरू नही हुआ
175	बड़ला क्षेत्र मे सीसी सड़क का कार्य	45.00	140/13-14	36.23	'29-07-13	28.12.13	कार्य शुरू नही हुआ

176	ग्राम आंगणवामखर वाला बास में सी. सी सडक का कार्य	45.00	212/13-14	36.89	'03-09-13	02.02.14	कार्य शुरू नही हुआ
177	सांसी बस्ती जाजीवाल में सडक निर्माण कार्य	24.00	293/13-14	20.80	'30-09-13	'29-01-14	कार्य शुरू नही हुआ
178	खसरा नम्बर 252 खोखरिया मे सडक निर्माण का कार्य	20.00	296/13-14	17.13	'04-10-13	03.03.14	कार्य शुरू नही हुआ
179	ग्राम पंचायता सालवा कला आबादी क्षेत्र मे सी. सी सडक निर्माण कार्य	140.00	321/13-14	113.66	"10-10-13	9.04.13	कार्य शुरू नही हुआ
180	शिवबाडी महामंदिर मे शेष कार्य	24.00	235/13-14	20.72	'05-09-13	'04-02-14	कार्य शुरू नही हुआ
181	जबरेश्वर महादेव मंदिर मानसागर में सामुदायिक भवन का शेष कार्य	30.00	56/13-14	34.45	19-07-13	18-12-13	कार्य शुरू नही हुआ
182	मेघवाल बस्ती राम मोहल्ला म कंक्रीट सीसी सडक का कार्य	30.00	137/12-13	7.4	20-04-13	'11-07-13	कार्य शुरू नही
183	सावित्री फले महाविद्यालय मे विकास कार्य	34.20	92/12-13	10.04	13-05-13	12-08-13	कार्य शुरू नही
184	खरबुजा बावडी सीवरेज पम्प हाउस से बैरीजाव तक नाला निर्माण कार्य	45.00	98/12-13	17.31	13-05-13	12-09-13	कार्य शुरू नही
185	जोन उत्तर-सी मे मार्बल बैंच लगाने का कार्य	10.00	107/12-13	23.01	13-05-13	12-09-13	कार्य शुरू नही
186	वार्ड न. 51 मे नालियां व छित्तर के कॉस लगाने का कार्य	12.10	117/12-13	10.56	13-05-13	12-09-13	कार्य शुरू नही
187	उदयमंदिर हरिजन बस्ती में जयनारायण व्यास पार्क के सामने की मुख्य सडक पर नई सीसी सडक निर्माण कार्य	62.00	143/12-13	13.53	27-04-13	26-07-13	कार्य शुरू नही
188	ग्राम बिजवाडिया मे माली समाज के श्मशान में हॉल एवं टिन शेड का निर्माण कार्य	24.00	145/12-13	20.83	13-05-13	12-02-14	कार्य शुरू नही
189	उदासीन आश्रम मण्डोर मे हॉल का निर्माण कार्य	30.00	154/12-13	20.83	13-05-13	12-02-14	कार्य शुरू नही
190	पंचकुण्डा सुवेश्वर महादेव मंदिर के पीछे विकास कार्य करवाने का कार्य	8.00	163/12-13	20.83	13-05-13	12-02-14	कार्य शुरू नही
191	मंडोर रेल्वे स्टेशन के पास पार्क का विकास कार्य	31.33	165/12-13	77.48	26-05-13	25-01-14	कार्य शुरू नही
192	सूरसागर बाईपास संकट मोचन बालाजी के पास नाला निर्माण कार्य	125.55	265/12-13 West	42.96	31-05-13	30-11-13	कार्य शुरू नही
193	वाल्मिकी कालोनी मे श्मशान के मुख्य हॉल को बडा करने का कार्य	8.00	8/13-14	130.94	01-06-13	31-03-14	कार्य शुरू नही
194	वार्ड 50 बाबा शमन दिवान शाह दरगाह में विकास कार्य	10.00	9/13-14	138.67	03-06-13	02-03-14	कार्य शुरू नही
195	जयनारायण व्यास कॉलोनी सूरसागर में सीसी सडक निर्माण कार्य	20.00	14/13-14	110.99	01-06-13	28-02-14	कार्य शुरू नही
196	भूटटो सिन्धियान कब्रिस्तान मे चार दीवारी का कार्य	24.00	19/13-14	122.24	01-06-13	31-12-13	कार्य शुरू नही
197	राजीव गांधी सदभावना विकास गार्डन के बाहर सडक निर्माण कार्य	11.00	24/13-14 / West	73.00	24-05-13	23-03-14	कार्य शुरू नही
198	जोन उत्तर सी मे डामर पेच रिपेयर का कार्य	22.00	25/13-14	34.59	08-07-12	07-01-14	कार्य शुरू नही
199	दईजर भील बस्ती मे सामुदायिक भवन निर्माण कार्य	15.00	26/13-14	41.58	27-07-13	26-07-14	कार्य शुरू नही
200	भील समाज श्मशान मंडोर मे शेष रहे कार्य	15.00	27/13-14	21.28	27-07-13	26-01-14	कार्य शुरू नही

201	बिजवाडिया मावि.के पीछे इन्दको तिवरी रोड 18 मील तक सडक निर्माण कार्य	90.00	35/13-14	49.66	27-07-13	26-01-14	कार्य शुरू नही
202	ग्राम बालरवा तहसील ओसिया मे सार्वजनिक श्मशान की भूमि की चार दीवारी का निर्माण कार्य	50.00	46/13-14	36.37	27-07-13	26-11-13	कार्य शुरू नही
203	जोन उत्तर सी मे डामरीकरण का कार्य	145.00	58/13-14	19.34	11-07-13	10-11-13	कार्य शुरू नही
204	करवड से भाटो की ढाणी तक सडक निर्माण कार्य	145.00	59/13-14	41.15	11-08-13	10-02-14	कार्य शुरू नही
205	पावटा पोलो प्रथम मे डामरीकरण का कार्य	116.00	60/13-14	76.41	15-08-13	14-02-14	कार्य शुरू नही
206	पावटा पोलो द्वितीय मे सडक निर्माण कार्य	127.70	61/13-14	26.19	12-08-13	11-12-13	कार्य शुरू नही
207	बनाडी बैरा तक सडक चौडी करने का कार्य	40.00	77/13-14	21.80	12-08-13	11-12-13	कार्य शुरू नही
208	कागा शीतला माता मेला प्रागण मे सामुदायिक सभा भवन का निर्माण कार्य	49.00	80/13-14	54.36	12-08-13	11-12-13	कार्य शुरू नही
209	माली समाज श्मशान सुरसागर मे सामुदायिक हॉल व मरम्मत का कार्य	30.00	81/13-14	30.24	12-08-13	11-12-13	कार्य शुरू नही
210	जोन उत्तर सी मे विभिन्न स्थानो पर सीमेन्ट सडक का निर्माण कार्य	50.00	90/13-14	206.30	31-08-13	30-08-14	कार्य शुरू नही
211	आयुर्वेदिक हास्पीटल बालसमंद के पीछे सीसी सडक एवं सीवर लाईन का कार्य	25.00	92/13-14	31.02	12-09-13	11-03-14	कार्य शुरू नही
212	व्यापारियो का मौहल्ला सुरसागर मे सीसी सडक निर्माण कार्य	60.00	93/13-14	23.39	26-08-13	25-02-14	कार्य शुरू नही
213	गाडिया लोहार बस्ती महाराणा प्रताप कॉलोनी सुरसागर सीसी सडक निर्माण कार्य	45.00	94/13-14	12.21	05-09-13	04-12-13	कार्य शुरू नही
214	वार्ड 50 में व्यायामशाला मे निर्माण कार्य	15.00	96/13-14	10.66	20-09-13	19-12-13	कार्य शुरू नही
215	कालूराम जी की बावडी रेल्वे क्रोसिंग से रामानंद आश्रम तक सीसी सडक निर्माण कार्य	50.00	100/13-14	97.34	15-08-13	14-02-14	कार्य शुरू नही
216	ग्राम पालडी मांगलिया मिडिल स्कुल होते हुए मणाई जाने वाली सडक का कार्य	70.00	105/13-14	11.46	26-08-13	25-05-13	कार्य शुरू नही
217	वार्ड 50 जलाल शाह बाबा दरगाह मे विकास कार्य	24.00	106/13-14	57.43	15-09-13	14-03-14	कार्य शुरू नही
218	छिपा कॉलोनी मदरसा मे विकास कार्य	20.00	107/13-14	28.15	27-12-13	26-03-14	कार्य शुरू नही
219	वार्ड 50 नहर कवरिंग का कार्य	50.00	108/13-14	49.00	05-10-13	04-07-14	कार्य शुरू नही
220	वार्ड 49 मे स्थित उदयमंदिर रा.उ.मा.वि. के मुख्य गेट से लेकर एहसान जी के घर तक एवं उसके आसपास की गलियों मे सीसी कार्य	28.00	109/13-14	17.19	05-10-13	04-02-14	कार्य शुरू नही
221	उत्तर जोन सी मे मिट्टी भराई का कार्य	240.00	112/13-14	16.53	20-09-13	19-03-14	कार्य शुरू नही
222	कलाल कॉलोनी के पास स्थित ओ नम्बर गली मे हॉल का निर्माण कार्य	25.00	119/13-14	10.81	20-09-13	19-01-14	कार्य शुरू नही
223	उदयमंदिर वाचनालय मे बरादरी का निर्माण कार्य	20.00	121/13-14	22.25	03-10-13	02-04-14	कार्य शुरू नही
224	नाईयो की नाडी जूनी बस्ती मंडोर में सीसी रोड का कार्य	15.00	123/13-14	11.86	20-09-13	19-03-14	कार्य शुरू नही

225	बाबा रामदेव मंदिर पेतलाव नाडी के पास स्टेप व सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	10.00	125/13-14	21.56	30-09-13	29-03-14	कार्य शुरू नही
226	वार्ड 46 मे विभिन्न स्थानो पर सीसी सडक निर्माण कार्य	86.00	126/13-14	23.00	05-10-13	04-04-14	कार्य शुरू नही
227	जोन उत्तर सी में मुटाम लगाने का कार्य	14.35	127/13-14	18.63	07-10-13	06-04-14	कार्य शुरू नही
228	दुखभगन हनुमान जी मंदिर के पास पहाडी पर हॉल का निर्माण कार्य	48.00	128/13-14	57.68	26-09-13	25-03-14	कार्य शुरू नही
229	भूरटिया सूरसागर श्रे प्रजापति समाज नोरडे मे वाचनालय का निर्माण कार्य	24.50	130/13-14	86.20	30-09-13	29-06-13	कार्य शुरू नही
230	श्री वीर तेजा मंदिर जाट विश्राम स्थली मे अपेर हॉल व टायलेट ब्लॉक का निर्माण कार्य	34.00	132/13-14	52.52	30-09-13	29-06-14	कार्य शुरू नही
231	वार्ड 01 मे रूपावतो का बेराकालीबेरी व रिडिया फांटा सुरेज बेरा सूरसागर जोधपुर में शौचाल लय का कार्य	15.00	135/13-14	51.88	05-10-13	04-07-14	कार्य शुरू नही
232	माहेश्वरी समाज सूरसागर स्वर्गाश्रम मे विकास कार्य	15.00	136/13-14	12.92	30-09-13	29-12-13	कार्य शुरू नही
233	एनवाडी बेरा गेवा माली समाज वाल श्मशान की चार दीवारी निर्माण व गेट लगाने का कार्य	16.22	138/13-14	12.06	30-09-13	29-12-13	कार्य शुरू नही
234	गुदवाला बेरा गेवा माली समाज श्मशान की चार दीवारी उपर करने का कार्य विश्रामगृह व अन्य विकास कार्य	24.50	139/13-14	41.37	30-09-13	29-03-14	कार्य शुरू नही
235	नियलावास कनवातो का वास गेवा माली समाज वास श्मशान की रचार दीवारी निम्राण व गेट लगाने का कार्य	12.55	140/13-14	20.50	30-09-13	29-01-14	कार्य शुरू नही
236	नूरी बेरी मुख्य रोड से उम्मेद सिहजी की गुफ तक सीसी रोड का निर्माण कार्य	25.00	142/13-14	82.70	30-09-13	29-03-14	कार्य शुरू नही
237	दरगाह हजरत सैयद अली मानशाह बाबा के अस्तानो मे विकास कार्य	20.00	146/13-14	23.96	03-10-13	02-04-14	कार्य शुरू नही
238	जुम्मा मस्जिद मदरसा इस्लामिया स्टेडियम के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	18.00	148/13-14	126.91	06-10-13	05-07-14	कार्य शुरू नही
239	रूपावतो का बरो हनुमान मंदिर से बाबूलालजी के मकान से बाबा काशीराम जी के मकान होते हुए सीसी सडक व सीवरेज का कार्य	50.00	150/13-14	77.32	06-10-13	05-04-14	कार्य शुरू नही
240	हवाला कोठडी मंडोर में सीसी रोड व सीवर लाईन का कार्य	100.00	153/13-14	92.20	06-10-13	05-06-14	कार्य शुरू नही
241	रामदेवजी का मंदिर बालसमंद बस्ती में सामुदायिक भवन का कार्य	49.00	155/13-14	137.02	06-10-13	05-07-14	कार्य शुरू नही
242	तख्तमंदिर करबला मे मदरसा गौसिया मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	48.00	156/13-14	81.25	06-10-13	05-04-14	कार्य शुरू नही
243	तिवरी माली समाज श्मशान मे विकास कार्य	15.00	157/13-14	105.98	06-10-13	05-06-14	कार्य शुरू नही
244	हनुमान चौक बालाजी मंदिर मे जीर्णोद्वार का कार्य	12.00	159/13-14	16.92	28-09-13	27-01-14	कार्य शुरू नही
245	नूरी बेरी माली समाज श्मशान की चार दीवारी व विश्रामगृह पानी का हौद बनाने का कार्या	45.00	162/13-14	15.30	10-10-13	09-02-14	कार्य शुरू नही
246	गेवागढ शिवमंदिर की अधुरी सडक का निर्माण का कार्य	20.00	164/13-14	62.51	13-10-132	12-04-14	कार्य शुरू नही

(81)

247	साजनराम जी मूर्ति चौराहा से रिनिया गांव सरहद तक सडक निर्माण कार्य	75.00	165/13-14	198.28	13-10-13	12-06-14	कार्य शुरू नही
248	वार्ड 49 मे मदरसा रोशन इस्लामिया मे टीनशेड लगाने का कार्य	25.00	166/13-14	62.00	10-10-13	09-04-14	कार्य शुरू नही
249	गांव नारवा से मणाई तक सडक निर्माण कार्य	125.00	169/13-14	45.74	10-10-13	09-04-14	कार्य शुरू नही
250	गांव मथानिया में हरिओम मार्केट से चौपासनी बाईपास मथानिया सडक निर्माण कार्य	70.00	170/13-14	15.08	10-10-13	09-01-14	कार्य शुरू नही
251	बिजवाडिया से बालरवा मुख्य सडक से वाया मणक जी टाक का बेरा बालरवा मथानिया सडक तक सडक निर्माण कार्य	85.00	171/13-14	52.39	10-10-13	09-07-14	कार्य शुरू नही
252	भैरोरकोतवाली मुख्य सडक से कायेलानी नाडी वाया राजपूतो की ढाणियां होते हुए रैल्वे क्रोसिंग पार कर उ.मा. विद्यालय तिंवरी तक सडक निर्माण कार्य	135.00	173/13-14	7.32	10-10-13	09-01-14	कार्य शुरू नही
253	तिंवरी गगाडी मुख्य सडक से वाया खोखरी माता जी का मंदिर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होते हुए तिंवरी मालुगा सडक कार्य	75.00	174/13-14	23.15	03-10-13	02-04-14	कार्य शुरू नही
254	साईधाम मंदिर से मुख्य सडक भूरी बेरी तक निर्माण कार्य	98.00	175/13-14	105.98	06-10-13	05-06-14	कार्य शुरू नही
255	वार्ड 50 मे प्याउ का निर्माण कार्य	15.00	177/13-14	16.92	28-09-13	27-01-14	कार्य शुरू नही
256	सरगरा कॉलोनी मे शिवमंदिर में विकास कार्य	12.50	179/13-14	15.30	10-10-13	09-02-14	कार्य शुरू नही
257	ग्राम माणकलाव के खसरा नं 308/2 रकम मुस्लिम कब्रिस्तान की चार दीवारी व हॉल का निर्माण कार्य	60.00	181/13-14	62.51	13-10-132	12-04-14	कार्य शुरू नही
258	एच एन गैस गैस सर्विस से बालसमंद तिराहे तक फुटपाथ का कार्य	242.00	185/13-14	198.28	13-10-13	12-06-14	कार्य शुरू नही
259	सिंधि समाज लाडनु की हवेली के पास सामुदायिक भवन का कार्य	48.00	187/13-14	62.00	10-10-13	09-04-14	कार्य शुरू नही
260	मां भगवती कॉलोनी बालसमंद मे सामुदायिक भवन का कार्य	40.00	188/13-14	45.74	10-10-13	09-04-14	कार्य शुरू नही
261	दईजर भील समाज श्मशान में शेष रहे कार्य	15.00	189/13-14	15.08	10-10-13	09-01-14	कार्य शुरू नही
262	उदयमंदिर हरिजन बस्ती स्थित वाल्मिकी न्याति नोहरे का निर्माण कार्य	46.00	190/13-14	52.39	10-10-13	09-07-14	कार्य शुरू नही
263	हनुमान मंदिर घोडा घाटी मे व्यायामशाला का सामान उपलब्ध कराने का कार्य	10.00	195/13-14	7.32	10-10-13	09-01-14	कार्य शुरू नही
264	कडेश्वर महादेव मंदिर पर आमजन को जाने के लिए सडक निर्माण कार्य	21.70	199/13-14 /HQ	23.15	03-10-13	02-04-14	कार्य शुरू नही
265	वार्ड संख्या 26 के डी.डी.पी नगर की सडको पर डामरीकरण कार्य	11.62	F38(51)/12-13/South-A	11.62	09.08.12	08.02.13	कार्य शुरू नही
266	रूपरजत टाउन शिप द्वितीय एवं तृतीय फेज मे सडक निर्माण काय	60.00	F39(86)/12-13/South-A	41.08	17.12.12	16.04.13	कार्य शुरू नही

82

267	संजीवनी हॉस्पीटल के पास सेक्टर ए पार्क में इन्डोर खेल हेतु भवन का निर्माण कार्य	24.50	F38(99)/12-13/South-A	23.93	28.12.12	27.06.13	कार्य शुरू नही
268	वार्ड स. 26 के डी.डी.पी. नगर में पार्को का विकास कार्य	65.00	F38(116)/12-13/South-A	55.98	07.01.13	06.07.13	कार्य शुरू नही
269	वार्ड न. 25 सरस्वती नगर सेक्टर ए व डी में सी.सी. फुटपाथ निर्माण एवं पार्को का सौन्दर्यकरण का कार्य	5.00	F38(120)/12-13/South-A	4.20	07.01.13	06.04.13	कार्य शुरू नही
270	श्री कुशल नगर में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	24.75	F38(126)/12-13/South-A	24.75	17.01.13	16.07.13	कार्य शुरू नही
271	ग्राम भाण्डूकला फींच मार्ग से शुम्बली गांव होते हुए स्कुल तक सम्पर्क सडक का निर्माण कार्य।	27.00	F38(142)/12-13/South-A	25.56	14.03.13	13.08.13	कार्य शुरू नही
272	ग्राम लुणावास कला से इन्दरसिंह जी ढाणियो तक सडक निर्माण कार्य।	90.00	F38(12)/13-14/South-A	89.27	07.06.13	06.03.14	कार्य शुरू नही
273	ग्राम गेलावास से बजरंग नगर तक सडक निर्माण कार्य।	72.00	F38(13)/13-14/South-A	71.34	07.06.13	06.03.14	कार्य शुरू नही
274	मोगरा कला में मेघवालों का वास मय सडकों का कार्य।	40.00	F38(18)/13-14/South-A	44.77	13.06.13	12.12.13	कार्य शुरू नही
275	ग्राम सुबंडड से ग्राम नेणासर तक सडक निर्माण कार्य।	100.00	F38(21)/13-14/South-A	95.44	13.06.13	12.06.14	कार्य शुरू नही
276	ग्राम कालीजाल से रोहिचा कला वाया मेहरियो की ढाणी तक सडक निर्माण कार्य।	80.00	F38(22)/13-14/South-A	74.06	13.06.13	12.03.14	कार्य शुरू नही
277	ग्राम पाल मे कुम्हार सामज के श्रीयादे मंदिर के पास सार्वजनिक सभा भवन निर्माण कार्य।	11.00	F38(26)/13-14/South-A	9.15	13.06.13	12.09.13	कार्य शुरू नही
278	ग्राम पाल मेघवालो का बास मे सार्वजनिक स्थल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	11.00	F38(28)/13-14/South-A	9.15	13.06.13	12.09.13	कार्य शुरू नही
279	शोभावतो की ढाणी के पास स्थित जे.के. नगर मे सडक निर्माण कार्य।	42.55	F38(31)/13-14/South-A	35.47	20.06.13	19.10.13	कार्य शुरू नही
280	ग्राम रोहिचा कला मे श्री जम्भेश्वर मंदिर परिसर मे सत्संग भवन एवं अन्य विकास कार्य।	15.67	F38(32)/13-14/South-A	15.67	20.06.13	19.10.13	कार्य शुरू नही
281	ग्राम लुणावास धारणा मे मेघवाल समाज की भूमि की चार दीवारी हॉल एवं अन्य विकास कार्य।	18.50	F38(34)/13-14/South-A	17.13	20.06.13	19.10.13	कार्य शुरू नही
282	ग्राम सांगरिया मे सार्वजनिक श्मशान मे विकास कार्य।	45.00	F38(37)/13-14/South-A	41.99	20.06.13	19.10.13	कार्य शुरू नही
283	ग्राम सांगरिया मे अनुसूचित जाति व जनजाति के श्मशान मे विकास कार्य मय चार दीवारी।	15.00	F38(38)/13-14/South-A	15.13	22.06.13	21.09.13	कार्य शुरू नही
284	विवेक विहार के सेक्टर ई मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	61.12	F38(47)/13-14/South-A	61.12	29.06.13	28.12.13	कार्य शुरू नही
285	सरस्वती नगर के सेक्टर सी मे पार्को का विकास कार्य एवं पार्क के चारो तरफ फुटपाथ का कार्य।	23.00	F38(49)/13-14/South-A	13.89	29.06.13	28.09.13	कार्य शुरू नही
286	ग्राम सांगरिया मे स्थित वीर तेजाजी नगर मे सडक निर्माण कार्य।	50.00	F38(51)/13-14/South-A	49.02	01.07.13	01.03.14	कार्य शुरू नही
287	वार्ड नं. 26 के मधुवन कॉलोनी मे टुटी सडको का निर्माण कार्य।	35.00	F38(52)/13-14/South-A	31.44	30.06.13	29.11.13	कार्य शुरू नही
288	पाल गांव बैनाराम जी प्याऊ से सालावास सरहद तक सडक निर्माण कार्य।	130.00	F38(57)/13-14/South-A	117.67	01.07.13	30.06.14	कार्य शुरू नही

83

289	वैष्णव समाज श्मशान क.क. कालाना मे हाल, टीन शेड, स्नानघर का निर्माण कार्य।	48.05	F38(66)/13-14/South-A	48.05	06.07.13	05.11.132	कार्य शुरू नही
290	सरस्वती नगर के सेक्टर 'सी' मे मुख्य बस मार्ग पर फुटपाथ निर्माण कार्य।	20.00	F38(72)/13-14/South-A	10.17	21.07.13	20.10.13	कार्य शुरू नही
291	सरस्वती नगर के सेक्टर 'डी' मे मुख्य बस मार्ग पर फुटपाथ निर्माण कार्य।	20.00	F38(73)/13-14/South-A	11.92	21.07.13	20.10.13	कार्य शुरू नही
292	ग्राम नन्दवान मे पूनाराम जी पावड के घर से पंचायत भवन एवं धनजी के घर से मियो का बास तक सी.सी. सडक निर्माण कार्य।	35.75	F38(77)/13-14/South-A	29.77	28.07.13	27.11.13	कार्य शुरू नही
293	ग्राम नन्दवान मे राठियो की चौकी से पुनाराम जी भाम्बू के घर तक छिपो के बास से बगजी पटेल तक सी.सी. सडक निर्माण कार्य।	40.20	F38(78)/13-14/South-A	33.47	28.07.13	27.11.13	कार्य शुरू नही
294	धवा सिनली सडक एवं मुख्य सडक धैवा नई बस्ती की सम्पर्क सडको का निर्माण कार्य।	61.20	F38(87)/13-14/South-A	34.42	06.09.13	05.12.13	कार्य शुरू नही
295	मुख्य सडक से धवा गांव की बस्ती मे सडक निर्माण कार्य।	50.22	F38(88)/13-14/South-A	50.22	09.09.13	08.02.14	कार्य शुरू नही
296	एम्स परिसर के सामने भारी वाहनो की प्रवेश की रोकथाम हेतु लोहे के गर्डर लगाने का कार्य।	3.50	F38(89)/13-14/South-A	2.96	16.09.13	15.11.13	कार्य शुरू नही
297	ग्राम कालीजाल मे शहीद वीरम सिंह राठौड स्मार्क की चार दीवारी का निर्माण कार्य।	12.00	F38(93)/13-14/South-A	10.08	28.09.13	27.12.13	कार्य शुरू नही
298	बासनी कृषि मण्डी तिराहा (पाल रोड) पर सर्किल का निर्माण कार्य।	4.00	F38(94)/13-14/South-A	3.38	28.09.13	27.12.13	कार्य शुरू नही
299	बासनी मेघवालो की ढाणी रोड चौराहे पर सर्किल निर्माण कार्य।	4.00	F38(95)/13-14/South-A	3.38	28.09.13	27.12.13	कार्य शुरू नही
300	ग्राम बडलिया से ग्राम रामनगर तक सम्पर्क सडक निर्माण कार्य।	162.00	F38(97)/13-14/South-A	148.08	25.09.13	24.06.14	कार्य शुरू नही
301	विवेक विहार योजना से भाकरासनी सडक पर जोजरी नदी पर पाईप का पुलिया निर्माण कार्य।	200.00	F38(99)/13-14/South-A	157.75	25.09.13	24.06.14	कार्य शुरू नही
302	सिंधी समाज श्मशान बासनी मे चार दीवारी हॉल, टीन शेड एवं स्नानघर निर्माण कार्य।	51.20	F38(100)/13-14/South-A	51.20	30.09.13	29.03.14	कार्य शुरू नही
303	माहेश्वरी समाज श्मशान बासनी मे चार दीवारी हॉल, टीन शेड एवं स्नानघर निर्माण कार्य।	50.77	F38(101)/13-14/South-A	50.77	30.09.13	29.03.14	कार्य शुरू नही
304	मामा अचलेश्वर प्रसाद कॉलोनी के पास खसरा नं. 308 मे सडक निर्माण कार्य।	179.00	F38(104)/13-14/South-A	166.27	27.09.13	26.03.15	कार्य शुरू नही
305	कुडी गांव में कालबेलिया (जोगी) श्मशान में चारदीवारी टीन शेड व हॉल का निर्माण कार्य	23.76	F38(105)/13-14/South-A	23.76	30.09.13	29.01.14	कार्य शुरू नही
306	ग्राम लूणावास कला में राजपुरोहितों के बास स्थित सार्वजनिक सामुदायिक भवन में प्रथम तल पर हॉल निर्माण कार्य	17.00	F38(109)/13-14/South-A	15.11	30.09.13	29.01.14	कार्य शुरू नही

(84)

307	ग्राम धुन्धाड़ा में मेघवाल समाज छात्रावास में कमरों का निर्माण कार्य।	53.35	F38(110)/13-14/South-A	53.35	30.09.13	29.01.14	कार्य शुरू नही
308	विजय नगर बासनी प्रथम चरण में उत्तराखण्ड जन उत्थान के सामुदायिक हॉल के प्रथम मंजिल पर हॉल का निर्माण कार्य	25.61	F38(111)/13-14/South-A	25.61	30.09.13	29.01.14	कार्य शुरू नही
309	श्री जसोल माता राणी भटियाणी जी के मंदिर में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	55.85	F38(112)/13-14/South-A	54.85	30.09.13	29.01.14	कार्य शुरू नही
310	ग्राम पाल में सार्वजनिक श्मशान में स्नानघर निर्माण कार्य	10.00	F38(116)/13-14/South-A	9.90	04.10.13	03.01.14	कार्य शुरू नही
311	सरस्वती नगर के सेक्टर डी में पार्कों का विकास कार्य	18.00	F38(117)/13-14/South-A		04.10.13	03.01.14	कार्य शुरू नही
312	चामुण्डा माता मंदिर मे प्रथम तल पर सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य।	20.50	26/13-14	23.54	13.06.13	12.12.13	कार्य आरम्भ नही
313	शास्त्री नगर सेक्टर डी स्थित सत्यनारायण पार्क मे बास्केट बॉल मैदान की मरम्मत एव अन्य विकास कार्य।	17.00	47/13-14	14.40	27.07.13	26.11.13	कार्य आरम्भ नही
314	प्रजापति विकास समिति मसूरिया जोधपुर श्री यादे माता मंदिर के पास प्रजापत विकास समिति पर सामुदायिक व अन्य विकास कार्य।	15.00	49/13-14	14.55	22.07.13	21.01.14	कार्य आरम्भ नही
315	कल्पतरू शोपिंग सेन्टर के सामने गली मे सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य।	22.00	50/13-14	18.09	22.07.13	21.11.13	कार्य आरम्भ नही
316	चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड सेक्टर 21 ई मे मकान न. 360 के सामने के पार्क मे सामुदायिक हॉल व अन्य विकास कार्य।	24.00	59/13-14	22.83	09.08.13	08.02.14	कार्य आरम्भ नही
317	चौ. हा. बोर्ड सेक्टर 11 में सीवरेज कार्य	20.00	79/13-14	13.76	12.09.13	11.03.14	कार्य आरम्भ नही
318	चौपासनी हा. बो. सेक्टर 3 अ. ब. स. य द के बीच पार्क में विकास कार्य	10.00	86/13-14	8.38	19.09.13	18.03.14	कार्य आरम्भ नही
319	चौपासनी हा. बो. सेक्टर 19 अनुपम वाटिका के पास सीमेन्ट कंक्रीट सड़क का निर्माण कार्य	25.00	87/13-14	21.62	19.09.13	18.03.14	कार्य आरम्भ नही
320	प्रथम पुलिया चौ. हा. बो. सेक्टर 2 मे रंगोली शॉपिंग सेन्टर के पीछे बालाजी नवयुवक विकास समिति पार्क मे विकास कार्य	10.00	90/13-14	8.94	21.09.13	20.03.14	कार्य आरम्भ नही
321	बलदेव नगर लंगा भवन प्रथम तल पर हॉल का निर्माण कार्य	40.00	98/13-14	49.96	29.09.13	28.06.14	कार्य आरम्भ नही
322	चौ.हा.बो. सेक्टर 14 की विभिन्न सड़कों पर सिमेन्ट कंकरीट सड़क निर्माण कार्य	20.00	103/13-14	17.28	30.09.13	29.03.14	कार्य आरम्भ नही
323	पाल रोड स्थित अमृत नगर मे पार्क का शेष कार्य	4.00	105/13-14	3.82	03.10.13	02.01.14	कार्य आरम्भ नही
324	नट समाज श्मशान भूमि की चार दीवारी व विकास कार्य।	25.00	109/13-14	22.78	05.10.13	04.02.14	कार्य आरम्भ नही
325	वार्ड सं. 22 सिंधि मुस्लिम बस्ती मसूरिया में सड़क निर्माण कार्य।	24.85	110/13-14	28.00	07.10.13	06.04.14	कार्य आरम्भ नही
326	मिल्क मैन कॉलोनी गली नं. 10,11 के बीच पार्क मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	22.00	113/13-14	24.70	07.10.13	06.07.14	कार्य आरम्भ नही
327	महाराणा गौशाला मुरानी लंगा कॉलोनी बलदेव नगर जोधपुर मसूरिया में निमार्ण कार्य।	25.00	114/13-14	32.25	10.10.13	09.04.14	कार्य आरम्भ नही

328	दल्ले खां चक्की चौराहा पर स्थित महात्मा गांधी प्याऊ एवं रामदेव मन्दिर की मरम्मत एवं रंगरोगन का कार्य।	1.25	117/13-14	1.19	10.10.13	09.12.13	कार्य आरम्भ नही
329	लाचू कॉलेज में सड़क निर्माण कार्य।	5.00	118/13-14	7.84	10.10.13	09.01.14	कार्य आरम्भ नही
330	चौ.हा.बो. सेक्टर 5 स्थित पार्क मे विकास कार्य।	10.00	121/13-14	9.08	10.10.13	09.04.14	कार्य आरम्भ नही
331	पाल रोड स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में सामुदायिक भवन बनाने का कार्य।	45.00	128/13-14	44.02	04.10.13	03.04.14	कार्य आरम्भ नही
332	मालवीय लोहार समाज श्मशान में विकास कार्य	4.50	129/13-14	5.17	04.10.13	03.01.14	कार्य आरम्भ नही
333	चौ.हा.बो. सेक्टर 21, ई सनसिटी स्कूल के सामने सी.सी. सड़क निमार्ण कार्य।	20.00	131/13-14	17.26	04.10.13	03.04.14	कार्य आरम्भ नही
334	इन्द्र विहार सेक्सन 7 विस्तार योजना में सी.सी. सडक निमार्ण कार्य।	20.00	133/13-14	16.83	04.10.13	03.01.14	कार्य आरम्भ नही
335	भगत की कोठी जोग माया कॉलोनी में सी.सी.	10.00	134/13-14	8.59	04.10.13	03.01.14	कार्य आरम्भ नही
336	शहर कि सडको पर रोड फर्निचर (केट्स आई)	85.00	130/13-14	60.00	04.10.13	03.07.14	कार्य आरम्भ नही
337	सुभाष नगर टंकी वाले पार्क में विकास कार्य।	24.00	104/13-14	24.64	03/10/13	02/07/14	कार्य आरम्भ नही
338	सरदारपुरा कबाड़ियों के बास में सड़क निर्माण कार्य	25.00	96/13-14	27.59	26/09/13	25/03/14	कार्य आरम्भ नही
339	खड़ियावास मे स्थित कुम्हारों के न्याति नोहरा में विकास कार्य	15.00	115/13-14	18.02	10/10/13	09/04/14	कार्य आरम्भ नही
340	चेने का कुआ बंजारा समाज शमशान मे शेष विकास कार्य	7.00	122/13-14	6.00	10/10/13	09/04/14	कार्य आरम्भ नही
341	वार्ड नं0 30 में कुम्हारों का प्याऊ के पास महिला स्नानाघर निर्माण कार्य।	10.00	99A/13-14	10.92	29/09/30	28/1/14	कार्य आरम्भ नही
342	वार्ड न. 10 एवं 11 मे विभिन्न स्थानों पर सडक निर्माण कार्य	71.40	91/12-13	75.83	25.06.12	24.12.12	कार्य आरम्भ नहीं
343	वार्ड न. 19 में विभिन्न स्थानों पर सीवर लाईन का कार्य	48.45	95/12-13	46.36	08.07.12	07.11.12	कार्य आरम्भ नही
344	रातानाड़ी रोड से खरबूजा बावड़ी तक सीवर लाईन का कार्य	28.70	98/12-13	21.18	08.07.12	07.10.12	कार्य आरम्भ नही
345	सेक्टर ए बी सी एस डी एफ आवासीय शॉपिंग सेन्टर से टी रोड का निर्माण कार्य।	51.05	109/12-13	52.44	04.08.12	03.02.13	कार्य आरम्भ नही
346	सिद्धनाथ मंदिर के पास सार्वजनिक भूमि पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य मय सुविधा।	29.40	133/12-13	32.99	22.09.12	21.01.13	कार्य आरम्भ नही
347	मालवीय लोहार समाज श्मशान मे विकास कार्य।	4.40	139/12-13	4.28	11.10.12	09.01.12	कार्य आरम्भ नही
348	वार्ड स. 13 सांखलो का बास कर्मस्थली मे स्टेज व विकास कार्य।	8.32	142/12-13	7.65	11.10.12	09.03.13	कार्य आरम्भ नही
349	राजस्थान योजना क्षेत्र मे सीवरेज लाईन बिछाने का कार्य।	22.90	150/12-13	24.04	05.11.12	04.04.13	कार्य आरम्भ नही
350	बड़ा रामद्वारा मे स्टोरेज का निर्माण कार्य।	17.32	151/12-13	17.16	05.11.12	04.04.13	कार्य आरम्भ नही
351	राजस्थान योजना क्षेत्र मे सडक निर्माण कार्य।	12.60	155/12-13	12.3	05.11.12	04.02.13	कार्य आरम्भ नही
352	वार्ड सं. 19 बरकतुल्लाह खां कॉलोनी मे सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	13.00	158/12-13	12.97	06.12.13	05.04.13	कार्य आरम्भ नही
353	वैष्णव समाज श्मशान सुथला की चार दीवारी व हॉल का निर्माण कार्य।	15.00	171/12-13	15.04	07.12.12	06.03.13	कार्य आरम्भ नही
354	शिवशाला स्कूल से किला रोड तक इन्टरलॉकिंग टाईल्स कर्ब स्टोन लगाने का कार्य।	30.81	179/12-13	25.35	20.12.12	19.04.13	कार्य आरम्भ नही
355	वार्ड नं. 19 मे कैनोकवर व सीवरेज मरम्मत का कार्य।	22.40	195/12-13	29.09	09.01.13	08.06.13	कार्य आरम्भ नही
356	कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार योजना मे सड़कों का नवीनीकरण का कार्य।	38.00	200/12-13	44.08	12.01.13	11.05.13	कार्य आरम्भ नही
357	वार्ड नं. 13 जीनगर समाज श्मशान मे चार दीवारी ऊंची करना, टीन शेड मिट्टी भराई का कार्य।	3.40	284/12-13	3.53	30.03.13	29.07.13	कार्य आरम्भ नही
358	शिव बाड़ी चांदपोल के बाहर चार दीवारी निर्माण कार्य।	9.00	285/12-13	9.43	30.03.13	29.07.13	कार्य आरम्भ नही

359	कर्मस्थलीय के प्रांगण मे छतं निर्माण व अन्य विकास कार्य।	13.40	295/12-13	13.62	30.03.13	29.07.13	कार्य आरम्भ नही
360	वार्ड सं. 17 व 19 जी सेक्टर मे नाला/नाली निर्माण कवरिंग का कार्य।	19.40	296/12-13	20.00	30.03.13	29.09.13	कार्य आरम्भ नही
361	भूतेश्वर महादेव मंदिर प्रताप नगर श्मशान के प्रसिद्ध स्थानो मे ग्रेट जीर्णोद्धार एवं वृक्षारोपण का कार्य।	15.40	298/12-13	13.19	30.03.13	29.09.13	कार्य आरम्भ नही
362	न्यू भैरू गली मे सार्वजनिक पार्क की चार दीवार व अन्य विकास कार्य।	8.35	318/12-13	8.57	31.03.13	30.07.13	कार्य आरम्भ नही
363	आशरी बाई कब्रिस्तान मे विश्राम गृह निर्माण कार्य	12.95	80/w/12-13	11.08	14.06.12	13.10.12	कार्य आरम्भ नही
364	भीकर प्याऊ से अजनेश्वर आश्रम तक सड़क नवीनीकरण का कार्य	20.00	51/w/13-14	24.87	23.05.13	22.09.13	कार्य आरम्भ नही
365	बाल विद्या भवन उच्च प्राथमिक विद्यालय चांदपोल गेट के अन्दर मे बरामदा निर्माण कार्य	8.50	F38 (19)12-13	8.13	15.10.12	14.02.13	कार्य आरम्भ नही
366	वार्ड नं. 47 में सीवर लाईन व नाली का निर्माण कार्य	31.53	03/13-14	37.84	04.04.13	03.05.13	कार्य आरम्भ नही
367	वार्ड नं. 34 फतेहपोल प्रथम तल पर हॉल निर्माण कार्य।	11.40	05/13-14	12.51	04.04.13	03.10.13	कार्य आरम्भ नही
368	संकटमोचन बालाजी मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण।	18.46	06/13-14	27.11	10.04.13	13.08.13	कार्य आरम्भ नही
369	वार्ड संख्या 47 छोटी मस्जिद के पीछे पचपदरिया मोहल्ला तक सड़क निर्माण कार्य	33.00	14/13-14	32.99	14.04.13	13.10.13	कार्य आरम्भ नही
370	वार्ड 47 मानशाह की दरगाह से डेरा टूटियो की गली तक सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य	28.55	15/13-14	44.64	14.04.13	13.10.13	कार्य आरम्भ नही
371	शिव शान्ति मेडिकल से सिवांची गेट वार्ड 15 में बचा हुआ निर्माण कार्य	16.00	30/13-14	18.57	10.06.13	09.10.13	कार्य आरम्भ नही
372	पाण्डलाराज मंदिर हॉल व चार दिवारी का विकास कार्य।	48.25	37/13-14	54.41	16.06.13	15.12.13	कार्य आरम्भ नही
373	वार्ड नं. 38 मे सीवर लाईन का कार्य।	37.15	39/13-14	48.54	10.06.13	09.12.13	कार्य आरम्भ नही
374	चांदपोल से पदमसागर तक सड़क निर्माण कार्य।	33.25	40/13-14	42.79	10.06.13	09.12.13	कार्य आरम्भ नही
375	हरिजन बस्ती सिटी पुलिस सी.सी. सड़क निर्माण कार्य।	38.90	41/13-14	54.85	20.06.13	19.10.13	कार्य आरम्भ नही
376	आखलिया चौराया आखलिया विकास योजना मे प्रस्तावित सड़को के फुटपाथ व पार्किंग पैलेस पर टाईल्स की गार्डन के चारो और चार दीवार का कार्य।	35.00	50/13-14	38.09	05.07.13	04.01.14	कार्य आरम्भ नही
377	वार्ड नं. 17 प्रताप नगर में राजीव गांधी पुस्तकालय का निर्माण कार्य	15.91	58/13-14	17.17	05.08.13	04.02.13	कार्य आरम्भ नही
378	मौहल्ला मेहरी सिलावटी प्रशिक्षण केन्द्र व सामुदायिक भवन बनाने का कार्य ।	42.50	62/13-14	65.02	08.08.13	07.02.14	कार्य आरम्भ नही
379	वार्ड नं. 35 गंगा बाबा रामदेव मंदिर के प्रथम तल पर सामुदायिक भवन व मरम्मत का कार्य।	18.20	63/13-14	27.44	06.08.13	05.01.14	कार्य आरम्भ नही
380	कमला नेहरू नगर प्लॉट नं. सी 14 के पास पार्क मे रेलिंग लगाने व अन्य विकास कार्य।	7.00	68/13-14	5.02	14.08.13	13.11.13	कार्य आरम्भ नही
381	वार्ड नं. 12 कबीर नगर ए सेक्टर पार्क मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य ।	18.00	87/13-14	18.45	24.08.13	23.02.14	कार्य आरम्भ नही
382	यू.आई.टी क्वार्टर स्थित महादेव मंदिर के पास सामुदायिक भवन बनाने का कार्य ।	15.40	88/13-14	17.5	26.08.13	25.08.14	कार्य आरम्भ नही
383	राजभाग योजना सेक्टर ए पार्क मे स्थित हॉल का निर्माण कार्य ।	20.24	90/13-14	22.96	28.08.13	27.02.14	कार्य आरम्भ नही
384	संजय गांधी कॉलोनी ए गली नं. 03 से कबीर नगर जाने वाली सड़क के सी.सी. निर्माण कार्य ।	35.00	101/13-14	30.16	26.08.13	25.02.14	कार्य आरम्भ नही
385	जोन पश्चिम में विभिन्न स्थानो पर रेलिंग का कार्य ।	24.00	106/13-14	17.72	10.09.13	09.09.14	कार्य आरम्भ नही
386	डिफेन्स कॉलोनी प्रथम पुलिया पार्क में सामुदायिक भवन का निर्माण एवं हॉल का विकास कार्य।	20.00	107/13-14	17.35	10.09.13	09.03.14	कार्य आरम्भ नही
387	संयुक्त जैन समाज श्मशान भूमि पर सामुदायिक भवन, चार दीवारी व अन्य विकास कार्य।	16.00	108/13-14	15.26	10.09.13	09.01.14	कार्य आरम्भ नही
388	कैलाशपुरी मोहल्ले मे सीवर लाईन एवं रोड कटिंग का कार्य।	15.00	114/13-14	18.00	15.09.13	14.03.14	कार्य आरम्भ नही

389	ज्योति नगर सिद्धनाथ रोड नरसिंह के मकान के पास सार्वजनिक भूमि पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	12.00	117/13-14	10.85	16.09.13	15.01.14	कार्य आरम्भ नही
390	छोटी भील बस्ती बड़ी भील बस्ती के पीछे महादेव मंदिर छत एवं चार दीवारी का कार्य।	15.75	118/13-14	17.21	16.09.13	15.02.14	कार्य आरम्भ नही
391	कबीर नगर क्षेत्र मे सीवरेज लाईन व सी.सी. सडक निर्माण कार्य।	45.00	120/13-14	54.4	16.09.13	19.05.14	कार्य आरम्भ नही
392	वार्ड सं. 02 सूथला मे विभिन्न स्थानो पर सिविर लाईन डालने का कार्य।	20.00	122/13-14	26.18	22.09.13	22.05.14	कार्य आरम्भ नही
393	वार्ड नं. 11 मे शान्तिनाथ नगर मे भील कॉलोनी मुख्य मार्ग पर सी.सी. सडक निर्माण कार्य।	44.32	124/13-14	45.59	19.09.3	18.03.14	कार्य आरम्भ नही
394	वार्ड नं. 18 मे नकटी पुलिया से एकलव्य भील बस्ती तक सिवरेज लाईन व सी.सी. सडक का निर्माण कार्य।	45.00	126/13-14	42.11	23.09.13	22.05.14	कार्य आरम्भ नही
395	कायस्थ समाज श्मशान सूथला मे विभिन्न विकास कार्य।	22.00	128/13-14	22.1	18.09.13	18.01.14	कार्य आरम्भ नही
396	मनकलेश्वर महादेव मंदिर चांदपोल टैम्पू स्टेण्ड के पास प्रथम तल पर हॉल व अन्य निर्माण कार्य	25.00	129/13-14	29.3	22.09.13	21.03.14	कार्य आरम्भ नही
397	वार्ड न. 13 बड़ी भील बस्ती चांदपोल के क्षेत्र में श्मशान मे शेष बकाया कार्य पूर्ण करने तथा लकड़ी रखने के लिए कमरा निर्माण कार्य	16.00	130/13-14	16.31	22.09.13	21.01.14	कार्य आरम्भ नही
398	राजबाग माडी के पास स्टेज कमरा व अन्य विकास कार्य	19.00	131/13-14	22.64	21.09.13	20.03.14	कार्य आरम्भ नही
399	जालोरियो का बास राम चौक स्थित सामुदायिक भवन के प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	88.00	132/13-14	122.37	22.09.13	21.09.14	कार्य आरम्भ नही
400	स्वास्थ्य साधना केन्द्र लाल पुलिया चौपासनी रोड जोधपुर मे कोटेज वार्ड निर्माण कार्य	30.00	135/13-14	31.55	20.09.13	20.03.14	कार्य आरम्भ नही
401	खेतीकुम्हार सिवांची गेट श्मशान में चारदीवारी टीन शेड व अन्य विकास कार्य	20.00	136/13-14	23.8	25.09.13	24.03.14	कार्य आरम्भ नही
402	5 वी रोड ईदगाह मस्जिद के पास कब्रिस्तान मे चार दीवारी पानी का हौद कमरा व पानी टंकी टीन शेड का निर्माण कार्य	32.00	141/13-14	39.79	26.09.13	25.03.14	कार्य आरम्भ नही
403	वार्ड न. 18 लाला लाजपत राय कॉलोनी 5 वी रोड मे मेघवाल समाज के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	30.00	142/13-14	26.25	26.09.13	25.03.14	कार्य आरम्भ नही
404	सेक्टर 6 क्वाटर्स संजय गांधी कॉलोनी व कबीर नगर में सी.सी. सडक का कार्य	44.00	144/13-14	43.58	03.10.13	02.04.14	कार्य आरम्भ नही
405	पीरपर मस्जिद से बिजलीघर तक सी.सी. सडक निर्माण कार्य	27.00	145/13-14	25.44	03.10.13	02.04.14	कार्य आरम्भ नही
406	वार्ड न. 11 मे खेतीकिर कुम्हार समाज आचार्य का मोहल्ला मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	17.75	146/13-14	18.61	30.09.13	29.01.14	कार्य आरम्भ नही
407	प्रताप नगर बाबा रामदेव मंदिर के पीछे जोगर भवन मे चारदीवारी व रेलिंग लाईट लगाने का कार्य	20.00	147/13-14	17.45	21.09.13	20.01.14	कार्य आरम्भ नही
408	हजरत अली बाबा छोटा घाटी के पास टीन शेड एवं चबूतरा निर्माण कार्य	15.00	148/13-14	16.33	30.09.13	29.03.14	कार्य आरम्भ नही
409	प्रताप नगर वार्ड न. 17 मे पार्क का विकास कार्य	20.00	150/13-14	21.56	22.09.13	21.03.14	कार्य आरम्भ नही
410	रघुनाथ जी की बावड़ी चांदपोल माली श्मशान विकास कार्य	20.40	160/13-14	21.11	29.09.13	28.03.14	कार्य आरम्भ नही
411	सांथाला सत स्थल मे स्टील व विकास कार्य।	8.32	161/13-14	8.35	27.09.13	28.12.13	कार्य आरम्भ नही
412	इन्तेजामिया मदरसा इस्लामिया अरबिया हनफिया भाई जी का तालाब मस्जिद के पास मदरसा हॉल के प्रथम तल पर निर्माण कार्य।	17.25	162/13-14	19.7	26.09.13	25.03.14	कार्य आरम्भ नही
413	वार्ड नं. 11 गली नं. 01 मे महादेव मंदिर के पास सार्वजनिक भवन व चार दीवारी निर्माण कार्य।	24.50	164/13-14	21.07	29.09.13	28.03.14	कार्य आरम्भ नही
414	रामदेव कॉलोनी स्कूल के पास सामुदायिक भवन एवं कार्य।	21.00	168/13-14	26.85	06.10.13	05.04.14	कार्य आरम्भ नही
415	वार्ड नं. 13 मे फेरोकवर एवं सिवरेज का कार्य।	22.00	174/13-14	22.44	27.09.13	26.02.14	कार्य आरम्भ नही
416	शेकड़िया बालाजी पुरी का तालाब पर रिटेनिंग वॉल।	2.50	175/13-14	3.64	30.09.13	29.12.13	कार्य आरम्भ नही
417	शिव कॉलोनी मे शेष सीवर लाईन का कार्य।	148.50	176/13-14	141.17	30.09.13	29.09.14	कार्य आरम्भ नहीं

88

418	सिद्धनाथ मंदिर के पम्प हाउस के पास सार्वजनिक निर्माण कार्य।	45.71	179/13-14		30.09.13	29.01.14	कार्य आरम्भ नही
419	वार्ड नं.2 विभिन्न स्थानों पर कन्ट्रोल सी. सी. सड़क का निर्माण कार्य।	35.00	180/13-14	38.83	29.09.13	28.03.14	कार्य आरम्भ नही
420	सिवाची गेट पुष्करण ब्राह्मण समाज के पास चार दीवारी व अन्य विकास कार्य।	21.00	181/13-14	23.24	02.10.13	01.02.14	कार्य आरम्भ नही
421	हनुमान मंदिर मेघवाल बस्ती राजबाग में विकास कार्य।	12.75	182/13-14	11.34	25.09.13	25.03.14	कार्य आरम्भ नही
422	राजबाग योजना में सिवर लाईन बिछाने का कार्य।	22.90	184/13-14	21.31	30.09.13	29.02.14	कार्य आरम्भ नही
423	वार्ड नं. 12 कबीर नगर मेघवाल समाज के चार दीवारी का निर्माण कार्य।	21.75	185/13-14	19.09	30.09.13	29.01.14	कार्य आरम्भ नही
424	वार्ड नं. 12 कबीर नगर मे तलहटी मे सड़क निर्माण कार्य।	30.00	188/13-14	36.67	30.09.13	29.03.14	कार्य आरम्भ नही
425	सुरसागर रॉयल्टी चौराहे के पास मुस्लिम समाज के सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	30.00	189/13-14	32.61	03.10.13	02.03.14	कार्य आरम्भ नही
426	वार्ड नं. 15 मे विभिन्न स्थानो पर सिढियो का निर्माण कार्य।	35.00	190/13-14	36.91	03.10.13	04.04.14	कार्य आरम्भ नही
427	रिजली के पास कब्रिस्तान के पास कुरेशिया कब्रिस्तान सिवाची गेट बजुखाना स्नानघर का निमाण कार्य।	22.45	192/13-14	28.11	03.10.13	02.03.14	कार्य आरम्भ नही
428	वार्ड नं. 12 व 13 मे सी.सी. सड़क व पेविंग ब्लॉक का कार्य।	10.00	193/13-14	8.6	03.10.13	02.04.14	कार्य आरम्भ नही
429	वार्ड नं. 02 ज्योतेश्वर महादेव मंदिर के पास सामुदायिक हॉल एवं मंदिर का जीर्णोद्वार का विकास कार्य।	13.50	194/13-14	10.76	03.10.13	02.04.14	कार्य आरम्भ नही
430	राजबाग भोमियाजी का थान टीन शेड एवं विकास कार्य।	9.69	197/13-14	9.14	03.10.13	02.04.14	कार्य आरम्भ नही
431	कबीर नगर वाल्मिकी समाज श्मशान मे सामुदायिक भवन एवं निर्माण कार्य।	23.00	203/13-14	21.82	03.10.13	02.04.13	कार्य आरम्भ नही
432	वार्ड नं. 17 प्रताप नगर में महिला स्नान घर बनवाने एवं पार्क का सौंदर्यकरण का कार्य	30.00	209/13-14	32.16	26.09.13	25.03.14	कार्य आरम्भ नही
433	वार्ड नं. 2 जाय मेघवाल समाज सूथला में सार्व. जगह पर सामु. हॉल निर्माण कार्य	18.00	210/13-14	17.87	03.10.13	02.04.14	कार्य आरम्भ नही
434	सूथला स्थित नाथ समाज के समाधि स्थल के चार दीवारी बनाने का कार्य	18.50	211/13-14	16.52	21.09.13	20.03.14	कार्य आरम्भ नही
435	वार्ड सं. 18 में सी.सी. रोड सीवरेज लाईन कार्य	40.00	213/13-14	32.37	30.09.13	29.05.14	कार्य आरम्भ नही
436	वार्ड सं. 12 कबीर नगर मेघवाल समाज श्मशान के चार दीवारी का विकास कार्य	21.75	214/13-14	21.75	03.10.13	03.05.14	कार्य आरम्भ नही
437	सूथला पुरानी बस्ती गजानन्द कॉलोनी सूथला मे सी. सी. सड़क निर्माण कार्य	38.80	02/13-14	39.00	12.04.13	13.08.13	कार्य आरम्भ नही
438	बिजली घर से बकरी टंकी तक फुटपाथ निर्माण कार्य	11.85	12/13-14 (west)	8.50	19.04.13	18.10.13	कार्य आरम्भ नही
439	कबीर नगर में महादेव मंदिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	18.00	18/13-14	17.66	25.04.13	24.10.13	कार्य आरम्भ नही
440	विश्रशाला से किला रोड तक कन्ट्रोल सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य	23.00	38/13-14	19.33	30.04.13	01.10.13	कार्य आरम्भ नही
441	वार्ड सं. 13 मे श्री कृष्ण मंदिर मे पार्क का विकास कार्य	15.00	42/13-14	11.91	13.04.12	12.10.13	कार्य आरम्भ नही
442	जोगमाया मंदिर मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	19.70	46/13-14	25.1	16.05.13	15.11.13	कार्य आरम्भ नही
443	सरगरा समाज के प्रताप नगर श्मशान भूमि पर सामु. हॉल स्नानघर पानी की टंकी राम कुटिया व गली मे सी.सी. सड़क का निर्माण कार्य	29.95	26/13-14	25.01	27.6.13	26.10.13	कार्य आरम्भ नही
444	देवरा महादेव मंदिर रावटी चूंगी नाका मार्ग पर रोड लाईट लगाने का कार्य।	6.25	22/2012-13	5.38	24.06.12	23.09.13	कार्य आरम्भ नही
445	आखलिया स्कीम मे विद्युतीकरण का कार्य।	220.00	36/2013-14	139.97		11.12.13	कार्य आरम्भ नही
446	ग्राम झालामण्ड खेतेश्वर धाम भोमिया जी थान के सामने धाची समाज के पशुपालन मे विद्युतीकरण का कार्य।	29.00	61/2013-14	25.09	16.09.13	15.12.13	कार्य आरम्भ नही
447	जाटावास महामंदिर सामुदायिक भवन मे विद्युतीकरण का कार्य।	5.00	69/2013-14	3.81	03.10.13	02.11.13	कार्य आरम्भ नही

448	[illegible] दुकानो के बाहर सड़क निर्माण में बिजली के पोल हटाने का कार्य।	37.50	74/2013-14	28.50	30.10.13	29.12.13	कार्य आरम्भ नही
449	कायलाना झील पार्क में गेजीबो लगाने का कार्य।	47.00	77/2013-14	49.78	30.10.13	29.12.13	कार्य आरम्भ नही
450	मारवाड वेलफेयर हॉल हज हाऊस स्टेडियम जोधपुर में दो लिफ्ट लगाने का कार्य।	33.00	84/2013-14	26.90	10.10.13	09.01.14	कार्य आरम्भ नही
451	राजीव गांधी कॉलोनी वार्ड नं. 61 गलियो में एल.टी. लाईन को भूमिगत करना व रोड लाईट का कार्य।	209.00	86/2013-14	144.82	11.10.13	10.04.14	कार्य आरम्भ नही
452	वार्ड नं. 62 मगरापुंजला में एल.टी. एवं एच.टी. लाईन को भूमिगत करना व रोड लाईट का कार्य।	345.00	100/2013-14	246.25	13.10.13	12.04.14	कार्य आरम्भ नही
453	आखलिया स्कीम में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	80.00	33/2013-14	55.80	22.06.13	21.12.13	कार्य आरम्भ नही
454	चोखाघाटी से जैसलमेर बाईपास वाया रावटी सूरसागर राजबाग पर सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	140.00	91/2013-14	119.59	14.10.13	13.04.14	कार्य आरम्भ नही
455	चौखा गांव के क्रिकेट स्टेडियम में फ्लड लाईट लगाने का कार्य।	155.00	97/2013-14	110.19	14.10.13	13.10.14	कार्य आरम्भ नही
456	वार्ड नं. 1 चोपड़ फाक विस्थापित कॉलोनी की ढाणी में विद्युतीकरण कार्य।	38.00					निविदा प्राप्त कार्यादेश जारी नही
	योग :-	19008.88		17483.03			

90

पारि. 3

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.08.2013 व 23.9.2013 24.9.2013 में लिये गये संशोधित स्वीकृति के कार्यों की सूची (विधानसभा वार) :–

क्र.सं.	कार्य का नाम	विधानसभा क्षेत्र,	मूल प्रा० एवं वित्तीय स्वी० (लाखों में)	संशोधित स्वीकृत राशि (लाखों में)	कुल स्वीकृत राशि	कार्य पर व्यय (लाखों में)	संशोधित स्वीकृति कितनी व्यय की गई	कार्य की भौतिक स्थिति	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रूप रजत टाऊनशिप द्वितीय एवं तृतीय फेज में सड़क निर्माण	लूणी विधानसभा क्षेत्र	40.00	20.00	60.00	0.00	0.00	NS	कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य करने हेतु संशो. स्वी. जारी की गई है। अनुबंध की धारा 32 के तहत कार्य विड्रो किया गया है।
2	ग्राम उचीसर में मुख्य सड़क से ढूढियों के बास में स्टोन पेविंग कार्य	लूणी विधानसभा क्षेत्र	40.00	8.00	48.00	28.35	0.00	WIP	कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य करने हेतु संशो. स्वी. जारी की गई है। कार्य प्रगति पर है।
3	धवा सिनली सड़क एवं मुख्य सड़क धवा नई बस्ती की सम्पर्क सड़कों का निर्माण	लूणी विधानसभा क्षेत्र	31.20	30.00	61.20	0.00	0.00	NS	कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य करने हेतु संशो. स्वी. जारी की गई है। अनुबंध की धारा 32 के तहत कार्य विड्रो किया गया है।
4	करणी नगर 1, 2, 3 मे पार्कों का विकास कार्य।	लूणी विधानसभा क्षेत्र	73.00	60.00	133.00	56.78	0.00	WIP	कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य पूर्ण करने हेतु संशो. स्वी. जारी गई थी। कार्य प्रगति पर है।
5	मुख्य सड़क से धवा गांव की बस्ती मे सड़क निर्माण कार्य	लूणी विधानसभा क्षेत्र	48.50	40.00	88.50	0.00	0.00	NS	कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य करने हेतु संशो. स्वी. जारी की गई है। अनुबंध की धारा 32 के तहत कार्य विड्रो किया गया है।
6	ग्राम सांगरिया मे स्थित रावत समाज के मंदिर परिसर मे छात्रावास निर्माण कार्य।	लूणी विधानसभा क्षेत्र	60.00	41.12	101.12	29.23	0.00	COMP	कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य करने हेतु संशो. स्वी. जारी की गई थी। कार्य पूर्ण हो चुका है। अंतिम बिल बनाया जा चुका है।
7	लक्ष्मी विहार में पार्कों का विकास कार्य।	लूणी विधानसभा क्षेत्र	20.00	30.00	50.00	16.15	0.00	WIP	कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य करने हेतु संशो. स्वी. जारी की गई थी। कार्य प्रगति पर है।
8	ग्राम फींच से सांवरी भाखरी होते हुए लूणी मुख्यालय की मुख्य सड़क तक सम्पर्क सड़क निमाण	लूणी विधानसभा क्षेत्र	270.00	30.00	300.00	255.81	0.00	COMP	कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य करने हेतु संशो. स्वी. जारी की गई थी। कार्य पूर्ण हो चुका है। अंतिम बिल बनाया जाना है।
9	आदर्श नगर एवं ख.नं. 90 कुडी भगतासनी झालामण्ड मे सड़क निर्माण कार्य।	लूणी विधानसभा क्षेत्र	90.00	50.00	140.00	41.42	0.00	WIP	कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य करने हेतु संशो. स्वी. जारी की गई थी। डब्ल्यू.बी.एम. कार्य हो चुका है। डामरीकरण कार्य शेष है।

(91)

10	जोन दक्षिण ए मे सडक पेच रिपेयर का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध में)	लूणी विधानसभा क्षेत्र	43.50	50.00	93.50	32.37	0.00	WIP	कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य करने हेतु संशो. स्वी. जारी की गई थी। कार्य प्रगति पर है।
11	विवेक विहार योजना मे मुख्य सडक व चौराहे पर डिवाईडर का कार्य।	लूणी विधानसभा क्षेत्र	166.60	100.00	266.60	48.94	0.00	WIP	कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य करने हेतु संशो. स्वी. जारी की गई थी। कार्य प्रगति पर है।
12	मेघवालों की ढाणी बासनी द्वितीय चरण मे सीवर लाईन व डामर सडक निर्माण	लूणी विधानसभा क्षेत्र	49.50	35.00	84.50	26.33	0.00	WIP	कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य करने हेतु संशो. स्वी. जारी की गई थी। कार्य प्रगति पर है।
13	ग्राम धुन्धाडा मे चंडेरा गेट से संत लिखमाराम नगर तक सम्पर्क सडक निर्माण कार्य।	लूणी विधानसभा क्षेत्र	75.00	30.00	105.00	4.62	0.00	WIP	कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य करने हेतु संशो. स्वी. जारी की गई थी। कार्य प्रगति पर है।
14	ग्राम धुन्धाडा में स्थित कब्रिस्तान की चार दीवारी का निर्माण कार्य	लूणी विधानसभा क्षेत्र	11.50	4.00	15.50	9.45	0.00	WIP	मौके की स्थिति के अनुसार कार्य की अधिकता के कारण संशो. स्वी. जारी की गई थी। कार्य प्रगति पर है।
15	आदर्श नगर रमजान हत्था मे सडक निर्माण कार्य	लूणी विधानसभा	51.20	50.00	101.2	27.23	0.00	डब्ल्यु.बी.एम. कार्य हुआ है।	डामरीकरण शेष
16	रूप नगर नान्दडी मे सडक निर्माण कार्य	लूणी विधानसभा	30.55	50.00	80.55	27.01	0.00	डब्ल्यु.बी.एम. कार्य हुआ है।	डामरीकरण शेष
17	जोन पश्चिम (बी) मे सडक निर्माण कार्य	लूणी	149.80	99.55	249.35	0.00	0.00	कार्य बन्द है।	
18	श्री कालका माता मन्दिर राईका बास होते हुए विश्नोईयो की ढाणी (शिव कुण्ड) तक सडक निर्माण का कार्य।	लूणी विधानसभा	62.80	60.00	122.8	11.30	0.00	डब्ल्यु.बी.एम. कार्य हुआ है।	डामरीकरण शेष
19	हाईवे रोड से अनन्त लेविस स्कूल होते हुए कटाण के रास्ते से नान्दडी गांव तक सडक निर्माण कार्य।	लूणी विधानसभा	80.00	100.00	180	64.30	0.00	डब्ल्यु.बी.एम. कार्य हुआ है।	डामरीकरण शेष
20	खारडा रणधीर लूणी में पाबूजी मंदिर परिसर की चार दीवारी एवं हॉल निर्माण कार्य।	लूणी विधानसभा	52.70	115.00	167.7	0.00	0.00	छत व फिनिशिंग कार्य शेष, चार दिवारी पूर्ण	–
21	नहर के पास मुख्य मार्ग से गौदारों की ढाणी जे बी स्कूल तक सडक निर्माण कार्य।	लूणी विधानसभा	45.45	170.00	215.45	0.00	0.00	डब्ल्यु.बी.एम. कार्य हुआ है।	डामरीकरण शेष
22	बालाजी नगर राजस्व ग्राम से परमेश्वर मंदिर तक डामरीकरण कार्य।	लूणी विधानसभा	45.45	200.00	245.45	0.00	0.00	डब्ल्यु.बी.एम. कार्य हुआ है।	डामरीकरण शेष
23	ख. नं० 25 नान्दडी में सडक निर्माण कार्य।	लूणी विधानसभा	23.15	80.00	103.15	9.38	0.00	डब्ल्यु.बी.एम. कार्य हुआ है।	डामरीकरण शेष
24	प्रभात नगर नान्दडी क्षेत्र से मीणा हाउस होते हुए इन्द्रो का हाउस तक सडक निर्माण कार्य।	लूणी विधानसभा	23.65	80.00	103.65	5.54	0.00	डब्ल्यु.बी.एम. कार्य हुआ है।	डामरीकरण शेष
25	विश्नोईयों का बास खेजडली में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	लूणी विधानसभा	19.50	55.00	74.5	14.00	0.00	कुर्सी तल तक का कार्य	–
26	खसरा 30 पार्श्वनाथ नानदडी में सडक निर्माण कार्य।	लूणी विधानसभा	40.85	80.00	120.85	19.24	0.00	डब्ल्यु.बी.एम. कार्य हुआ है।	डामरीकरण शेष
27	श्रीयादे नगर कुम्हारों की ढाणी मुख्य सडक श्री रामजी की ढाणी तक सडक निर्माण कार्य।	लूणी विधानसभा	45.00	120.00	165	26.81	0.00	डब्ल्यु.बी.एम. कार्य हुआ है।	डामरीकरण शेष

92

28	ग्राम चौखा में महादेश्वर गौशाला से होते हुए सड़क निर्माण कार्य	लूणी	60.50	15.10	75.60	37.21	0.00	कार्य प्रगतिरत है।	W.B.M का कार्य पूर्ण व डामरी करण शेष वर्तमान में कार्य बंद है।
29	चार दीवारी निर्माण कार्य इदगाह परिसर एवं कब्रिस्तान परिसर ग्राम रोहिला कल्ला	लूणी	30.00	9.60	39.60	25.43	0.00	कार्य बन्द है।	चार दीवारी का कार्य पूर्ण कोपिंग व गेट का निर्माण कार्य शेष। वर्तमान में कार्य बंद है।
30	रामराज नगर आवासीय कॉलोनी में पत्थर की खुदाई के गुटका बनाने का कार्य	लूणी	24.60	22.00	46.60	21.20	0.00	कार्य प्रगति पर है।	कार्य योजना क्षेत्र का है। सेक्टर 1 से 5 में गुटका बनाए। वर्तमान में कार्य बंद है।
31	ग्राम पंचायत समिति लूणी में सार्वजनिक श्मशान का निर्माण कार्य	लूणी	8.15	0.03	8.18	2.15	0.00	कार्य बन्द है।	चिनाई का कार्य व छत का कार्य पूर्ण तथा प्लिन्थिंग का कार्य बाकी वर्तमान में कार्य बंद है।
32	कर्मचारी कॉलोनी ग्राम खसरा नं. 713 में नाला निर्माण कार्य	लूणी	145.00	50.87	195.87	91.88	0.00	कार्य बन्द है।	वर्तमान में कार्य बंद है।
33	भुरिया भाकर एवं रोहिला खुर्द में सामुदायिक भवन का कार्य	लूणी	12.60	20.00	32.60	9.38	0.00	कार्य प्रगति पर	चिनाई का कार्य व छत का कार्य पूर्ण तथा प्लिन्थिंग का कार्य बाकी वर्तमान में कार्य बंद है।
34	ग्राम मंडावता ने मुख्य सड़क से बिजाणियां व ढुडो की ढाणी तक सड़क निर्माण कार्य	लूणी	25.00	3.15	28.15	24.35	0.00	कार्य पूर्ण है।	टीपी अधिक होने के कारण संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति जारी
35	पावटा श्मशानघाट ग्राम गोलासनी में विश्रामहॉल का निर्माण कार्य	लूणी	7.92	0.32	8.24	0.00	0.00	निरस्त	-
36	पत्रकार कॉलोनी ग्राम चौखा खसरा 702, 703, 704 727 में पार्क की चार दीवारी का कार्य	लूणी	10.00	20.00	30.00	6.73	0.00	कार्य बन्द है।	योजना क्षेत्र का कार्य है। चार दीवारी का कार्य पूर्ण कोपिंग व गेट का निर्माण कार्य शेष। वर्तमान में कार्य बंद है।
37	बडली मेड से मेघवालों के भैरे तक सड़क निर्माण कार्य	लूणी	23.00	1.68	24.68	10.91	0.00	कार्य बन्द है।	डब्ल्यू.बी.एम का कार्य पूर्ण व सी.सी. ब्लॉक का कार्य पूर्ण व कुछ भाग में विवाद है। डामरीकरण का कार्य शेष वर्तमान में कार्य बंद है।
38	दारूल उलूम अहले हमीद चौखा में छात्रावास का निर्माण कार्य	लूणी	70.00	35.50	105.50	0.00	0.00	कार्य बन्द है।	नींव की खुदाई का कार्य कर वर्तमान में कार्य बंद है।
39	ग्राम मोकलावास के अरना झरना के पास संत शंकरदास जी आश्रम (मेघवाल समाज) में हॉल व बरामदा निर्माण कार्य	लूणी	33.00	26.50	59.50	22.80	0.00	कार्य प्रगति पर	पत्थर का कार्य पूर्ण एवं छत का कार्य शेष
40	राजीव गांधी नगर विस्तार योजना में सड़क निर्माण कार्य	लूणी	115.00	103.50	218.50	58.41	0.00	कार्य प्रगति पर	योजना क्षेत्र का कार्य है। सड़क निर्माण से पूर्व नाला निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है व वर्तमान में सड़क निर्माण कार्य बंद है।
41	डामर सड़क निर्माण कार्य सालोडी बगण माता मंदिर से गणेशजी प्याऊ तक लम्बाई 2.80 किमी.	लूणी	84.00	31.50	115.50	55.01	0.00	कार्य बन्द है।	w.b.m. एवं रपट कार्य करना है। कार्य पूर्ण डामरीकरण करवाया जाना है। कार्य वर्तमान में बंद है।
42	डामर सड़क निर्माण कैरू गांव से सालोडी गुंथ तक लम्बाई 6.20 किमी.	लूणी	140.00	31.25	171.25	17.77	0.00	कार्य बन्द है।	4.7 km त. में w.b.m. एक लेयर का कार्य पूर्ण है। वर्तमान में कार्य बंद है।
43	डामर सड़क निर्माण बासनी सेवा से बासनी मनना वाया सिन्धियों की ढाणी	लूणी	127.00	38.50	165.50	47.24	0.00	कार्य बन्द है।	w.b.m. एवं सी.सी. कार्य पूर्ण डामरीकरण करवाया जाना है। वर्तमान में कार्य बंद है।
44	डामर सड़क निर्माण रा.मा.वि.कैरू से कैरू बांध के पिछे स्थित पानी के हौद तक लम्बाई 3 कि.	लूणी	71.50	40.00	111.50	9.39	0.00	कार्य बन्द है।	1.3 km w.b.m. कार्य पूर्ण डामरीकरण करवाया जाना है। कार्य वर्तमान में बंद है।
45	डामर सड़क निर्माण सालोडी धाम से मालुंगा जाने वाली डामर सड़क तक नांदिया होते हुए (लम्बाई2.50)	लूणी	63.60	48.90	112.50	12.93	0.00	कार्य बन्द है।	1.4km w.b.m. कार्य पूर्ण डामरीकरण करवाया जाना है। कार्य वर्तमान में बंद है।
46	डामर सड़क निर्माण कार्य धोलासरा कांटा से नाहडी खारडा नाडी तक(लम्बाई3.20)	लूणी	76.50	34.00	110.50	19.34	0.00	कार्य बन्द है।	3.2km w.b.m. कार्य पूर्ण डामरीकरण करवाया जाना है। कार्य वर्तमान में बंद है।
47	डामर सड़क निर्माण गांव नाडी की ढाणी डामर सड़क तक (लम्बाई 3.40)	लूणी	80.00	145.00	225.00	52.46	0.00	कार्य प्रगति पर	w.b.m. कार्य पूर्ण हो चुका है। डामरीकरण शेष है। वर्तमान में कार्य बंद है।
48	राम राज नगर में डामरी करण का शेष कार्य	लूणी	177.37	58.50	235.87	32.92	0.00	कार्य बन्द है।	डब्ल्यू.बी.एम व सुरक्षा दीवार का कार्य किया गया सुरक्षा दीवार का प्लिन्थिंग व डामरीकरण का कार्य शेष है। वर्तमान में कार्य बंद है।
49	डामर सड़क निर्माण भंवरा ग्राम कैरू धाम से श्री सन्तोष सिंह गहलोत के कार्य तक	लूणी	36.00	26.40	62.40	13.40	0.00	कार्य बन्द है।	डब्ल्यू.बी.एम का कार्य पूर्ण व डामरीकरण का कार्य शेष है। वर्तमान में कार्य बंद है।

93

50	भद्रेश्वर महादेव मन्दिर की चार दिवारी निर्माण कार्य ग्राम चौखा	लूणी	9.20	7.00	16.20	2.95	0.00	कार्य बन्द है।	मुख्य सड़क की तरफ चार दीवारी का कार्य पूर्ण व वर्तमान में कार्य बंद है।
51	ग्राम चौखा में सतीमाता का मन्दिर की चार दिवारी तथा सामुहिक निर्माण कार्य	लूणी	49.65	4.47	54.12	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर	पत्थर का कार्य पूर्ण एवं छत का कार्य शेष वर्तमान में कार्य बंद है।
52	ग्राम पंचायत जोलीयाली के ग्राम लेते की ढाणी में सामुहिक भवन कार्य	लूणी	15.00	0.63	15.63	0.00	0.00	कार्य प्रारम्भ नही	टी.पी. अवैध होने के कारण संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति जारी
53	रोहिला कला से बुडीवड तक सड़क की चौड़ाई करण एवं सुदृढीकरण कार्य	लूणी	235.00	64.85	299.85	61.46	0.00	कार्य प्रगति पर	सुरक्षा दीवार का कार्य किया गया वर्तमान में कार्य बंद है।
54	ग्राम पंचायत देजगरा करणी में गुरुजी की प्याऊ तक कार्य	लूणी	49.50	125.00	174.50	31.42	0.00	कार्य बन्द है।	w.b.m. कार्य पूर्ण डामरीकरण करवाया जाना है। कार्य वर्तमान में बंद है।
55	बालाजी के बुढिया से गोलासनी गांव तक सड़क निर्माण कार्य	लूणी	302.39	45.35	347.74	113.61	0.00	कार्य प्रगति पर	w.b.m. नाला एवं पुलिया निर्माण कार्य पूर्ण डामरीकरण शेष है।
56	झंवर रोड मंदर से के पास गली में झंवर रोड में डामरीकरण निर्माण कार्य	लूणी	10.00	0.19	10.19	0.00	0.00	कार्य प्रारम्भ नही	कार्य प्रारम्भ नही
57	सी.सी. रोड निर्माण कार्य ग्राम राजवा अ) सिंधियो के बास तक (ब) भील के नाम से रिछा राम मेघवाल के घर तक (स) डामर सड़क से सुखाराम के घर तक	लूणी	48.00	54.50	102.50	40.66	0.00	कार्य बन्द है।	कार्य लगभग पूर्ण है। कार्य वर्तमान में बन्द है।
58	ग्राम मोकला बास अरणा धाम जाट समाज में खसरा 5/2 में दो हाल व शौचालय का निर्माण कार्य	लूणी	42.00	6.60	48.60	5.87	0.00	कार्य प्रगति पर	कार्य रूफ लेवल तक पूर्ण, आर.सी.सी. छत डालनी बाकी। वर्तमान में कार्य बंद है।
59	मारवाड़ क्षत्रिय समाज में वाचनालय निर्माण कार्य ग्राम लुणावास	लूणी	27.50	19.00	46.50	23.41	0.00	कार्य बन्द है।	छत लेवल तक कार्य हो चुका है। फिनिशिंग कार्य शेष है। कार्य वर्तमान में बन्द है।
60	रोहिला खुर्द (फलोदिया खुर्द) में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	लूणी	12.60	20.00	32.60	4.47	0.00	कार्य बन्द है।	कार्य रूफ लेवल तक पूर्ण, आर.सी.सी. छत डालनी बाकी। वर्तमान में कार्य बंद है।
61	रोहिला खुर्द (फलोदिया कल्ला) में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	लूणी	12.60	20.00	32.60	0.00	0.00	कार्य प्रारम्भ नही	–
62	मिरिच लिंक डामर सड़क निर्माण गांव से दीपा नाडा लम्बाई 1.20 किमी	लूणी	30.00	3.41	33.41	8.20	0.00	कार्य बन्द है।	w.b.m. कार्य पूर्ण पटरियां एवं डामरीकरण करवाया जाना है।कार्य वर्तमान में बन्द है।
63	ग्राम करणी में सार्वजनिक भवन वाचनालय व स्नान घर का निर्माण कार्य	लूणी	32.50	15.00	47.50	10.41	0.00	कार्य बन्द है।	छत लेवल तक कार्य हो चुका है। कार्य वर्तमान में कार्य बंद है।
64	ग्राम धीपावास के ग्राम धोलावास में रा.उ.प्रा.विद्यालय के पीछे सार्वजनिक सभा भवन व बाथरूम एवं शौचालय का निर्माण कार्य	लूणी	24.50	2.85	27.35	7.25	0.00	कार्य बन्द है।	छत लेवल तक कार्य हो चुका है। कार्य वर्तमान में कार्य बंद है।
65	ग्राम धीपावास में पुखराज पुत्र श्री भरकाराम गोदारा की सार्वजनिक भवन व बाथरूम व शौचालय का निर्माण कार्य	लूणी	18.00	2.18	20.18	0.00	0.00	कार्य प्रारम्भ नही	–
66	तुर्कसिंह जी के मकान से जैसलमेर में हाईवे तक सड़क निर्माण तक कार्य	लूणी	30.00	25.50	55.50	26.91	0.00	कार्य बन्द है।	2.2 km w.b.m. कार्य एवं 300 मी. सी.सी. कार्य पूर्ण हो चुका है डामरीकरण कार्य करवाया जाना है। वर्तमान में कार्य बन्द है।
67	ग्राम पंचायत सोरड़ी देजगरा के ग्राम सोरड़ी डोलिया में पाली वालो का बास में 01 कि.मी. रोड निर्माण कार्य	लूणी	45.00	40.00	85.00	22.11	0.00	कार्य प्रगति पर	कार्य वर्तमान में बन्द है।
68	ग्राम पंचायत सोरड़ी देजगरा कार्यालय के ग्राम सोरड़ी डोलिया में सभा भवन निर्माण कार्य।	लूणी	15.00	1.79	16.79	0.00	0.00	कार्य प्रारम्भ नही	कार्य प्रारम्भ नही
69	गोलासनी से जैसलमेर चाई पात तक सड़क निर्माण कार्य।	लूणी	409.93	26.16	436.09	0.00	0.00	कार्य बन्द है।	जंगल कटिंग की गई।कार्य वर्तमान में बन्द है।
70	ग्राम धीटियाला में मेघवालो के बास में सार्वजनिक भवन का निर्माण कार्य	लूणी	10.00	1.20	11.20	0.00	0.00	कार्य प्रारम्भ नही	कार्य प्रारम्भ नही
71	ग्राम पालड़ी मानसिंह से पालड़ी जिलियान वाया पालड़ी पंवार तक सड़क निर्माण कार्य	लूणी	135.00	70.00	205.00	59.23	0.00	डब्ल्यूबीएम का कार्य पूर्ण डामर का कार्य शेष	–

72	सांपरिया रोड पर स्थित कॉलोनिया साऊ की ढाणी, महावीर नगर, अमर नगर, मोतीनगर, बालाजी नगर गणेश नगर, पार्वती नगर, हिम्मत नगर में पथ प्रकाश कार्य।	लूणी	40.00	20.00	60.00	23.86	0.00	कार्य प्रगति पर है।	-
73	सालावास गांव में सार्वजनिक पथ प्रकाश का कार्य।	लूणी	45.00	15.00	60.00	19.26	0.00	कार्य प्रगति पर है।	-
74	मढाव आईटीआई के पास सामुदायिक भवन का शे ष कार्य	लूणी	25.00	29.86	54.86	8.94	0.00	बिजली फिटिंग का कार्य बाकी।	-
75	विश्राम हॉल चार दिवारी निर्माण कार्य देव नगर ग्राम सन्तोष खुर्द	ओसिया	35.50	4.12	39.62	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर	-
76	सन्तोष खुर्द ब्राह्मणों की ढाणी के पास सामुदायीक भवन व चार दिवारी निर्माण कार्य	ओसिया	24.50	3.17	27.67	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर	-
77	ग्राम बिजवाडिया से मणाई तिवरी रोड से सेठ मांगीलाल घुकिया देवी गहलोत मा.वि. तक सडक निर्माण कार्य	ओसिया	50.00	21.46	71.46	19.80	0.00	डबलुबीएम का कार्य पूर्ण डामर का कार्य शेष	-
78	बिजवाडिया मावि.के पीछे इन्दको तिवरी रोड 18 मील तक सडक निर्माण कार्य	ओसिया	90.00	20.35	110.35	0.00	0.00	कार्य शुरू नही	-
79	जोधपुर तिवरी रोड से बालरवा से नागा बाबा राजकीय प्राथमिक विद्यालय तक सीसी एवं डामरीकरण का कार्य	ओसिया	120.00	40.00	160.00	65.86	0.00	स्वीकृत लम्बाई तक डब्लूबीएम का कार्य पूर्ण डामर का कार्य शेष संशोधित सडक का कार्य शेष	-
80	श्री कुशल नगर में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	सूरसागर	24.00	20.00	44.00	0.00	0.00	NS	कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य करने हेतु संशो. स्वी. जारी की गई है। अनुबंध की धारा 32 के तहत कार्य विड्रो किया गया है।
81	खोडियार नगर, धुनन नगर, भवानी नगर में डामर सडक निर्माण कार्य	सूरसागर	62.00	26.04	88.04	22.52	0.00	WIP	मौके की स्थिति के अनुसार कार्य की अधिकता के कारण संशो. स्वी. जारी की गई थी। डब्ल्यू.बी.एम. कार्य पूर्ण हो चुका है। डामरीकरण कार्य करवाया जाना शेष है।
82	महादेव नगर व शेष गायत्री नगर में डामर सडक निर्माण	सूरसागर	62.40	26.00	88.40	36.68	0.00	WIP	मौके की स्थिति के अनुसार कार्य की अधिकता के कारण संशो. स्वी. जारी की गई थी। डब्ल्यू.बी.एम. कार्य पूर्ण हो. चुका है। डामरीकरण कार्य करवाया जाना शेष है।
83	डाली बाई मंदिर में सार्वजनिक भवन का निर्माण कार्य	सूरसागर	24.50	10.00	34.50	4.46	0.00	कार्य बंद है।	
84	आर के नगर टैगोर नगर विनायक नगर में डामर सडको का निर्माण कार्य	सूरसागर	98.00	6.04	104.04	0.00	0.00	सिवरेज लाईन डालने के कारण कार्य रोका गया	w.b.m. कार्य पूर्ण कार्य वर्तमान में बंद है
85	खांडेश्वर नगर पार्क में विकास कार्य	सूरसागर	20.00	1.05	21.05	5.91	0.00	कार्य प्रगति पर,	-
86	गुलिस्ता नगर में डामर सडक निर्माण कार्य।	सूरसागर	75.00	50.50	125.50	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर	-
87	कायस्थ समाज में सामुदायीक हाल में शेष कार्य	सूरसागर	24.50	25.00	49.50	0.00	0.00	वर्तमान में कार्य बन्द है	-

96

88	राजबाग सर्कल से बालसमंद वाया घोडा घाटी सडक निर्माण कार्य पाट बी	सूरसागर	212.74	228.26	441.00	0.00	0.00	वन विभाग की स्वीकृति न होने के कारण कार्य प्रारम्भ नही मुख्य सडक होने के कारण कार्य करवाना जाना आवश्यक है, पूर्व मे 2 लेन कार्य को 4 लेन कार्य मे संशोधित किया गया	-
89	राजबाग सर्कल से बालसमंद वाया घोडा घाटी सडक निर्माण कार्य पाट ए	सूरसागर	412.75	490.21	902.96	38.17	0.00	डब्लुबीएम का कार्य प्रगति पर मुख्य सडक होने के कारण कार्य करवाया जाना आवश्यक है, पूर्व मे 2 लेन कार्य को 4 लेन कार्य मे संशोधित किया गया	-
90	भाकरी बास कब्रिस्तान के पास सीसी सडक का कार्य	सूरसागर	92.00	51.00	143.00	91.86	0.00	कुल गलियो मे सीसी का कार्य शेष मुल स्वीकृति के अंदर ही कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।	-
91	शवटी सडक खरबूजा बावडी रामदेव मंदीर के पास सामुदायिक भवन व अन्य विकास कार्य	सूरसागर	27.00	8.00	35.00	19.04	0.00	फिनिसिंग का कार्य शेष हॉल की साईज बढाये जाने के कारण संशोधित	-
92	जोधपुर किला रोड से बालसमंद शवटी सडक मार्ग तक नवीन सडक निर्माण कार्य	सूरसागर	1000.00	550.00	1550.00	474.23	0.00	1650 मीटर तक दिवार, रॉक कटिंग व डीबीएम का कार्य पूर्ण बीसी का कार्य शेष लम्बाई मे सडक का कार्य शेष 2 लेन कार्य के स्थान पर 4 लेन का कार्य के कारण संशोधित मुख्य सडक होने के कारण करवाया जाना आवश्यक	-
93	जुनीबागर चौक से अजय चौक तक सीवर लाइन बदलने एवं कंट्रोल सीसी सडक निर्माण कार्य	सूरसागर	45.00	35.00	80.00	38.20	0.00	मूल कार्य पूर्ण संशोधित कार्य शेष	-
94	भील समाज श्मशान भूरटिया सूरसागर मे चार दीवारी दाह संस्कार टीन शेड व अन्य विकास कार्य	सूरसागर	30.00	18.00	48.00	13.08	0.00	दीवार का कार्य पूर्ण सामुदायिक भवन व टीनशेड का कार्य शेष सामुदायिक भवन की साईज अधिक होने के कारण संशोधित	-
95	भील आश्रम दाधिच आश्रम लालगढ आश्रम मे सीसीस सडक का निर्माण कार्य	सूरसागर	31.00	20.00	51.00	25.51	0.00	मूल स्वीकृत कार्य पूर्ण संशोधित सम्पर्क सडक का कार्य शेष	-
96	भोमिया जी की घाटी सूरसागर मे टीन शेड निर्माण व अन्य मरम्मत कार्य	सूरसागर	22.00	28.00	50.00	4.36	0.00	टीनशेड व रैलिंग का कार्य पूर्ण हॉल का कार्य लिंटल लेवल तक स्वीकृति प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति हेतु अन्तर्गत ही हुआ है।	-
97	वार्ड नं. 65 मे सीवर लाईन का कार्य	सूरसागर	148.00	70.00	218.00	95.59	0.00	कुल गलियो मे सीसी व सीवेरज का कार्य पूर्ण कुछ गलियो मे शेष	-
98	माली समाज श्मशान सुरसागर मे सामुदायिक हॉल व मरम्मत का कार्य	सूरसागर	30.00	20.00	50.00	-	0.00	कार्य शुरू नही	-

99	घड़ी तिराहे से सालासर हैण्डलूम तक सड़क निर्माण शेष कार्य।	सूरसागर	230.85	55.00	285.85	137.44	0.00	कार्य प्रगति पर	–
100	दल्ले खां चक्की चौराहा से पाल लिंक रोड 4 लेन सड़क निर्माण कार्य।	सूरसागर	185.20	25.00	210.20	10.00	0.00	वर्तमान में कार्य बंद है।	–
101	पाल रोड स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में चार दीवारी एवं महिला स्नानघर का निर्माण कार्य।	सूरसागर	35.00	40.00	75.00	32.95	0.00	वर्तमान में कार्य बंद है।	–
102	श्री रामाराम नगर में डामर सड़क निर्माण कार्य।	सूरसागर	24.50	20.00	44.50	11.09	0.00	वर्तमान में कार्य बंद है। बी.टी. शेष है।	–
103	खेमे का कुआ सोनावतों की ढाणी की ढाणी की मुख्य सड़क को चौड़ा करने का कार्य।	सूरसागर	143.00	30.00	173.00	98.19	0.00	वर्तमान में कार्य बंद है।	–
104	खेमे का कुआ भोमिया जी का थान के पास सार्वजनिक भवन का निर्माण कार्य।	सूरसागर	25.00	5.00	30.00	11.31	0.00	वर्तमान में कार्य बंद है।	–
105	खेमा का कुआ स्थित साखला में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	सूरसागर	40.00	10.00	50.00	8.76	0.00	वर्तमान में कार्य बंद है।	–
106	चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड सेक्टर 11 में ज्ञानेश्वर के पास स्नानघर का शेष निर्माण कार्य।	सूरसागर	6.50	4.00	10.50	5.00	0.00	कार्य प्रगति पर	–
107	खेमा का कुआ माताजी मंदिर के पास हॉल का निर्माण कार्य एवं अन्य विकास कार्य।	सूरसागर	49.00	10.00	59.00	6.15	0.00	वर्तमान में कार्य बंद है।	–
108	चौ.हा.बो. सेक्टर 11 में सीवरेज का कार्य।	सूरसागर	15.00	5.00	20.00	0.00	0.00	कार्य बंद	कार्य शुरू नहीं हुआ है।
109	चौ.हा.बो. सेक्टर 8 में श्री लबाना ग्वारिया सिख समाज का सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य।	सूरसागर	34.30	10.70	45.00	9.66	0.00	वर्तमान में कार्य बंद है।	–
110	चौ.हा.बो. में 19 सेक्टर के पार्को में हॉल व अन्य विकास कार्य।	सूरसागर	35.00	10.00	45.00	29.55	0.00	वर्तमान में कार्य बंद है।	–
111	जय नारायण व्यास समाधि चांद पोल में विभिन्न विकास कार्य	सूरसागर	18.00	18.00	36.00	16.00	0.00	कार्य प्रगति पर	अतिरिक्त कार्य के कारण
112	चांदपोल गोर रामदेव गली में सामुदायिक भवन का विकास कार्य।	सूरसागर	30.00	40.00	70.00	2.85	0.00	विवाद के कारण बंद	साईज बढ़ने के कारण
113	ई.एस.आई. अस्पताल रोड पर डामरीकरण का कार्य	सूरसागर	89.30	35.00	124.30	73.95	0.00	डामरीकरण का कार्य शेष/ कार्य करवाना आवश्यक है।	प्रतापनगर थाना सड़क चौड़ी करने केअतिरिक्त कार्य करने के कारण व टी.पी. के कारण
114	हुडको के पार्को का विकास कार्य ।	सूरसागर	16.00	20.00	36.00	2.00	0.00	कार्य प्रगति पर	पुलिये के निर्माण के कारण
115	फतेहपोल रा.उ.मा. विद्यालय में वाणिज्य संकाय हेतु प्रथम तल पर कक्षा कक्ष का निर्माण एवं अन्य कार्य	सूरसागर	49.20	33.00	82.20	36.94	0.00	फिनिशिंग कार्य शेष	सीढ़ी पर कार्य बढ़ने के कारण
116	मेघवाल समाज बनोंदी श्मशान प्रतापनगर में हाल निर्माण कार्य	सूरसागर	20.30	5.00	25.30	17.89	0.00	फिनिशिंग कार्य शेष	भन ान में मिट्टी दाग के कारण मिट्टी भराई के निर्देशों की अनुपालना हेतु
117	सुखधाम नगर सूरसागर श्री कृष्ण मंदिर में सी.सी. सड़क निर्माण कार्य	सूरसागर	42.21	10.00	52.21	23.37	0.00	कार्य प्रगति पर	मोहल्लावासियों द्वारा चापों की सड़क निर्माण का आग्रह
118	सांखलों की बनोंदी चांदपोल के बाहर में हॉल का निर्माण कार्य	सूरसागर	15.90	10.00	25.90	2.09	0.00	Lintal Level तक कार्य पूर्ण	टी.पी. व हॉल की साईज बढ़ने के कारण
119	वार्ड नं. 11 में मंदिर में सामुभवन का कार्य	सूरसागर	16.02	10.00	26.02	4.50	0.00	Lintal Level तक कार्य पूर्ण	टी.पी. व हॉल की साईज बढ़ने के कारण
120	चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड के विभिन्न पार्को व चौराहो पर विद्युतीकरण कार्य।	सूरसागर	50.00	25.00	75.00	53.76	0.00	कार्य प्रगति पर है।	–

121	सितारास नगर, विवेकानन्द नगर, महादेव नगर, गायत्री नगर, चाणक्यपुरी इत्यादि कॉलोनियों में विद्युतीकरण का कार्य।	सूरसागर	45.00	25.00	70.00	29.70	0.00	कार्य प्रगति पर है।	–
122	पूर्व परिचन पाल रोड शंकर नगर इत्यादि क्षेत्रों में विद्युतीकरण का कार्य।	सूरसागर	34.00	25.00	59.00	29.13	0.00	कार्य प्रगति पर है।	–
123	वार्ड न० 02 से 09 व 20 से 22 में विभिन्न क्षेत्रों में विद्युतीकरण का कार्य।	सूरसागर	37.00	13.00	50.00	14.33	0.00	कार्य प्रगति पर है।	–
124	रसालसर हेण्डलूम से पाल लिंक रोड चौपासनी रोड से प्रताप नगर क्रोसिंग एवं ई.एस.आई. रोड पर सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	सूरसागर	90.00	20.00	110.00	30.54	0.00	कार्य प्रगति पर है।	–
125	जोन पश्चिम के विभिन्न स्थानों पर रोड के मध्य आने वाले पोल, ट्रांसफार्मर आदि को आवश्यकतानुसार शिफ्ट करने का कार्य।	सूरसागर	45.00	44.66	89.66	19.79	0.00	कार्य प्रगति पर है।	–
126	लाल सागर से गोकल जी प्याऊ बाल समंद चौराहे से बाल समंद तक एवं सुन्दर सिंह भण्डारी योजना मे पार्क व सिद्धि नगर ए पार्क मे वृक्षारोपण तीन वर्ष का रख रखाव	सरदारपुरा	46.75	4.00	50.75	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर	टीपी के कारण
127	मैनों की ढाणी में सड़क निर्माण कार्य	सरदारपुरा	29.00	90.00	119.00	0.00	0.00	कार्य प्रारंभ नही	उत्तर जोन से संबंधित
128	डिगाडी अस्पताल मे भवन मरम्मत एवं अन्य कार्य	सरदारपुरा	30.00	60.00	90.00	6.10	0.00	छत लेवल तक निर्माण पूर्ण फिनिशिंग कार्य शेष	–
129	वार्ड 57 जग्नेश्वर कोलोनी मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	सरदारपुरा	18.00	32.00	50.00	2.52	0.00	डी.पी.सी तक निर्माण पूर्ण	–
130	बालाजी नगर डिगाडी मे ब्राह्मण समाज के सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	सरदारपुरा	19.50	12.00	31.50	5.44	0.00	लिन्टल लेवल तक कार्य पूर्ण	–
131	मेघवालो की गली मे प्रेमनगर मे डामर सड़क का कार्य।	सरदारपुरा	10.00	35.00	45.00	0.00	0.00	कार्य शुरू नही	–
132	भीकमदास परिहार ट्रस्ट चौखा मे हॉल निर्माण व विभिन्न विकास कार्य	सरदारपुरा	50.00	25.00	75.00	43.50	0.00	छत लेवल तक निर्माण पूर्ण फिनिशिंग कार्य शेष	–
133	शरण नगर स्थित महादेव मंदिर मे सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य	सरदारपुरा	15.00	30.00	45.00	5.20	0.00	लिन्टल लेवल तक की चुनाई पूर्ण हो चुकी	–
134	जोन उत्तर मे वार्ड नम्बर 42,43,57,58,61 के विभिन्न क्षेत्रों मे सडको हेतु डब्लू बी व डामरीकरण	सरदारपुरा	100.00	100.00	200.00	94.00	0.00	आवश्यक स्थानो पर डामरीकरण पूर्ण	–
135	वार्ड सं. 61 पीपली चौक मंदिर वाला मोहल्ला भदवासिया मे सामुदायिक भवन एवं स्नानघर का निर्माण कार्य	सरदारपुरा	26.00	13.00	39.00	14.97	0.00	छत लेवल तक निर्माण पूर्ण फिनिशिंग कार्य शेष	–
136	जाट समाज श्मशान भूखण्ड पर हॉल का निर्माण कार्य।	सरदारपुरा	24.00	15.00	39.00	0.00	0.00	कार्य शुरू नही	–
137	खटिक समाज श्मशान महामंदिर छात्रावास मे फर्नीचर का कार्य	सरदारपुरा	18.00	39.50	57.50	6.00	0.00	कार्य प्रगति पर	–
138	शक्तिनगर गली नं 4 मे गोस्वामी समाज छात्रावास प्रथम तल पर 2 हॉल का निर्माण	सरदारपुरा	30.00	18.00	48.00	21.10	0.00	फिनिशिंग लेवल	–

139	ओमनगर पार्क प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	सरदारपुरा	18.90	17.00	35.90	19.86	0.96	फिनिशिंग लेवल	–
140	रेगावाला मौहल्ला भदवासिया मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	सरदारपुरा	18.00	25.00	43.00	13.59	0.00	लिन्टल लेवल तक चुनाई का पूर्ण	
141	अशोक कोलोनी हनुमान मंदिर के पास सामुदायिक भवन का शेष कार्य	सरदारपुरा	22.00	29.67	51.67	15.25	0.00	फिनिशिंग लेवल	–
142	गुर्जर गौड समाज शमशान मे विकास कार्य	सरदारपुरा	20.00	15.80	35.80	5.67	0.00	लिन्टल लेवल	–
143	बैजेश्वर महादेव मदिर झालरा महामंदिर मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	सरदारपुरा	24.00	21.00	45.00	20.00	0.00	फिनिशिंग लेवल	–
144	सांसी कालोनी रातानाडा मे स्कूल के उपर मंजिल पर कमरो का निर्माण कार्य	सरदारपुरा	37.00	54.05	91.05	34.90	0.00	फिनिशिंग लेवल	–
145	गम्भीपुरा रेल्वे क्रोसिंग से आर टी ओ ऑफिस तक सड़क निर्माण कार्य।	सरदारपुरा	50.00	110.00	160.00	0.00	0.00	कार्य शुरू नही	–
146	हनुमन्त पार्क मे बरामदा व अन्य विकास कार्य	सरदारपुरा	35.50	24.50	60.00	0.00	0.00	कार्य शुरू नही	–
147	वार्ड न. 59 मे विभिन्न स्थानो पर सी सी सड़क का कार्य।	सरदारपुरा	60.00	55.00	115.00	32.24	0.00	कार्य बन्द	–
148	वार्ड न. 59 मे सीवरेज लाईन का कार्य।	सरदारपुरा	25.00	35.00	60.00	0.00	0.00	कार्य शुरू नही	–
149	जटिया रेगर समाज बगेची शमशान में चार दिवारी एव स्टोर का निर्माण कार्य।	सरदारपुरा	15.00	40.00	55.00	5.78	0.00	फिनिशिंग लेवल	–
150	मदेरणा कॉलोनी कृषि मण्डी के चार दिवारी के पास खुले नाला को कवर करने का कार्य।	सरदारपुरा	45.00	7.00	52.00	0.00	0.00	नाले मे लगाने हेतु पाईप के संवेदक द्वारा आर्डर दिये गये।	–
151	मदेरणा कॉलोनी किर्ती नगर हुडको क्वाटरो मे महादेव मन्दिर के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	सरदारपुरा	15.00	15.00	30.00	12.20	0.00	फिनिशिंग लेवल	–
152	पावटा सी रोड भटकी चौराहा से आर टी ओ आफिस क्रोसिंग तक सड़क मरम्मत का कार्य।	सरदारपुरा	45.00	73.00	118.00	0.00	0.00	कार्य शुरू नही	–
153	वार्ड न. 59 मे रामनगर, महावीर नगर तिलक नगर की शेष सड़कों का निर्माण कार्य।	सरदारपुरा	120.00	40.00	160.00	35.46	0.00	आवश्यक स्थानो पर कार्य पूर्ण	–
154	राजकीय चिकित्सालय भदवासिया मे सौन्दर्यकरण एवं मरम्मत का कार्य।	सरदारपुरा	5.00	35.00	40	2.63	0.00	फिनिशिंग लेवल	–
155	सैनिक क्षत्रिय माली समाज के स्वर्गाश्रम मदेरणा कॉलोनी अन्नासागर में हॉल चार दिवारी गेट इत्यादि का कार्य।	सरदारपुरा	16.30	8.25	24.55	13.68	0.00	कार्य पूर्ण व अंतिम बिल शेष	–
156	हरिजन बस्ती मेघवाल बस्ती मे सीमेन्ट सड़क का निर्माण कार्य।	सरदारपुरा	35.00	79.00	114.00	0.00	0.00	कार्य शुरू नही	–
157	मदेरणा कॉलोनी अन्नासागर मे हरिजन समाज शमशान टीन शेड व हॉल निर्माण कार्य।	सरदारपुरा	15.50	14.50	30.00	11.75	0.00	फिनिशिंग लेवल	–
158	राजीव नगर सी मे प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	सरदारपुरा	25.00	24.00	49.00	15.29	0.00	फिनिशिंग लेवल	–
159	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जगजीवन राम कॉलोनी में प्रथम तल पर कक्षा कक्ष एवं हॉल का निर्माण कार्य।	सरदारपुरा	21.50	2.66	24.16	20.85	0.00	कार्य पूर्ण है।	–

99

160	राजकीय सीनियर विद्यालय (छात्रा) पूंजला मे शौचालय का निर्माण कार्य।	सरदारपुरा	9.50	3.00	12.50	9.32	0.00	कार्य पूर्ण है।	–
161	राजकीय माध्यमिक विद्यालय (छात्रा) पूंजला में प्रयोगशाला निर्माण कार्य।	सरदारपुरा	32.00	6.00	38.00	30.04	0.00	कार्य पूर्ण है।	–
162	पूंजला क्षेत्र मे डामरीकरण कार्य।	सरदारपुरा	40.00	142.00	182.00	36.20	0.00	कार्य पूर्ण है।	–
163	कीर्ति नगर सेक्टर सी मे डामरीकरण का कार्य	सरदारपुरा	30.00	115.00	145.00	26.47	0.00	कार्य पूर्ण है।	–
164	गोस्वामी समाज श्मशान मे विकास कार्य	सरदारपुरा	10.00	0.64	10.64	9.22	0.00	कार्य पूर्ण है।	–
165	आमली बेरा, गोपी बेरा, गियाली बेरा मे सीसी सड़क का कार्य	सरदारपुरा	145.00	138.50	283.50	59.20	0.00	कार्य प्रगति पर	–
166	नागौरी बेरा बिजली घर मे हॉल व अधूरे हॉल को पूर्ण करने का कार्य	सरदारपुरा	21.50	127.85	149.35	12.80	0.00	कार्य प्रगति पर	–
167	ग्राम पंचायत सूरपुरा मंडोर मे बाबा रामदेव मंदिर की चार दीवारी एवं हॉल का निर्माण कार्य	सरदारपुरा	24.50	22.36	46.86	23.97	0.00	पीछे की एक दिवार शेष। बाकी का कार्य पूर्ण।	–
168	माना नाडी पार्क मे विकास कार्य	सरदारपुरा	45.00	103.99	148.99	34.42	0.00	कार्य प्रगति पर	–
169	सावित्री फुले हर्बल पार्क विकास कार्य	सरदारपुरा	24.00	90.93	114.93	18.34	0.00	कार्य प्रगति पर	–
170	पूंजला मे नहर के सहारे सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य।	सरदारपुरा	38.00	14.63	52.63	17.10	0.00	डामर का कार्य शेष	–
171	ठाकुर विरेन्द नगर मे सड़क निर्माण कार्य	सरदारपुरा	25.00	65.00	90.00	22.42	0.00	कार्य प्रगति पर	–
172	गोकुल जी की प्याऊ से आठ मील मंडोर रोड़ तक फोर लेन सड़क का निर्माण कार्य।	सरदारपुरा	500.00	188.00	688.00	143.58	0.00	कार्य प्रगति पर	–
173	शिवनगर मण्डोरिया गेट के बाहर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	सरदारपुरा	24.00	3.12	27.12	8.57	0.00	कार्य प्रगति पर	–
174	आदर्श कॉलोनी मानसागर प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	सरदारपुरा	70.00	30.00	100.00	55.82	0.00	कार्य प्रगति पर	–
175	गुफा माता मन्दिर कैपास शम्भु भवन विस्तार काय।	सरदारपुरा	24.00	1.91	25.91	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर	–
176	जाणिक श्री गंगाराम जी की प्याऊ मथार नागौर रोड मे सामुदायिक भवन का काय।	सरदारपुरा	90.00	81.50	171.50	13.54	0.00	डी.पी.सी. लेवल	–
177	सोहन जी के मकान के पास पार्क मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य। खोखरिया)	सरदारपुरा	24.50	30.05	54.55	19.81	0.00	कार्य प्रगति पर	–
178	बायासा मन्दिर मे सामुदायिक भवन व चार दिवारी निर्माण कार्य।	सरदारपुरा	24.00	27.00	51.00	0.50	0.00	कार्य प्रगति पर	–
179	बेरी गंगा मे खेतलाजी मन्दिर मे सामु भवन व अन्य विकास कार्य।	सरदारपुरा	44.40	21.05	65.45	48.0	0.00	छत लेवल तक चुणाई का कार्य पूण।	–
180	अनुसूची जाति जनजाति महिला छात्रावास के सामने नाल कवरिंग एवं चार दिवारी ऊंची करने का कार्य	सरदारपुरा	45.00	50.85	95.85	26.03	0.00	कार्य प्रगति पर	–
181	चामनी तम्बोलिया के श्मशान मे स्नान घर चार दिवारी का नाला का कार्य	सरदारपुरा	24.00	37.75	61.75	16.92	0.00	कार्य प्रगति पर	–
182	वार्ड 63 ढागा बेरा पर सामुदायिक भवन मय चार दीवारी व सीसी सड़क निर्माण कार्य	सरदारपुरा	40.00	31.15	71.15	18.20	0.00	कार्य प्रगति पर	–
183	राजकीय बालिका विधालय मगरा पुंजला मे चार दीवारी ऊंची करने व अन्य विकास कार्य	सरदारपुरा	45.00	6.42	51.42	17.92	0.00	कार्य प्रगति पर	–
184	महात्मा ज्योति बा फुले छात्रावास माता का थान पूंजला मे विकास कार्य (विधायक कोष) MLA LAD	सरदारपुरा	10.00	91.00	101.00	7.39	0.00	कार्य प्रगति पर	–

185	रा.उ.मा. वि. मण्डोर नम्बर 01 मे दो कक्षा कक्षो मय बरामदा तथा झूले लगाने का कार्य MLA LAD	सरदारपुरा	10.00	13.68	23.68	9.27	0.00	कार्य प्रगति पर	–
186	सैनिक क्षेत्रिय माली समाज शमशान माता का थान में दिवार ऊंची करने व अन्य कार्य	सरदारपुरा	50.00	122.16	172.16	42.51	0.00	कार्य प्रगति पर	–
187	वार्ड न64 मे नागोरी बेरा की सेकण्डरी स्कूल मे विकास कार्य	सरदारपुरा	81.00	12.07	93.07	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर	–
188	राजीव गांधी कॉलोनी मे सावजनिक हॉल म फर्नीचर व रंगरोगन का कार्य।	सरदारपुरा	20.00	3.00	23.00	8.16	0.00	कार्य प्रगति पर	–
189	राजकीय उच्च विद्यालय बलदेव नगर अन्नासागर मे बरामदा व कक्षा कक्ष का शेष कार्य	सरदारपुरा	24.00	2.08	26.08	14.81	0.00	कार्य प्रगति पर	–
190	जोन उत्तर बी के वार्ड 62,63,64, विभिन्न स्थानों की सड़को का w.B.M का कार्य	सरदारपुरा	100.00	180.80	280.80	30.78	0.00	कार्य प्रगति पर	–
191	सिविर लाईन मे क्षतिग्रस्त सड़को के पुनः निर्माण का कार्य	सरदारपुरा	145.00	147.10	292.10	84.84	0.00	कार्य प्रगति पर	–
192	वार्ड नम्बर 64 शंकर मठ मे शेष विकास कार्य	सरदारपुरा	30.00	44.50	74.50	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर	–
193	बासनी तम्बोलिया के श्मशान मे स्नान घर चार दिवारी का नाला का कार्य	सरदारपुरा	24.00	37.75	61.75	10.92	0.00	कार्य प्रगति पर	–
194	अन्नासागर शिवी नगर दो सेक्टर मे सीवर लाईन व सड़क निर्माण कार्य।	सरदारपुरा	48.00	48.60	96.60	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर	–
195	शनिश्वर महादेव मन्दिर परिसर झालरा बेरा मे सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	सरदारपुरा	24.00	3.34	27.34	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर	–
196	मगरा क्षेत्र मे महिला स्नानघर व हॉल का शेष कार्य।	सरदारपुरा	45.00	6.78	51.78	0.00	0.00	कार्य शुरू नही हुआ	–
197	आदर्श नगर, लालसागर पार्क मे प्रथम तल पर सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य	सरदारपुरा	30.00	2.30	32.30	0.00	0.00	कार्य शुरू नही हुआ	–
198	खसरा नम्बर 252 खोखरिया मे सड़क निर्माण का कार्य	सरदारपुरा	20.00	70.00	90.00	0.00	0.00	कार्य शुरू नही हुआ	–
199	जबलेश्वर महादेव मंदिर मानसागर में सामुदायिक भवन का शेष कार्य	सरदारपुरा	30.00	4.45	34.45	0.00	0.00	कार्य शुरू नही हुआ	–
200	उदयमंदिर हरिजन बसती मे नई सीवर लाईन डालने और सीसी सड़क निर्माण कार्य	सरदारपुरा	110.00	40.00	150.00	22.08	0.00	दो गलियो मे सीसी व सीवरेज का कार्य पूर्ण शेष गलियों में विवाद के कारण कार्य कराया जाना संभव नही है। यथास्थिति अंतिम भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।	–
201	मंडोर सांची स्कुल से रॉयल्टी चौराहा तक नाला निर्माण कार्य	सरदारपुरा	116.65	83.35	200.00	95.38	0.00	मुख्य नाले का निर्माण कार्य पूर्ण डिवाईडर का कार्य शेष	–
202	बीएसएफ मंडोर से बालसमंद गेट तक नाला निर्माण कार्य	सरदारपुरा	125.63	74.37	200.00	105.34	0.00	मुख्य नाले का निर्माण कार्य पूर्ण डिवाईडर का कार्य शेष	–
203	जनता कॉलोनी मे नहर कवरिंग का कार्य	सरदारपुरा	40.00	20.00	60.00	20.00	0.00	कुछ स्थानों पर रिपेयरिंग का कार्य हुआ है यथास्थिति को फाईनल किया जा सकता है।	–
204	वार्ड 49 मे स्थित उदयमंदिर रा.उ.मा. विद्यालय के मुख्यगेट से लेकर एहसान जी के घर तक उसके आसपास की गलियों मे सीसी सड़क निर्माण कार्य	सरदारपुरा	28.00	12.00	40.00	0.00	0.00	कार्य शुरू नही	–

205	शाह मसीह उल्लाह मदरसा में कक्षा कक्ष निर्माण कार्य	सरदारपुरा	59.00	40.00	99.00	49.37	0.00	कार्य पूर्ण फाईनल बिल प्रस्तुत करना कमरो की संख्या में बढोतरी के कारण संशोधित.	-
206	गिरासी कॉलोनी में सडक सीवरेज व पुल का कार्य	सरदारपुरा	15.00	13.00	28.00	11.08	0.00	मूल स्वीकृति तक कार्य पूर्ण संशोधित कार्य शेष	-
207	पेतलाव नाडी में सार्वजनिक सभा भवन व स्टेप गार्डन व फुटपाथ का कार्य	सरदारपुरा	90.00	25.00	115.00	45.60	0.00	फिनिशिंग का कार्य शेष सामुदायिक भवन की साईज अधिक होने के कारण संशोधित	-
208	हनुमान वीरदल मंडोर सार्वजनिक व्यायामशाला डुप्लेक्स हॉल का निर्माण कार्य	सरदारपुरा	40.00	25.00	65.00	32.98	0.00	फिनिशिंग का कार्य शेष सामुदायिक भवन की साईज अधिक होने के कारण संशोधित	-
209	बडलों का चौक में सामुदायिक भवन का जीर्णोद्वार का कार्य	सरदारपुरा	94.65	20.00	114.65	87.21	0.00	कार्य पूर्ण फाईनल बिल प्रस्तुत करना प्रथम मंजिल पर भवन के कारण संशोधित	-
210	हजरत शाहा मसीह उल्लाह मस्जिद में आरसीसी कवरिंग का कार्य	सरदारपुरा	20.00	20.00	40.00	16.93	0.00	फिनिशिंग का कार्य शेष हॉल की साईज बढाये जाने के कारण संशोधित	-
211	मंडोर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सीसी रोड का निर्माण कार्य	सरदारपुरा	116.00	150.00	266.00	107.34	0.00	मूल स्वीकृत कार्य पूर्ण संशोधित सडक का कार्य शेष	-
212	मंडोर साधी स्कूल से रॉयल्टी चौराया तक सडक सुदृढीकरण का कार्य।	सरदारपुरा	137.00	50.50	187.50	79.00	0.00	4 लेन सडक में से 2 लेन सडक का कार्य पूर्ण व 2 लेन सडक का डामर कार्य शेष	-
213	बी.एस.एफ. मंडोर से बालसमंद गेट तक सडक सुदृढीकरण का कार्य।	सरदारपुरा	144.50	50.00	194.50	56.59	0.00	4 लेन सडक में से 2 लेन सडक का कार्य पूर्ण व 2 लेन सडक का डामर कार्य शेष	-
214	कलाल कॉलोनी के पास स्थित दो नम्बर गली में हॉल का निर्माण कार्य	सरदारपुरा	25.00	30.00	55.00	0.00	0.00	कार्य शुरू नही	-
215	वीर तेजाजी समाज बालसमंद में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	सरदारपुरा	60.00	35.00	95.00	46.87	0.00	फिनिशिंग का कार्य शेष हॉल की साईज बढाये जाने के कारण संशोधित	-
216	वार्ड नं. 64 में विकास कार्य।	सरदारपुरा	261.78	239.00	500.78	255.52	0.00	कुछ क्षेत्र में फिनिशिंग कार्य शेष	-
217	राजकीय प्राथमिक विद्यालय कागडी स्कूल में कक्षा कक्ष व बाउन्ड्री वॉल का निर्माण कार्य	सरदारपुरा	32.00	28.00	60.00	16.39	0.00	फिनिशिंग का कार्य शेष हॉल की साईज बढाये जाने के कारण संशोधित	-
218	सिंधी दाईजी माता मंदिर पंचकुंड में सामुदायिक भवन अन्य विकास कार्य	सरदारपुरा	25.00	20.00	45.00	17.29	0.00	फिनिशिंग का कार्य शेष हॉल की साईज बढाये जाने के कारण संशोधित	-
219	कागा श्मशान रामबाग में स्थित विभिन्न विकास कार्य	सरदारपुरा	94.00	200.00	294.00	73.81	0.00	बाउन्ड्री वॉल का कार्य एवं संशोधित कार्य शेष	-

220	पावटा चौराया से ज्योतिबा फुले महामंदिर तक सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य (मण्डोर रोड)	सरदारपुरा	49.00	100.00	149.00	27.86	0.00	कार्य प्रगति पर है।	सौन्दर्यकरण एवं मॉनिटरिंग कमेटी
221	मानसागर महामन्दिर में विद्युतीकरण का कार्य।	सरदारपुरा	48.00	30.00	78.00	45.24	0.00	कार्य प्रगति पर है।	–
222	जोन उत्तर के विभिन्न स्थानों पर रोड के मध्य आने वाले पोल, ट्रांसफार्मर आदि को आवश्यकतानुसार शिफ्ट करने का कार्य।	सरदारपुरा	45.00	60.00	105.00	16.51	0.00	कार्य पूर्ण अंतिम बिल लम्बित है।	–
223	मान सागर महामंदिर पार्क में म्युजिकल फाउण्टेन लगाने का कार्य।	सरदारपुरा	48.00	42.00	90.00	28.39	0.00	कार्य प्रगति पर है।	–
224	अगोलाई (एरेशार) से गोकुल विहार होते हुए नेशनल हाईवे तक डामरी करण कार्य	शेरगढ	130.12	19.38	149.50	66.85	0.00	कार्य बन्द है।	डब्ल्यू.बी.एम पुलिया निर्माण व सुरक्षा दीवार का कार्य किया गया डामरीकरण का कार्य शेष है। वर्तमान में कार्य बंद है।
225	आंगणवा ट्रांसपोर्ट एवं ऑटोमोबाईल नगर में गोमिया जी के मंदिर तक डामर सड़क निर्माण कार्य	भोपालगढ़	24.00	177.06	201.06	21.32	0.00	पत्रावली गुम।	
226	वैष्णव समाज हनुमान मंदिर जाजीवाल में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	भोपालगढ़	22.50	41.50	64	0.00	0.00	–	उत्तर जोन से संबंधित
227	बाईपास सड़क से बनाड सरहद तक डामरीकरण का कार्य।	भोपालगढ़	162.60	130.00	292.60	58.23	0.00	डब्ल्यु.बी.एम. कार्य हुआ है।	डामरीरण शेष
228	हनुमान वाटिका बनाड में सत्संग भवन का निर्माण कार्य।	भोपालगढ़	107.00	50.00	157.00	0.00	0.00	कार्य प्रारंभ नही	–
229	बनाड रोड स्थित खेल मैदान की चार दीवारी का कार्य।	भोपालगढ़	90.70	100.00	190.70	47.95	0.00	विवाद वर्तमान में कार्य बन्द	
230	बनाड महादेव मंदिर में सभा भवन का निर्माण कार्य।	भोपालगढ़	11.75	70.00	81.75	4.98	0.00	छत लेवल तक का कार्य हुआ है, फिनिशिंग का कार्य शेष	–
231	ग्राम पंचायत सालवा कलां शहीद पार्क के पास सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	भोपालगढ़	35.00	53.00	88.00	0.00	0.00	–	उत्तर जोन से संबंधित
232	जाट समाज कन्या पाठशाला में छात्रावास का निर्माण कार्य।	भोपालगढ़	55.00	95.00	150.00	41.90	0.00	कुर्सी तल तक का कार्य	–
233	सांसी बस्ती जाजीवाल में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	भोपालगढ़	24.00	37.00	61.00	0.00	0.00	–	उत्तर जोन से संबंधित
234	ग्राम पंचायत सालयाकलां स्थित पार्क में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	भोपालगढ़	35.00	87.00	122.00	0.00	0.00	–	उत्तर जोन से संबंधित
235	खसरा संख्या 252 ग्राम खोखरिया में सड़क निर्माण कार्य।	भोपालगढ़	20.00	70.00	90.00	0.00	0.00	–	उत्तर जोन से संबंधित
236	नील समाज श्मशान खोखरिया में चार दिवारी व अन्य विकास कार्य।	भोपालगढ़	14.00	41.00	55.00	9.95	0.00	कार्य पूर्ण अन्तिम बिल शेष	–
237	शबरी बाई मंदिर जाजीवाल कला मे सभा भवन का निर्माण एवं अन्य विकास कार्य।	भोपालगढ़	23.80	52.37	76.17	14.79	0.00	टॉयलेट का फिनिशिंग कार्य शेष	–
238	गरकुण्डा नाडा सालवा कलां में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	भोपालगढ़	41.50	42.44	83.94	16.45	0.00	चार दिवारी पूर्ण हॉल डी.पी.सी. लेवल	–
239	एकता नगर के रावणा राजपूत समाज के हॉल के प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	भोपालगढ़	25.00	24.10	49.10	17.90	0.00	फिनिशिंग का कार्य शेष	–

240	वैष्णव समाज हनुमान मन्दिर जाजीवाल में विकास कार्य	भोपालगढ	22.50	3.28	25.78	16.25	0.00	कार्य प्रगति पर	—
241	गुजरावास में भोमियाजी महाराज सार्वजनिक पार्क की चार दिवारी का निर्माण कार्य	भोपालगढ	24.00	71.00	95.00	6.78	0.00	कार्य प्रगति पर	—
242	ग्राम लोहडी चम्पित में सड़को का निर्माण कार्य।	भोपालगढ	120.00	114.80	234.80	29.17	0.00	कार्य प्रगति पर	—
243	जाजीवाल खीचयान में सिमन्ट सड़क निर्माण कार्य	भोपालगढ	140.00	167.00	307.00	67.72	0.00	कार्य प्रगति पर	—
244	जाजीवाल कला में मुख्य सड़क से रामदेव मन्दिर तक कन्ट्रोल सी सी सड़क का कार्य।	भोपालगढ	95.00	101.75	196.75	31.18	0.00	कार्य प्रगति पर	—
245	जाजीवाल गोदारा में सी.सी सड़क निर्माण कार्य	भोपालगढ	23.00	80.70	103.70	17.64	0.00	कार्य प्रगति पर	—
246	जाजीवाल भाटीयान में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	भोपालगढ	25.00	39.25	64.25	0.00	0.00	कार्य शुरू नही हुआ	—
247	तिलपा पहाडी पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	भोपालगढ	24.50	6.43	30.93	0.00	0.00	कार्य शुरू नही हुआ	—
248	रावरीबाई मंदिर जाजीवाल कला में विद्युतीकरण का कार्य।	भोपालगढ	4.00	3.00	7.00	2.02	0.00	कार्य प्रगति पर है।	—
249	डांगियावास से रुडकली तक सड़क निर्माण कार्य	बिलाडा विधानसभा	136.42	60.00	196.42	0.00	0.00	कार्य प्रारंभ नही	—
250	रुडकली से बिसलपुर तक सड़क निर्माण कार्य	बिलाडा विधानसभा	136.42	50.00	186.42	48.68	0.00	डब्ल्यु.बी.एम. कार्य हुआ है।	डामरीरण शेष
251	ग्राम कार्केलाव में सत्संग भवन का निर्माण कार्य।	बिलाडा विधानसभा	24.90	30.00	54.90	16.99	0.00	छत का कार्य पूर्ण फिनिशिंग शेष	वर्तमान में कार्य बंद
252	ग्राम मुख्यालय पिटकासनी से ग्राम खारडा रणधीर तक सड़क निर्माण कार्य	बिलाडा विधानसभा	90.70	75.00	165.70	47.64	0.00	डब्ल्यु.बी.एम. कार्य हुआ है।	डामरीरण शेष
253	ग्राम पलासनी से सेवलो की ढाणी तक डामरीकरण का कार्य।	बिलाडा विधानसभा	91.40	110.00	201.40	75.00	0.00	डब्ल्यु.बी.एम. कार्य हुआ है।	डामरीरण शेष
254	पिटकासनी नाडी से भागीरथ बावला फाटक तक सड़क निर्माण कार्य।	बिलाडा विधानसभा	30.60	90.00	120.60	11.06	0.00	विवाद के कारण बन्द व डब्ल्यु.बी.एम. कार्य हुआ है।	—
255	गोलिया गांव से सेवलो की ढाणी तक सड़क निर्माण कार्य	बिलाडा विधानसभा	97.80	110.00	207.80	43.04	0.00	डब्ल्यु.बी.एम. कार्य हुआ है।	डामरीरण शेष
256	पिटकासनी से बासनी निकोबा तक सड़क निर्माण कार्य	बिलाडा विधानसभा	81.05	60.00	141.05	24.87	0.00	डब्ल्यु.बी.एम. कार्य हुआ है।	डामरीरण शेष
257	खातीयासनी धायलों की ढाणी से बावला तक सड़क निर्माण कार्य।	बिलाडा विधानसभा	97.50	60.00	157.50	0.00	0.00	डब्ल्यु.बी.एम. कार्य हुआ है।	डामरीरण शेष
258	सरदारपुरा सी रोड पर मिडीयन में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	शहर	50.00	10.00	60.00	21.85	0.00	कार्य प्रगति पर है।	मोनिटरिंग कमेटी
259	वार्ड नं० 26 की विभिन्न कॉलोनियो में सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	शहर	65.00	20.00	85.00	26.48	0.00	कार्य प्रगति पर है।	
260	जालोरी गेट से राजरणछोड दास मंदिर रोड वाया ओलम्पिक एवं स्टेशन रोड पर सार्वजनिक पथ प्रकाश व्यवस्था का कार्य।	शहर	48.00	11.00	59.00	27.52	0.00	कार्य प्रगति पर है।	मोनिटरिंग कमेटी
261	रेलवे स्टेशन से राजरणछोडदास मंदिर तक लाईनो को भूमिगत करने एवं ट्रांसफार्मर शिफ्ट करने का कार्य।	शहर	60.00	10.00	70.00	34.48	0.00	कार्य प्रगति पर है।	मोनिटरिंग कमेटी

(104)

262	जोन 6 वार्ड सं. 44, 45, 46 एवं 47 में विद्युतीकरण का कार्य।	शहर	22.00	0.58	22.58	22.58	0.00	कार्य पूर्ण अंतिम बिल पारित किया जा चुका है तथा संवेदक की एसडी लौटा दी गई है।	
263	सरदारपुरा 7वी व 9वी रोड में सड़क बाधक पोल लाईन भूमिगत करने का कार्य।	शहर	200.00	0.00	200.00	119.54	0.00	कार्य प्रगति पर है।	मॉनिटरिंग कमेटी
264	सरदारपुरा 11वी रोड में सड़क बाधक पोल लाईन भूमिगत करने का कार्य।	शहर	215.00	0.00	215.00	74.88	0.00	कार्य प्रगति पर है।	मॉनिटरिंग कमेटी
265	कुम्हारों का सामुदायिक भवन बारानी गांव के प्रथम तल पर भवन का निर्माण कार्य	शहर	37.00	7.55	44.55	0.00	0.00	WIP	टेण्डर प्रीमियम के कारण संशो. स्वी. जारी की गई dismantlin कार्य किया गया है।
266	पृथ्वीराज नगर में पार्क का विकास कार्य।	शहर	55.60	70.00	125.60	27.18	0.00	WIP	कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य करने हेतु संशो. स्वी. जारी की गई थी। कार्य प्रगति पर है।
267	संजय कॉलोनी बारानी में सीवर लाईन का कार्य	शहर	67.00	69.00	136.00	28.61	0.00	WIP	कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कार्य करने हेतु संशो. स्वी. जारी की गई थी। कार्य प्रगति पर है।
268	प्राधिकरण कार्यालय भवन एवं विभिन्न आवासीय भवनों में मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य व अनु	शहर	50.00	60.00	110.00	53.22	0.00	कार्य पूर्ण	—
269	जोन पूर्व में विभिन्न स्थानों पर सीवर लाईन का कार्य	शहर	100.00	60.00	160.00	98.04	0.00	कार्य पूर्ण	—
270	नागेश्वर नगर (झालामण्ड में सड़क निर्माण कार्य।)	शहर	61.45	75.00	136.45	19.30	0.00	डब्ल्यु.बी.एम. कार्य हुआ है।	डामरीकरण शेष
271	श्रीरामदेव जी का मंदिर सांगानाडा में सामु. भवन का निर्माण कार्य	शहर	24.45	75.00	99.45	14.18	0.00	कार्य पूर्ण	अंतिम बिल शेष
272	शिव मंदिर रोड सांगानाडा पर मुख्य सीवर लाईन का कार्य।	शहर	21.98	35.00	56.98	26.07	0.00	कार्य पूर्ण	अंतिम बिल पारित
273	नवदुर्गा नगर खसरा नं. 4 झालामण्ड में सड़क बनाने का कार्य	शहर	130.00	60.00	190.00	104.19	0.00	डब्ल्यु.बी.एम. कार्य हुआ है।	डामरीकरण शेष
274	झालामण्ड विनायकिया सम्पर्क सड़क से तुकाराम जी के मकान तक डामरीकरण का कार्य	शहर	23.77	50.00	73.77	23.60	0.00	कार्य प्रारंभ नही	—
275	जोन पूर्व में डामरीकरण का कार्य	शहर	90.00	120.00	210.00	13.61	0.00	वार्षिक अनुबंध,	—

(105)

276	गोधी कॉलोनी (भगत की कोठी) में सामुदायिक हॉल का निर्माण कार्य।	शहर	16.70	30.00	46.70	11.81	0.00	फिनिशिंग का कार्य शेष	–
277	सेन्ट्रल स्कूल स्कीम में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	शहर	32.10	45.00	77.10	15.20	0.00	छत लेवल तक का कार्य हुआ है, फिनिशिंग का कार्य शेष	–
278	जोन पूर्व में नाला निर्माण कार्य एवं रख रखाव मय मरम्मत का कार्य।	शहर	40.00	75.00	115.00	27.02	0.00	वार्षिक अनुबंध	–
279	बिश्नोई धर्मशाला में शिवमंदिर चौराहे गुणवती हाउस होते हुए पुलिस लाईन प्रथम गेट तक सडक निर्माण कार्य।	शहर	75.10	175.00	250.10	25.27	0.00	डब्ल्यु.बी.एम. कार्य हुआ है।	डामरीकरण शेष
280	वार्ड न0 41 मुख्य सडक विकास का कार्य।	शहर	150.00	150.00	300.00	125.21	0.00	कार्य पूर्ण	–
281	पीली टंकी से युनिवर्सिटी से के.वी.सी. क्वाटर तक सडक निर्माण कार्य।	शहर	72.45	75.00	147.45	65.89	0.00	कार्य पूर्ण	अंतिम बिल शेष
282	आर्य समाज दयानन्द स्मृति भवन मे सामुदायिक भवन हॉल का निर्माण कार्य।	शहर	87.15	100.00	187.15	6.65	0.00	कुर्सी तल तक का कार्य	–
283	जोन पूर्व में पार्किंग स्थलों का विकास कार्य	शहर	52.76	100.00	152.76	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर	–
284	वायु विहार झालामण्ड में सीवरलाइन डालने का कार्य।	शहर	45.00	145.00	190.00	0.00	0.00	कार्य प्रारंभ नही	–
285	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दण्ड स्कूल झालामण्ड में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य।	शहर	45.00	110.00	155.00	20:70	0.00	छत व फिनिशिंग कार्य शेष	–
286	प्रजापति समाज झालामण्ड छात्रावास सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	शहर	15.85	60.00	75.85	17.41	0.00	कार्य पूर्ण	अंतिम बिल शेष
287	जोन पूर्व में डब्ल्यु.बी.एम. सडक का निर्माण कार्य।	शहर	95.00	92.50	187.50	54.54	0.00	वार्षिक अनुबंध	–
288	सुनार चौक से कृष्णा मंदिर होते हुए सब्जी मंडी तक सडक निर्माण कार्य।	शहर	71.25	160.00	231.25	0.00	0.00	कार्य प्रारंभ नही	–
289	पुरबियों का बास में सडक निर्माण कार्य	शहर	22.45	13.14	35.59	20.32	0.00	कार्य प्रगति पर	मौके पर सीवर लाइन के कार्य अतिरिक्त होने के कारण
290	बाल विद्या भवन उ.प्रा.वि. जालोरीगेट के अन्दर चौक क्वारिंग का कार्य	शहर	35.00	16.22	51.22	28.69	0.00	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर	आर.सी.सी. डिजाईन के कारण स्टील में बढोत्तरी व टी.पी. के कारण
291	जालोरियों का बास, रामचौक स्थित सामुदायिक भवन के प्रथम तल पर सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य	शहर	35.60	24.40	60.00	37.21	0.00	कार्य पूर्ण/अन्तिम बिल प्रक्रियाधीन	हॉल की साइज बढने के कारण
292	पुरबियों का बास में सडक निर्माण कार्य	शहर	22.45	5.14	27.59	8.32	0.00	कार्य प्रगति पर	टी.पी. के कारण
293	आर्य मल्लधर व्यायाम शाला साधना मंदिर गुलाब सागर में भूतल व प्रथम तल पर कमरे का निर्माण कार्य	शहर	32.77	58.37	91.14	33.40	0.00	कार्य प्रगति पर	अध्यक्ष महोदय द्वारा भैरव मंदिर के पास हॉल बनाने के निर्दे 1 के कारण
294	सरदारपुरा सी रोड को चार लेन करने का कार्य।	शहर	560.00	60.00	620.00	363.13	0.00	कार्य प्रगति पर	–
295	जोन दक्षिण बी में विभिन्न स्थानों पर पार्किंग स्थल का विकास कार्य।	शहर	102.00	60.00	162.00	101.00	0.00	कार्य प्रगति पर	–

296	12 वी रोड चौराहे से रोटरी सर्कल द्वितीय तक सड़क चौड़ी करने का कार्य	शहर	553.60	100.00	653.60	68.50	0.00	वर्तमान मे कार्य बंद है।	—
297	महात्मा गांधी विद्यालय मे विकास कार्य।	शहर	21.00	40.00	61.00	4.40	0.00	वर्तमान मे कार्य बंद है।	—
298	उम्मेद कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय मे पुस्तकालय कक्ष का निर्माण कार्य।	शहर	24.00	15.00	39.00	0.00	0.00	वर्तमान मे कार्य बंद है।	—
299	जोन दक्षिण सी मे डिवाईडर पर रेलिंग लगाने का कार्य।	शहर	90.00	200.00	290.00	83.50	0.00	कार्य प्रगति पर	—
300	राणप्रताप उच्च मा.वि. परिसर मे विकास कार्य।	शहर	48.00	25.00	73.00	0.00	0.00	कार्य प्रगति पर	—
301	शास्त्री नगर स्थित आर्य समाज परिसर मे सामुदायिक भवन, बरामदा एवं शौचालय का निर्माण कार्य।	शहर	61.00	14.00	75.00	15.68	0.00	वर्तमान मे कार्य बंद है।	—
302	शास्त्री सर्कल से हनवंत स्कूल तक सड़क को चौड़ा कर डामरीकरण करना व इन्टरलॉकिंग लगाने का कार्य।	शहर	225.00	25.00	250.00	48.00	0.00	कार्य प्रगति पर	—
303	सरदारपुरा स्थित अहिंसा पार्क की मरम्मत का कार्य।	शहर	25.00	10.00	35.00	14.45	0.00	कार्य प्रगति पर	—
304	फोटो कॉपी करने का कार्य। (वार्षिक अनुबन्ध मे)	कार्यालय कार्य	20.00	15.00	35.00	19.66	0.00	कार्य प्रगति पर है।	—
305	स्टेडियम मे विभिन्न आन्तरिक विद्युतीकरण का कार्य।	कार्यालय कार्य	30.00	30.00	60.00	15.44	0.00	कार्य प्रगति पर है।	—
306	जोधपुर विकास प्राधिकरण शहर मे विभिन्न स्थानों पर लगे फव्वारे एवं फव्वारे एवं म्युजिकल फव्वारे का रख रखाव एवं सुरक्षा करने का कार्य।	लूणी, शहर, सरदारपुरा	25.00	40.00	65.00	19.35	0.00	कार्य प्रगति पर है।	—
307	कुडी मैन रोड से झालामण्ड पी.एच.ई.डी. ऑफिस वाया आफरी (नहर के पास) तक फोर लेन सड़क निर्माण मे बाधक विद्युत पोल, लाईन एवं ट्रांसफॉर्मर को आवश्यकतानुसार भूमिगत करना अथवा शिफ्ट करने का कार्य।	लूणी एवं शहर	126.00	60.00	186.00	65.77	0.00	कार्य प्रगति पर है।	वैकल्पिक मार्ग कार्य
308	जोन पूर्व के विभिन्न स्थानों पर रोड के मध्य आने वाले पोल, ट्रांसफार्मर आदि शिफ्ट करने का कार्य।	लूणी एवं शहर	25.00	90.00	115.00	5.33	0.00	कार्य प्रगति पर है।	—
	योग		20254.98	15509.51	35764.49	8856.00	0.00		

निदेशक अभियांत्रिकी
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

107